तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २६

सोमवार २१, मई, १९६२
३१ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

74
2.8.62

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ से ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ९५२ . . . . . २६२६—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ . . २६३५—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य . . . . २६६१—६२

श्री राज बहादुर

समिति के लिये निर्वाचन . . . . . २६६२—६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें . . . . . २६६३—२७१२

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . . . . . २६६३—८३

श्री अलगेशन . . २६६३—६८

श्री हनुमन्तैया . . . . २६६८—६९

डा० सारादीश राय . २६७०

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . . २६७०—७१

श्री शिवनंजप्पा . . २६७१—७२

श्री बागड़ी . . २६७२—७४

श्रीमती यशोदा रेड्डी . . २६७४—७५

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . २६७६—७८

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख . . २६७८—७९

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम . . . . . २६७९—८३

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न सभा में उसी सदस्य वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २१ मई १९६२

३१ वैशाख, १८८४(शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोआ

*८८३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ का भारत में विलीनीकरण करते समय पुतगाली सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की कायवाहियां की थीं उसमें कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या वे पुल और सड़कें जो उस समय टूट गई थीं फिर से बन गई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गोआ में और भी निर्माण सम्बन्धी कार्यों की कोई योजना तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ङ) गोआ बन्दरगाह के जिस भाग को पुतगाली सैनिकों ने हानि पहुंचाई थी, क्या वह भी अब ठीक हो गया है ?

वदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) अनुमान है कि कुल नुकसान ६६.७१ लाख रु० का हुआ ।

(ख) कंडियापार पुल पूरा बन चुका है और यातायात के लिये खुला हुआ है । आशा है कि अन्य पुलों और पुलियों में से अधिकांश के पुनर्मिनर्माण का काम लगभग पांच हफ्ते में पूरा हो जाएगा ।

(ग) और (घ). सरकार गोआ के अन्दर कुछ सड़कों को चौड़ा और पुख्ता करने तथा पंजिम और कोरतालिम में नए पुल बनाने के एक कायक्रम पर विचार कर रही है ।

(ङ) मारमागोआ बन्दरगाह के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ।

959 (Ai) LSD—1

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो हानि हुई है पुर्तगाली सैनिकों द्वारा इसमें सब से अधिक हानि किस भाग को पहुंची है ?

श्री दिनेश सिंह : ज्यादातर खर्च तो जो पुल टूट गये हैं उन्हीं पर होगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन सड़कों और दूसरे स्थानों को जो हानि पहुंची है, इसके अतिरिक्त पुतगाली सैनिकों ने कुछ धार्मिक स्थानों को भी हानि पहुंचाने का यत्न किया, जिसको बाद में फिर हमारी गवर्नमेंट ने सुधरवाया ?

†**श्री दिनेश सिंह :** एक पुराने चर्च में कुछ नुकसान हुआ है, और तो कोई बड़े नुकसान की खबर हमें नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रश्न के (ग) और (घ) भागों के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोआ के विकास के कार्य को शेष भारत के तीसरी योजना के कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने अथवा कम से कम जोड़ने की कोई प्रस्थापना सरकार के सामने है ? यदि हां, तो इस काम के लिये स्थानीय तौर पर क्या तंत्र स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** यह गोआ की परिवहन व्यवस्था के बारे में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** निर्माण कार्य चल रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** विकास और इसे योजना के साथ जोड़ना भिन्न भिन्न बातें हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इस स्वाधीनता के पश्चात्, विकास, मरम्मत, निर्माण आदि का इतना अधिक कार्य किया जा रहा है ? क्या किये जा रहे निर्माण कार्य की कोई योजना है या यह केवल तदर्थ कार्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह कह रहा था कि इस प्रश्न के साथ इसका सम्बन्ध नहीं है । अन्यथा तो यह महत्वपूर्ण है ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या गोआ के निर्माण कार्य के लिये धन गोआ के राजस्व से दिया जाता है या केन्द्रीय सरकार के धन से ?

†**श्री दिनेश सिंह :** कार्यक्रम बड़ा है । यह कहना कठिन है कि आया यह धन गोआ के राजस्व से लिया जायेगा या केन्द्रीय सरकार को कुछ व्यय देना पड़ेगा ।

†**श्री प्र० के० देव :** अनुमान क्या है ?

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमान् गोआ में पुर्तगाली सैनिकों के द्वारा जो नुकसान किया गया, पुर्तगाली सरकार से उसकी क्षतिपूर्ति कराने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार गोआ के उन नागरिकों को कुछ मुआवजा देने का विचार करती है, जिनकी सम्पत्तियां सैनिक कार्रवाई के दौरान पुर्तगालियों द्वारा नष्ट कर दी गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** यह प्रश्न भिन्न है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** ये कार्यवाइयां वास्तव में कब आरम्भ की गई थीं ? क्या वे सशस्त्र कार्रवाई के बाद आरम्भ की गई थीं या क्या वे लगभग १५ दिन पहले आरम्भ की गई थीं ?

†**श्री दिनेश सिंह :** कौन सी कार्यवाइयां ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** इन चीजों को नष्ट करने के काम ।

†**श्री दिनेश सिंह :** यह सशस्त्र कार्रवाई से पहले और उसके बीच में किया गया था ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** कितने दिन पहले ?

†**श्री दिनेश सिंह :** मैं समझता हूं केवल दो दिन पहले ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुर्तगालियों ने गोआ छोड़ते समय इधर उधर चले हुए बम छोड़ दिये थे, जो बाद में फटे, और उनसे कई लोग मर गये, तो क्या सरकार इन बमों को ढूंढने और गोंआ को इनसे मुक्त करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** कार्रवाई के तुरन्त पश्चात्, इंजीनियरों ने अधिकांश बमों को हटाने का प्रयत्न किया जहां वे इन बमों को पा सके ।

शरणार्थियों का पुनर्वास

†*८८४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम सम्पत्तियों, बरकों और मकानों में रहने वाले सभी शरणार्थियों के पुनर्वास में शीघ्रता करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से लोगों को निकल जाने के नोटिस दिये जा चुके हैं और उन्हें रहने के लिये कोई दूसरी जगह नहीं दी गई है ;

(ग) अभी तक मुसलमानों के कुल कितने मकान शरणार्थियों के कब्जे में हैं ; और

(घ) इन शरणार्थियों को रहने की दूसरी जगह कब दी जायेगी और मुसलमानों के मकान ममकान-मालिकों को कब लौटा दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) :** (क) और (घ). मुसलमानों की सम्पत्तियों में जो विस्थापित लोग रह रहे हैं, उनको या तो उन्हें अभिग्रहण करके उन्हीं सम्पत्तियों को फिर से बसाया जा रहा है या अन्यत्र वैकल्पिक स्थान दिये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) विस्थापित लोगों के कब्जे में अभी भी १५९ मुसलमान मकान हैं । उनमें से ९९ उन मुसलमानों के हैं जो पाकिस्तान चले गये थे किन्तु वे फिर वापस भारत लौट आये । शेष ६० मकान उन मुसलमानों के हैं जो अंदर ही विस्थापित हो गये हैं । यह बता दिया जाए कि पहले मामले में लगभग १२,००० मकान दिए जा चुके हैं और बाद वाले मामले में ५५९ ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : ये मुसलमानी मकान कितने समय के अन्दर खाली करवा लिये जायेंगे और शरणार्थियों को वैकल्पिक स्थान दे दिया जायेगा ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है किन्तु यह जितनजल्दी हो सकेगा किया जायेगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मुसलमानों के मकानों के ही समान बहुत से हिन्दू मकान भी हैं जो अभी तक कुछ शरणार्थियों के कब्जे में हैं । यह मकान कब खाली किये जायेंगे और मूल मालिकों को लौटाये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : हम मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों के मकानों के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जिन शर्तों के अधीन ये परिवार इन मकानों में रह रहे हैं क्या उन को कुछ किराया आदि देना पड़ता है या क्या उन को ये मकान निःशुल्क दिये गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : एक शरणार्थी स्वभाव और प्रकृति से हमेशा हकदार रहता है । १४ वर्षों से यही होता रहा है । हम जितना वसूल कर सकते हैं उतना वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु मैं विश्वास करता हूं :—

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ा आरोप है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खेद है मैं स्वयं उन में हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी हूं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरा ऐसा इरादा नहीं था । मेरे कहने का वास्तविक भाव यह है कि अधिकांश मामलों में जहां अनधिकृत कब्जा हो गया है कोई किराया वसूल नहीं हुआ है । वास्तव में किराया देने में विस्थापित लोग हमेशा हिचकिचाते हैं किन्तु मालिकों को मुआविज का हक होता है ।

†**श्री का० रा० गुप्त** : क्या (राजस्थान) अलवलर में मेव (मुसलमान) बोर्डिंग हाउस की जिस में शरणार्थी थे अभी खाली कर दिया गया है और इस को खाली होने में कितना समय लगगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : इन १५ वर्षों में जब शरणार्थियों न मुसलमानों के मकानों पर कब्जा किया था मालिकों को कर और अन्य प्रभार देन पड़े हैं हालांकि उन्हें शरणाथयों से कोई किराया वसूल नहीं हुआ । क्या सरकार इस बात का विचार करेगी और क्या करों और नगरपालिका प्रभार आदि बकाया राशि सराकार द्वारा मुआवज के तौर पर दी जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं स्थिति अच्छी तरह और पूरी तरह बताऊंगा । मैं नहीं चाहता कि एसी धारणा बनाई जाये कि हम न मुसलमानों के घरों पर विस्थापितों द्वारा किये गये कब्जे को खाली करवाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं । दो प्रकार के मुसलमान हैं जिन के कब्जे में मकान नहीं । एक वह श्रणी है जो पाकिस्तान चले गय हैं और नहरू-लियाकत संधि के अधीन उन्हें वापिस बुला लिया गया था । हम ने उन की सम्पत्तियां लौटा दी हैं वास्तव में १२,००० से अधिक मामलों में । फिर वे मुसलमान हैं जिसे अन्दर रहते ही कब्जे से हटाया गया । उन की संख्या बहुत अधिक है । और उनके मकानों पर हिन्दुओं और मुसलमानों के मकानों पर शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया । पश्चिम बंगाल सरकार ने जो अधिनियम पारित किया है उस के अधीन सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले की जांच करते हैं और मुआवजा मालिकों को मिल जाता है । जिन शरणार्थियों को खाली करने के लिये कहा गया है उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा । वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार ने बहुत शीघ्रतापूर्वक और आवश्यकतापूर्ण कार्यवाही की है ।

मोटर गाड़ियों का आयात

†*८८५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन साल में हर साल कितनी मोटर गाड़ियां विदेशों से मंगाई गयी और किस प्रयोजन के लिये; और

(ख) आयात की गयी कितनी मोटर गाड़ियां उस अवधि में और किन कीमतों पर फिर बेच दी गयीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]** ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण में जो बातें बताई गई हैं उन के अनुसार यह कैसे है कि कलकत्ता और अन्य स्थानों में व्यापारियों के प्रदर्शन-कक्षों में बहुत सी बिल्कुल नई कारें विदेशी कारें बेची जा रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । वे इस प्रकार नहीं बेची जातीं । वे सामान्य तरीके से बची जाती हैं जो मैं ने विवरण में बताये हैं अर्थात् यह कि तीन श्रेणियों में विदेशी कारें आती हैं । मैं ने पहले ही बता दिया है कि जहां तक मुख्य श्रेणी का सम्बन्ध है जिस के लिये कंट्रोल की अनुमति जारी की जाती है वे अब राजकीय व्यापार निगम के द्वारा बेची जाती हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस देश में जो तरीका अपनाया जाता है क्या वह अन्य देशों में भी अपनाया जाता है अथवा क्या हम विशेष रियायत दे रहे हैं और हम ठीक तरह से नहीं कर सकते ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हर देश में तरीका भिन्न है और हम राजनयिक दलों के नेताओं तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ इस मामले को उठा रहे हैं कि वे यह पता करें कि क्या हम ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं ताकि उन उपयुक्त कारों को जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति अधिनियम के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को दी जाती हैं, राजकीय व्यापार निगम को दे दिया जाये ताकि वे उन को सार्वजनिक नीलामों में बेचें और कुछ पुरानी कारों का उपयोग भारत सरकार के लिये या पर्यटन को बढ़ाने के लिये किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या ऐसी कारों को राजनियक दलों द्वारा बेचे जाने के लिये कोई निम्नतम् अवधि निर्धारित की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां इस का अधिनियम में उल्लेख किया गया है। यह तीन से पांच वर्ष तक है और नियंत्रण मंत्रालय अपने स्वविवेक का उपयोग इस मामले में कर सकता है।

†**श्री हेंडा :** माननीय मंत्री ने जिस योजना का अभी उल्लेख किया है वह यह है कि राजनयिक दलों द्वार इस्तेमाल कीं गयी कारें राजकीय व्यापार निगम आदि को बेची जायेंगी। यह प्रश्न पिछले दो या अधिक वर्षों से विचाराधीन है। अन्तिम सत्र में यह कब से होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके बारे में थोड़ी भ्रान्ति है। सी० सी० पी० जारी दूसरी श्रेणी के बारे में होती है। जहां तक राजनयों का संबंध है हम राजकीय व्यापार निगम के द्वारा इन कारों की बिक्री करने का रास्ता निकाल नहीं सके। हामारा प्रयत्न यही है वे यिदेशी सरकारों के प्रतिनिधि हैं और हमें इस मामले में उन से वार्तालाप करना पड़ता है और इस प्रकार की योजना को चलाने से पूर्व उन की सहमति लेनी पड़ती है।

†**श्री तिरुमलराव :** उच्च शक्ति वाली विलासपूर्ण कारों के आवंटन का क्या तरीका है जो विदेशी पर्यटकों के लिये होती हैं। क्या वे मह निदेशक को दी जाती हैं और जो उस संगठन के स्वविवेक के अनुसर उन का निपटारा करता है या उस के लिये कोई समिति है।

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है कोई उच्च शक्ति वाली विलास-पूर्ण कारें नहीं हैं। जहां तक पर्यटन का संबंध है वे स्टैण्डर्ड डौज कारें हैं जो मुख्य निर्माता द्वारा सी० के० डी० हाब्स से यहीं पर पुनः जोड़ी जाती हैं। जहां तक आवंटन का संबध है वह पर्यटक यतायात के संवर्धन के लिये पर्यटन निदेशक द्वारा ही किया जाता है और इस के परिणामस्वरूप पर्यटन में विदेशी मुद्रा की बहुत कमाई हुई है।

†**श्री तिरुमलराव :** उन्हों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आवंटन का तरीका क्या है ? क्या यह निदेशक के स्वविवेक में है या उस की सहायता करने के लिये कोई समिति है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** समिति की जरूरत नहीं. क्योंकि ये सब डी० एल० जैड० कारें हैं। विशेष निशान दिये जाते हैं और उन्हें उप ठेकेदार या टैक्सी चलाने वालों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति उपयोग में नहीं ला सकता जिन्हें महा निदेशक द्वारा अनुमोदित होते हैं। इसे किसी मंत्रणा की जरूरत नहीं। जब एक व्यक्ति पर्याटन का काम करता है कार उस को अयवंटित की जाती है।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** समाचार-पत्रों में खबर थी कुछ सप्ताह पूर्व कि भारत के बड़ें महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने यहां बिना कोई आयात पर्मिट लिये बहुत अच्छी कारें खरीदी हैं। क्या ये खब सही हैं और क्या ऐसी कारें बिना आयात लाइसेंन्स के बिना आयात की जाती हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** इस में कोई सचाई नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव :** विवरण से हम देखते हैं कि इन कारों पर पुनर्विकरी मुल्य संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं है किन्तु हम जानते हैं कि ये कारें भारी दामों पर बेची जाती हैं। अब योजना है कि राजकीय व्यापार निगम इन कारों को अवक्षयण सूत्र के अनुसार खरीं जो सरकार द्वारा अनुमोदित है। ये मूल्य पुरानी कारों के सामान्य पुनर्बिकरी के बाजार भाव की तुलना में कैसे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक नई योजना का संबंध है यह अभी लगू नहीं हुई है । हामारा विचार है कि जहां तक विक्रय मूल्य का संबंध है यह बात याद रखनी होगी कि दो श्रेणियों के बीच कुछ भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये । विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सम्बन्ध में तरीकाबद्ध करने कीकोई योजना नहीं है । किन्तु दूसरी श्रेणी के बारे में जिस के अधीन हम नियंत्रक का पर्मिट देते हैं ये कारें सार्वजनिक नीलाम के द्वारा पंजीबद्ध व्यक्तियों व्यापारियों के द्वारा वितरित की जायेंगी । हम एक योजना बना रहे हैं जिस से कि बहुत सा लाभ जो दूसरी ओर जा रहा है राजकीय व्यापार निगम के द्वारा आये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस समय राजकीय व्यापार निगम इन में से किसी कार की खरीद का काम कर रहा है और कितनी कारें उस ने खरीदी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग ६४ कारें ली गई हैं ।

तीसरी योजना में वित्तीय सहायता

+

†*८८७. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में और अधिक वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारों की मांगें क्या हैं; और

(ग) वास्तव में कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

†**श्री दाजी :** क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल की राजधानी परियोजना के लिये पृथक सहायता का वचन दिया गया था और वह आवंटित नहीं की गई है और अब राज्य सरकार ने वही सहायता केन्द्रीय सरकार से मांगी है ?

†**श्री चे रा० पट्टाभिरामन :** जब मांगें होती हैं, तो योजना आयोग उनकी जांच करता है और राष्ट्रीय विकास परिषद् में एक समझौता किया गया है । उसके बाद ऐसी कोई मांग नहीं की गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्य सरकारों की मांगें योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप में तै कर ली गई हैं और यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों के बारे में मांग कम कर ली गई है और यदि हां वे राज्य कौन से हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** प्रत्येक राज्य के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने के पश्चात् इस प्रकार की कोई कमी नहीं की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

डा० गोविन्द दास : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, क्योंकि वह एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और साथ ही साथ बहुत बड़ा प्रान्त है, इसलिए क्या उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विचार करेगी कि जितनी सहायता उसको दी जा रही है, उससे ज्यादा दी जाये ?

श्री नन्दा : इन सब बातों का विचार किया गया था जब इस मामले का फैसला किया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश की हालत और उसकी ज़रूरियात को ध्यान में रखा गया था।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या किसी राज्य सरकार ने योजना के आवंटन से अधिक मांग की है और क्या केन्द्रीय सरकार योजना के बाहर धन की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

†**श्री नन्दा :** जी नहीं।

"हेरल्डो"[१]

†*८८८. **श्री याज्ञिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में 'हेरल्डों' नामक दैनिक समाचार-पत्र प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार के विरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार कर रहा था;

(ख) क्या अभी हाल मे गोआनियों की एक बड़ी भीड़ ने उस समाचार-पत्र की प्रतियां समाचार-पत्र के दफ्तर के सामने जलाई हैं; और

(ग) क्या सरकार इस समाचार-पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**विदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग). 'हैरल्डो' समाचार-पत्र कुछ समय से भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है। १९ मार्च की इस अखबार की प्रतियां कुछ गोआनी प्रदर्शनकारियों द्वारा चला दी गई थीं। समाचार-पत्र ने १५ अप्रैल से प्रकाशन बन्द कर दिया है और इसके मालिकों ने पुर्तगाल चले जाने के लिये अर्जी दी है।

†**श्री याज्ञिक :** क्या भारत विरोधी और पुर्तगाल के पक्ष में प्रचार करने वाला और कोई समाचार-पत्र अभी भी गोआ मे चल रहा है और क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** हमारे देश में प्रेस को स्वतंत्रता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या और कोई समाचार-पत्र ऐसा प्रचार कर रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह :** हमें पता नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी भी पुर्तगाल के समर्थक लोग वहां गोआ में काम कर रहे हैं, क्या गोआ की स्वाधीनता का अर्थ है स्वत: भारतीय नागरिकता अथवा क्या वहां पुर्तगाल समर्थक लोगों को छांटने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** यदि कोई गैर-सरकारी नागरिक कुछ विचार रखता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। किन्तु यदि वह कुछ ऐसा काम करता है जिससे वह किसी विधि का उल्लंघन करता है, तो उसे दंड दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Hereldo.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गोआ में इन समाचार-पत्रों के प्रचार के अतिरिक्त भी क्या किन्हीं और एजेंसियों के द्वारा भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है, यदि हां, तो उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या यत्न किये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कोई ऐसा बड़ा प्रचार किसी आर्गेनाइज्ड तरीके से होने के समाचार तो नहीं मिले हैं । लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो जैसे मैंने बताया है कि अगर वह कानून के खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ़ कानून के अन्तर्गत ऐक्शन लिया जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं । उपमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि उस प्रकार का कोई प्रचार वहां बड़े पैमाने पर नहीं हैं, और सरकार को उस का पता नहीं है । परन्तु यह तथ्य के प्रतिकूल है कि बासरोडा गामा स्थान पर एक बम गाड़ा गया था, जब हमारे प्रशासन ने एक सभा आयोजित की थी । इस से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर वहां काम हो रहा है, गोआ में भारतीय हितों के विरुद्ध काम हो रहा है । इसलिये औचित्य प्रश्न यह है कि उपमंत्री इस तथ्य का खंडन करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में औचित्य प्रश्न कहां है ?

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न तथ्य के खंडन में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कोई विधिगत मामला, नियम या विधि अन्तर्ग्रस्त है कि मुझे फैसला देना है । हम प्रचार की बात कर रहे हैं, बमों के फटने की नहीं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम,:** क्या माननीय मंत्री को पता है कि बहुत से पुर्तगाली समाचार-पत्र जो भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं, गोआ मे बाहर से आ रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह :** मुझे इस का पता नहीं ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों गोआ, दमन और दीव में भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार या पुर्तगाल समर्थक प्रचार करना भारतीय दंड संहिता के अधीन एक अपराध नहीं है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** जैसा कि मैंने बताया, बड़े पैमाने पर कोई प्रचार नहीं । इस समाचार-पत्र ने एक या दो लेख प्रकाशित किये । स्वयं लोगों ने इसे पसन्द नहीं किया और उस की बिक्री नहीं हुई । इसलिये उसे बन्द करना पड़ा ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या भारत सरकार की सर्वप्रभुता के विरुद्ध कोई प्रचार करना भारतीय दंड संहिता के अनुसार वास्तव में एक अपराध नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों से विधि सम्बन्धी काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । यह अपराध है या नहीं, उन का मत माननीय सदस्य के लिये कोई महत्व नहीं रखेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या कोई कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह पूछा जा सकता है कि क्या कोई कार्रवाई करने का विचार है ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या इस भारत विरोधी और पुर्तगाल समर्थक प्रचार को रोकने के लिये इस समय वर्तमान विधि के अन्तर्गत कोई कार्रवाई की जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह :** जैसा मैंने बताया, केवल इसी समाचार-पत्र ने एक या दो लेख प्रकाशित किये हैं। वह अखबार बन्द कर दिया गया है। वह व्यक्ति पुर्तगाल का राष्ट्रजन है और वह वहां से जाना चाहता है।

†**श्री बड़े :** प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने उचित उत्तर नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां मंत्री का यह बताने का काम नहीं है कि क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस सम्बन्ध मे विधि क्या है। जैसा मैं ने बताया, विधि सम्बन्धी काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये यहां पर। अब सरकार से केवल तथ्य पूछे जा सकते हैं **(अन्तर्बाधाएं)**। मैं ने इस प्रश्न की अनुमति दी है कि क्या ऐसा प्रचार करने वाले किसी पत्र के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या हम यह नहीं जान सकते कि क्या सरकार इस प्रश्न की विधिगत स्थिति का परीक्षण कर रही है या नहीं, क्योंकि एक पुर्तगाली राष्ट्रजन जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुकर्जी बिल्कुल दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सरकार उस पहलू की जांच कर रही है या नहीं। परन्तु विधि सम्बन्धी काल्पनिक प्रश्न यहां नहीं पूछे जा सकते। क्या सरकार उस प्रश्न पर विचार कर रही है या नहीं, यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह भारतीय दंड संहिता के उपबंधों में आता है।

हिमाचल प्रदेश में घड़ी का कारखाना

†८८९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में घड़ी का कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापित योजना के संबंध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में मंत्री (श्री कानूनगो) :** कारखाने की जगह के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। फर्म को जनवरी, १९६२ में पुर्जों, औजार घर के उपकरणों तथा कच्चे माल का आयात करने के लाइसेंस दिये गये थे। आशा है कि वह शीघ्र ही पुर्जे जोड़ कर कलाई की घड़ियां तैयार करना आरम्भ कर देगी ?

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जिस फर्म के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया जा रहा है, उसका क्या नाम है और किस स्थान पर वह स्थापित किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : भारत इंडस्ट्रीज। हिमाचल प्रदेश में सोलन के पास जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहीं पर यह होगा।

श्री भक्त दर्शन : इस कारखाने में किस तरह की घड़ियां बनाई जायेंगी—दीवाल पर लटकाने वाली या मेज पर रखने वाली ?

श्री कानूनगो : रिस्ट वाचेज, कलाई की घड़ियां।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** इस फैक्टरी को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने में क्या कठिनाई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल दूसरी बात है ।

श्री प्र० के० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कारखाना पब्लिक सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में ?

अध्यक्ष महोदय : फर्म का नाम तो उन्होंने बतला दिया ।

श्री प्र० के० देव : जब वह प्राइवेट सेक्टर में होगा तब हिन्दुस्तान मैशीन टूल्स में जो घड़ियां बनती हैं, उन के साथ उस का कैसा सम्बन्ध रहेगा ?

†**श्रीकानूनगो** : काफी घड़ियो की मांग है, ऐसी दस फैक्ट्रियां चल सकती हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह फैक्टरी किसी विदेशी फर्म के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है यदि हां तो उस फर्म का नाम क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : इस उपक्रम में नहीं ।

†**श्री हेडा** : क्या इस काम के लिये श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है और यदि हां तो कितने लोगों को ?

†**श्री कानूनगो** : उनको निर्माण के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

श्री भक्त दर्शन : यह कारखाना जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा कार्य कर सके इसके लिए केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है ?

श्री कानूनगो : माल लाने का लाइसेन्स दे दिया और फैक्टरी का न्तिजाम कर दिया, और क्या करने का है ।

नयी दिल्ली नगरपालिका की बकाया रकमें

†*८९१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली नगरपालिका का भारत सरकार के पास जितनी बकाया रकम का दावा है, उस के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) ये बकाया रकमें कब से पड़ी हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार और नयी दिल्ली नगरपालिका के बीच झगड़ा अब तय हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस तरह ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) से (घ). नई दिल्ली नगरपालिका और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो और विभागों के बीच दावे के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय सम्पत्ति के लिये मकान-कर और सेवा-शुल्क के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर नई दिल्ली नगरपालिका के दावे के बारे में स्थिति यह है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने लगभग १४७ लाख रुपये का दावा किया है । यह रकम निकालने में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अपनाया गया आधार सरकार द्वारा स्वीकृत आधार से भिन्न

†मूल अंग्रेजी में

है । इस समय इन शुल्क को अन्तिम रूप देने के लिये एक साधारण फार्मूला निकालने का प्रश्न विचाराधीन है । इतने समय में, मार्च, १९६२ में नई दिल्ली नगरपालिका को ७५ लाख पये का अस्थायी भुगतान कर दिया गया । नई दिल्ली नगरपालिका ने भी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को सीवर और पानी के मेन बिछाने और बाग वगैरा लगाने के लिये भुगतान करना है और पिछले भुगतान के बाद नई दिल्ली नगरपालिका को बाकी भुगतान की रकम थोड़ी ही होगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : प्रश्न का उत्तर इतना लम्बा होने पर मंत्री महोदय ने सभा पटल पर एक विवरण क्यो नहीं रख दिया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न की लम्बाई के बावजूद भी क्या उन्होंने कोई प्रश्न पूछना है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमें सदस्यो के विशेषाधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । लम्बे उत्तर को समझना और फिर अनुपूरक प्रश्न पूछना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सदस्यों का विशेषाधिकार है । दूसरी ओर भी विशेषाधिकार का प्रश्न है । जब कभी सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो वे उसको इतना लम्बा बना देते हैं और उसको समझना मुश्किल हो जाता है और जब तक उसका छोर आता है, प्रथम भाग हम भूल जाते हैं । अतः मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि प्रश्न और उत्तर छोटे, सारयुक्त और समझने योग्य हों । उत्तर स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिये और सूक्ष्म भी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : प्रश्न की सूचना काफी पहले दी गई थी । अतः वे सभा पटल पर विवरण क्यो न रख सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अच्छा होता । यदि उत्तर लम्बा हो, तो सभा पटल पर एक विवरण रखा जाये ताकि सदस्य इसको पढ़ कर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये तैयार हों क्योकि बड़े उत्तर को समझ पाना कठिन है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : यह बकाया रकम कब से पड़ी है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह वर्ष १९५२ से बकाया है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच नहीं है कि नई दिल्ली नगरपालिका और सरकार के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिये हमारे गृह-मंत्री से मध्यस्थता करने को कहा जा रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : हाल ही में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, श्री भट्टाचार्य, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है जो दोनो पक्षों के दावों पर विचार करेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इसमें और पांच वर्ष लगेंगे ।

†**श्री दाजी** : नगरपालिका ने सरकार से १४७ लाख रुपये मांगे हैं । सरकार को नगरपालिका से कितनी रकम लेनी है ? क्या वह इसमें समायोजित की जावेगी ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जैसा मैं उत्तर में बता चुका हूं, मार्च १९६२ में नगरपालिका को ७५ लाख रुपये दे दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : नगरपालिका ने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को कितनी रकम देनी है ?

†**श्री जगन्नाथराव** : केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग प्रथम तो सरकारी बस्तियों के अन्दर और बाहर दोनों ओर कुछ सेवाओं के लिये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका की ओर से किये गये व्यय के लिये ८६ लाख रुपये और दूसरे नई दिल्ली नगरपालिका की ओर से केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग द्वारा लगाये गये उद्यानों पर ४५ लाख रुपये का दावा करता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह भट्टा वार्य समिति अपने प्रतिवेदन को कब अन्तिम रूप देगी और सारा निबटारा कब तक हो जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : ऐसी धारणा बन गई है कि हम नई दिल्ली नगरपालिका का रुपया रोक रहे हैं । मुझे जो जानकारी दी गई है, उस के अनुसार निबटारे के बाद जो रकम बचेगी, वह बहुत थोड़ी होगी । यह मामला वर्ष १६४४ से, लगभग १८ वर्ष से लम्बित है (**अन्तर्बाधा**) । इस दीर्घ कालीन विवाद पर मुझे दुख है । परन्तु मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि हम इसे शीघ्र निपटायेंगे । यदि सम्भव हुआ तो मैं सदन में अगले महीने, सदन स्थगित होने से पूर्व एक वक्तव्य दूंगा कि इस मामले में क्या प्रगति की गयी है ।

भारत से निर्यात

+

†*८६३. **श्री वारियर :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने विदेशी फर्मों के साथ जो सहयोग के करार किये हैं उन में से कुछ करारो में कुछ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबन्धों को हटवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (ी मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार की नीति यह है कि विदेशी सहयोग के करार से भारत से निर्यात की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । तथापि, विभिन्न कारणों से इसको हमेशा मानना संभव नहीं है । विदेशी कम्पनियां घरेलू मं ी में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहतीं और अन्य देशों में निर्माताओ के साथ किये गये करारों से भी वे अन्य देशों को इस सामान का निर्यात नहीं कर सकते । इन परिस्थितियों में सहयोग के प्रत्येक प्रस्ताव को सावधानी से जांच की जाती है और यदि निर्यात निर्बाध रूप से करने की आज्ञा नहीं दी जाती, तो पक्षों को अधिकाधिक संख्या में देशों को निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने का परामर्श दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्योंकि सहयोग के करारों का निर्यात के दृष्टिकोण से विचार करके मंजूर किया जाता है, बाद में इन प्रतिबन्धों को हटाना संभव नहीं होगा । तथापि, पहले से मंजूर शुदा विभिन्न सहयोग करारों में प्रतिबन्धित निर्यात खंडों का अध्ययन किया जा रहा है और वर्तमान निर्यात प्रतिबन्धों में ढील देने के विचार से बातचीत की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा ।

†**श्री वारियर :** इन सब करारों पर सरकार किस प्रकार विचार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** करारों सम्बन्धी नीति पर नियंत्रण करने के लिये, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जहां तक संभव हो प्रविधिक सहयोग करार के एक भाग के रूप में हमें निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाने देना चाहिये जब तक कि विदेशी पक्ष किसी मंडी को निर्यात बन्द करने पर जोर न दें और राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक न हो जाये, विभिन्न स्तर पर अन्त्रमंत्रालय परामर्श समिति है और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को अधिकार दिये गये हैं ।

†**श्री वारियर** : इस निर्यात मे किन वस्तुओं पर इस समय प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सूची बहुत लम्बी है । सभा को मैं जो भी आश्वासन दे सकता हूं वह यह है कि इस बारे में हम बड़े चिन्तित हैं । पिछले कई वर्षों में हमने ऐसे बहुत कम करारों की अनुमति दी है जिनमें निर्यात प्रतिबन्ध हैं । परन्तु पहले के वर्षों में कई करार थे जिनमें निर्यात प्रतिबन्ध थे अर्थात्, १९५१, १९५२, १९५३ और १९५४ में । हम एक के बाद एक पक्षों को बुला रहे हैं ताकि वे यह देखें कि आपसी समझौते से प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम में संशोधन किया जा सके ताकि अधिक निर्यात की अनुमति दी जा सके :

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह कहा गया है :

> "सरकार की यह नीति है कि विदेशी सहयोग के करारों से किसी प्रकार भी भारत से निर्यात पर प्रतिबन्ध न लगे ।"

बाद में विदेशी कम्पनियों की चर्चा के बाद कहा गया है कि :

> "क्यों कि सहयोग के करारों को, निर्यात के दृष्टिकोण से जांच करके स्वीकृति दी जाती है, बाद में इन प्रतिबन्धों को हटाना सामान्यत: सम्भव नहीं होगा ।"

फिर यह कहा गया है कि प्रतिबन्ध वाले निर्यात खण्डों का अध्ययन किया जा रहा है । इन मामलों पर सरकार द्वारा सहयोग के करारों को स्वीकृति दिये जाने से पूर्व क्यों विचार नहीं किया गया था और अब यह अध्ययन बाद में क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा नहीं है । औद्योगिक नीति के व्याख्या करने के बाद से सरकार की प्रमुख नीति यह है कि हमें निर्यात पर प्रतिबन्ध वाले खण्डों की अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसके कारण हैं । एक विदेशी सहयोगी के भी विश्व के अन्य भागों में ऐसे ही करार होते हैं । अन्य देश, जिनको सहयोग प्राप्त हो रहा है, अपने की अपेक्षा किसी देश से आयात नहीं कर सकते । अत: अन्तर्राष्ट्रीय करारों के जरिये हमें वे मानने पड़ते हैं । परन्तु मोटे तौर पर पिछले कई वर्षों में यथा संभव निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति देने की नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : फिर "यथा सम्भव" कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : जहां तक निर्यात संवर्द्धन का प्रश्न है, यह विदेशी सहयोग करार सरकार की नीति से भिन्न लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन विदेशी सहयोग करारों के लिये कौन जिम्मेवार हैं और इसको समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इसको समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकाधिक विदेशी प्रविधिक सहयोग का स्वागत किया जाता है। जो कुछ हम कर रहे हैं, वह यह है कि हम इस तरीके से नीति को अधिकाधिक बढ़ा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में कुछ करार किये गये हैं जहां २०, २५, ३० और ४० प्रतिशत तक निर्यात की गारन्टी की गयी है।

†**श्री दाजी** : मन्त्री महोदय का कहना है कि सूची बड़ी लम्बी होगी। मैं समझता हूं। परन्तु क्या मन्त्री महोदय उन महत्वपूर्ण बातों और समवायों की, जहां यह सहयोग चल रहा है, एक सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सम्भव नहीं है। वे सभी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। सभी करारों को एक स्थान पर एकत्र करना कठिन है। यदि माननीय सदस्य को एक या किसी ऐसे करार की, जिनकी उनको जानकारी है, चिन्ता है, तो मैं उस पर उनसे बातचीत करने को और उसको सभा पटल पर रखने को भी तैयार हूं।

†**श्री वारियर** : कितने पक्ष अपने करारों में संशोधन करने को तैयार हो गये हैं और कब तक सारी बातों की जांच हो जायेगी और निर्यात की अनुमति दे दी जायेगी ?

†**श्री मनु भाई शाह** : पहले तो, मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं निर्यात पर प्रतिबन्ध बड़ी संख्या में नहीं लगाये गये हैं, क्योंकि कुछ निर्मित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य निर्यात बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त कई समवायों ने नवीकरण अथवा पुनर्विलोकन के लिये कहा है, जो करार में संशोधन करने को राजी हैं। और वर्ष १९४८ और १९४९ में जो साइकिल सम्बन्धी करार किया गया था और जिसमें निर्यात पर पूर्व प्रतिबन्ध था, अब यह प्रतिबन्ध वाला खण्ड पूर्व रूप से निकाल दिया गया है।

†**श्री प्रभातकार** : मन्त्री महोदय ने बताया कि निर्यात के प्रतिबन्ध केवल निर्मित वस्तुओं पर ही हैं। क्या सच नहीं है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का उत्पादन,जो भारत में सर्वोत्तम उत्पादनों में से है, इस करार के जिससे निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है, अन्तर्गत आता है ?

†**श्री मनु भाई शाह** : यह सच है कि जब हमने वर्ष १९५२–५३ में ओरलिकोन्स के साथ करार किया था, हमें वह शर्त माननी पड़ी थी कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ओरलिकोन्स खराद का निर्मात नहीं किया जायेगा परन्तु हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि वह करार हमारे बीच में न पड़े और जैसा सदन को पता है, हमने हाल में ही हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से १८ लाख रुपये के मशीनी औजार निर्यात किये हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे तरीके और प्रक्रियायें हैं जिनकी कानूनी तौर पर जांच पड़ताल करके हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये करार निर्यात में प्रतिबन्धित न हो।

कोरट्टी में भारत सरकार मुद्रणालय

\+

†*८९७. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री ७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्य ७६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मुद्रणालय के लिये कोरट्टी (केरल राज्य) में जमीन कब प्राप्त की गयी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) अब वह जमीन किस काम में लायी जा रही है ; और

(घ) कोरट्टी में किस ढंग का मुद्रणालय खोलने का सरकार का विचार है और यह किस वर्ष खोला जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) लगभग ४ वर्ष पूर्व ।

(ख) १०४.५८ एकड़ ।

(ग) इस भूमि पर मुद्रणालय की इमारत और कर्मचारियो के क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है। योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(घ) प्रस्तावित मुद्रणालय को मुख्यत: फार्म छापने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। इसके अगले दो वर्ष में चालू हो जाने की आशा है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह भूमि ली गई थी, क्या इस पर सुरक्षा मुद्रणालय बनाने का विचार था; और यदि हां, तो सरकार ने इस योजना को क्यों बदला ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : कोयम्बटूर में मुद्रणालय पुस्तकें, पोस्टर और अन्य सामान छापने के लिये है ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब पहले पहल भूमि ली गयी थी, इस पर सुरक्षा मुद्रणालय बनाने का विचार था; और यदि हां, तो इस योजना में सरकार को परिवर्तन क्यों करना पड़ा ।

†**श्री जगन्नाथराव** : केरल में कोरट्टी में सुरक्षा मुद्रणालय बनाने का सरकार का कोई इरादा नहीं था ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने अब तक इस मुद्रणालय के लिये मशीनों के लिये कोई आदेश दिये हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : हाल ही में वित्त मन्त्रालय द्वारा ९२९ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी है और अपेक्षित मशीनों के लिये क्रमादेश दिये जायेंगे ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या, इस मुद्रणालय के लिये केरल में भूमि प्राप्त किये जाने के बाद, भारत के किसी भाग में कोई अन्य सरकारी मुद्रणालय चालू किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: जहां तक मुझे पता है, भारत भर में सरकार के १२ मुद्रणालय हैं। जहां तक इस मुद्रणालय का सम्बन्ध है, भूमि प्राप्त करने में कुछ कठिनाई थी और मुख्य कठिनाई विदेशी मुद्रा की थी । जब हमें विदेशी मुद्रा मिल गयी, तो हमने कुछ मशीनों का आयात किया परन्तु वह मशीनें मुद्रणालय में उन मशीनों के स्थान पर लगा दी गयीं, जो पुरानी हो गयी थीं । अब हमारे पास कुछ फालतू विदेशी मुद्रा है और हमें आशा है कि हम अगले दो वर्षों में इस मुद्रणालय को चालू कर देंगे ।

†**श्री वारियर** : मन्त्री महोदय ने जो भी जानकारी दी है, वह सब सही नहीं है । वह इस मन्त्रालय में नये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको केवल इधर आने को और सही जानकारी देने को कह सकता हूं।

†**श्री वारियर :** मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनसे इस बारे में सही वक्तव्य देने को कहें।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मैं कैसे कह सकता हूं। यदि वह बाद में मुझे बताये कि दी गयी जानकारी सही नहीं है, तो मैं यह पता लगाऊंगा कि इसमें कोई गलती है या नहीं और हम यह भी पता लगायेंगे कि गलत जानकारी क्यों दी गयी है। इस समय यदि वह कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** कौन सी जानकारी गलत है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि सभी बातें गलत हैं।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच नहीं है कि कोरट्टी मुद्रणालय के लिये जो मशीनें मंगाई गई थीं, वहां नहीं भेजी गयी परन्तु उन्हें कोयम्बटूर ले जाया गया और वहां एक नया प्रेस लगा दिया गया ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** दो भिन्न मुद्रणालय हैं। हम केरल में कोरट्टी में मुद्रणालय की बात कर रहे हैं। हमने जो जानकारी दी है, वह प्राप्त की गयी भूमि और कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के बारे में है। मने बताया कि हम दो वर्षों में मुद्रणालय चालू कर देंगे। यदि माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें विलम्ब हुआ है, तो मैं यह मानने को तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री जारियर :** एक और प्रश्न ;

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का प्रव्रजन

+

†*८६९. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान के सैकड़ों शरणार्थी राजशाही में साम्प्रदायिक दंगों के कारण पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल आये हैं ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि माल्दा और आसपास के जिलों से अनेक मुस्लिम माल्दा में साम्प्रदायिक दंगों के बाद पूर्व पाकिस्तान चले गये हैं ;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से यह कहा है कि वह उन मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों को अपने अपने घरों में वापस लाने की व्यवस्था करे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पूर्व पाकिस्तान अधिकारियों के सामने जवाब में ऐसा ही कोई प्रस्ताव रखा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). हमें यह बताया गया है कि पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य पश्चिम बंगाल में आये हैं। ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल से पूर्व पाकिस्तान में असामान्य रूप से लोग बाग सीमा में पार नहीं गये हैं ।

(घ) और (ङ). पाकिस्तानी समाचार पत्रों में भारत से बड़ी संख्या में मुस्लिमों के पाकिस्तान जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद, २९ अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को पूव पाकिस्तान की सरकार से समाचार पत्र के इस समाचार के बारे में २९ अप्रैल का एक तार प्राप्त हुआ । पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने ३० अप्रैल के तार में ढाका के मुख्य सचिव को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल को सरकार उन मुस्लिम शरणार्थियों के पुनर्वास को पूरी जिम्मेदारी सम्भालने को हमेशा तैयार है, जो माल्दा से राजशाही चले गये हों, और उनसे प्रार्थना की कि वे राजशाही के जिला न्यायाधीश को माल्दा के न्यायाधीश को उन व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, अर्थात् नाम, पिता का नाम और राजशाही जाने वाले भारतीय मुसलमानों के ग्रामीण पते, देने को कहें। अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियो ने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। हमें पाकिस्तान द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को की गई ऐसी किसी प्रार्थना का पता नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सच है कि राजशाही में लोगों ने बड़ी संख्या में उप-उच्चायुक्त से आव्रजन प्रमाणपत्र देने को कहा है और कहा है कि या तो हमे आव्रजन प्रमाणपत्र दो या जहर दे दो और अभी तक आव्रजन प्रमाण पत्र नहीं दिये गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : काफी लोगों ने आव्रजन प्रमाणपत्रों के लिये राजशाही में हमारे उपउच्चायुक्त से कहा है । उनके मामलों की जांच की जा रही है ।

†**श्री प्रभात कार** : राजशाही में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि आव्रजन प्रमाणपत्र देने में कितना समय लगेगा ताकि लोग पश्चिम बंगाल आ सकें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम प्रश्न की जांच कर रहे हैं । अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जा रही है । ताकि प्रमाणपत्र शीघ्र दिये जा सकें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : पूर्व पाकिस्तान के इस भाग में अल्पसंख्यकों की स्थिति खतरे मे देखते हुए, क्या सरकार उन को अविलम्ब आव्रजन प्रमाणपत्र देने पर विचार नहीं कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम ऐसा कर रहे हैं । मैंने यह भी बताया है कि असामान्य रूप से मांग को पूरा करने के लिये, आव्रर्जन प्रमाण पत्र शीघ्र देने के लिये वहां अतिरिक्त कर्मचारी भेजे जा रहे हैं ।

† **ी ह० प० चटर्जी** : क्या सरकार इस ओर आना चाहने वाले लोगों पर से सभी प्रतिबन्ध हटाने को तैयार है क्योंकि लियाकत समझौते में यह भी एक खण्ड था कि इस ओर आने वाले लोगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पूर्व पाकिस्तान में पश्चिम बंगाल में प्रव्रजन के बारे में सभी समझौतों का सरकार पालन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मंत्री महोदय के कथनानुसार, पूर्व पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत लोग पश्चिम बंगाल आ गये हैं, क्या यह सच है कि पाकिस्तान की अयूब सरकार ने अप्रैल, १९५० के नेहरू-लियाकत समझौते का औपचारिक रूप से प्रत्याखान कर दिया है या यह महज व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये 'अप्रचलित' हो गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सदन को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पाकिस्तान सरकार निरन्तर इन समझौतों का उल्लघन करती रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या उन्होंने औपचारिक रूप से समझौते का परित्याग कर दिया है अथवा इस मामले में उन्होंने क्या किया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उनकी ओर से, यह स्पष्ट है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मंत्री महोदय उन लोगों की ठीक संख्या बता सकते हैं जिन्होंने आव्रजन प्रमाणपत्र मांगे हैं और उनके आवदन पत्र कब से उच्च आयुक्त के कार्यालय में लम्बित पड़े हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं, परन्तु यह संख्या हजारों में है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या सरकार को पता है कि आव्रजन की वर्तमान प्रतिबन्धित स्थिति में, इन लोगों के लिये, कम से कम निकट भविष्य में, आव्रजन संभव नहीं होगा और यदि हां, तो क्या सरकार उन प्रतिबन्धों में ढील देने और उनका आव्रजन सरल और शीघ्र करने को तैयार है ?

† **ीमती लक्ष्मी मेनन :** मामले पर विचार किया जा रहा है । जहां कहीं मानवीय कठिनाई होती है, सरकार सदैव प्रतिबन्धों में ढील देती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह कोई पहला अवसर नहीं है जब पाकिस्तान में इस प्रकार के उपद्रव हुए हैं और वहां से कुछ हिंदू घर छोड़ कर बंगाल आए है । इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनायें हुई हैं । तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार क्यों किसी स्थायी समाधान का यत्न नहीं करती जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ? या फिर एक साथ ही उनको बुला लिया जाय और उनके स्थायी निवास की व्यवस्था कर दी जाए और उतने ही व्यक्ति उधर भेज दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या उन व्यक्तियों को जो इस बार पूर्व पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, पुनर्वास के पूरे असवर दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** जहां तक पूर्व पाकिस्तान से आने वाले नये लोगों का सम्बन्ध है हमारी नीति अब तक उनको प्रव्रजन मानन की रही है न कि आव्रजक । अन्तर यह है । विभाजन के बाद जो भारत आये उन्हें शरणार्थी माना गया ; और शरणार्थी की परिभाषा यह है ---मैं स्मरण शक्ति के बल पर बता रहा हूं---१ मार्च, १९४७ के बाद जो, पूर्व या पश्चिम, पाकिस्तान से आता है ; और पूर्व पाकिस्तान के मामले में यह तिथि १९४९ थी ; चाहे उपद्रवों के कारण आय या उपद्रव के भय से, उनको विस्थापित व्यक्ति माना जाता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९५७ में हमने एक निर्णय किया कि उसके बाद पूर्व पाकिस्तान ने विस्थापित व्यक्ति के रूप में आने वाले किसी व्यक्ति को पुनर्वास के लिये आव्रजक नहीं माना जायगा ।

जहां तक नये आने वालों का सम्बन्ध है, उनके बारे में हमें, जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मंत्री महोदय ने 'शरणार्थी' आदि की व्याख्या की है । मैं जानना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों और उन परिवारों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाये गये हैं, जो पश्चिम बंगाल आये हैं मैं य ह भी जानना चाहता हू कि ऐसे कितने परिवार कठिनाई का सामना कर रहे हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** उनको सहायता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है । मैं तो केवल पुनर्वास मंत्री था । यदि मैं उनको विस्थापित व्यक्ति मान सकता तो जरूर मैं उनकी जिम्मेदारी संभालता सहायता और पुनर्वास दोनों के लिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** सरकार द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, कि सीमा पर ऐसे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मौका पाने पर कभी भी आ सकते हैं, क्या मैं य ह समझूं कि पुनर्वास मंत्री को यह चेतावनी नहीं दी गई है और वह व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ताकि यहां आने पर इन लोगों को सहायता और अन्य सुविधायें दी जा सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और वह कह चुके हैं कि वह सब सहायता देना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है । उनका सवाल जब आता है जब उनको पुनर्वासित किया जाना हो ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इस समय सीमा पर जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्वास मंत्रालय, जो छिन्न है, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्पर्क से, पश्चिम बंगाल सरकार या अन्य किसी की भी सहायता करने को तैयार नहीं हो रहा है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मेरा मंत्रालय छिन्न नहीं है । निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में दो विभाग हैं । । एक पूर्ण रूपेण पुनर्वास विभाग है और दूसरा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय है । मैं दोनों विभागों का इन्चार्ज हूं ।

जहां तक इन अभागे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति का सम्बन्ध है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है । परन्तु आज जो स्थिति हम मान रहे हैं वह यह है कि क्या हम उन सभी व्यक्तियों को, जो वर्ष १९५७ के बाद के पांच वर्षों में पूर्व पाकिस्तान से आये हैं, विस्थापित व्यक्ति मानें ? पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से एक निर्णय किया गया था । हम चरम सीमा पर पहुंच गये हैं । यहां पर पूर्व पाकिस्तान से ४० लाख से भी अधिक विस्थापित व्यक्ति आये हैं । हम उनको ही बसाना कठिन पा रहे थे । फिर यह निर्णय किया गया कि हम इस मामले में आगे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे । अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या नये प्रव्रजकों को विस्थापित व्यक्ति माना जाये और सरकार उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी ले ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या हम यह समझें कि वर्ष १९४७ में दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कई माननीय सदस्य** उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। क्या हम इस विषय पर अभी लगभग आधे घंटे तक नियमित रूप से चर्चा कर सकते हैं ? इस प्रश्न पर दस मिनट व्यय हो चुके हैं । सदस्यों को भी यह समझना चाहिये कि कोई सीमा होनी चाहिये । यदि मैं चार या पांच प्रश्न और पूछे जाने की अनुमति दूं अथवा वह सारा समय दूं जो बचा है, ो माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होंगे क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जिस पर नियमित रूप से चर्चा होनी चाहिये, प्रश्न-काल में नहीं । वे नियमित रूप से चर्चा के लिये कहें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** तत्काल सहायता का क्या हुआ ?

†**श्री ह० प० चटर्जी :** मामला अत्यन्त आवश्यक है । हजारों लोग भूखे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । उन्होंने अपने भाव और भावनायें व्यक्त की हैं । सदन के सम्मुख अनुदानों की मांगें आ रही हैं । तब उनको अवसर मिलेगा । उस चर्चा में माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं । वहां पर यह मामला उठाने के लिये मैं उनको पूरा अवसर दूंगा । अगला प्रश्न ।

†**श्री ह० प० चटर्जी :** वहां हजारों लोग भूखों मर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री ह० प० चटर्जी :** आज चर्चा हो जाने दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । क्या चर्चा अब हो सकती है ?

†**श्री ह० प० चटर्जी :** शान्ति, शान्ति पुकार कर, आप भूख नहीं रोक सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे ?

†**श्री ह० प० चटर्जी :** हम अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कई बार व्यक्त कर चुके हैं । और वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री बड़े :** इस प्रश्न के लिये और समय दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कब तक चलता रहूं ? वह बात मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं । क्या इन बाकी पांच या छः मिनटों में यह समाप्त किया जा सकता है ?

†**श्री ह० प० चटर्जी :** इस पर एक स्थगन प्रस्ताव होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं स्वयं वह रखूं ?

†**श्री ह० प० चटर्जी :** आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते । कठिनाई यह है ।

† **ो प्रभात कार :** क्या मैं भाग (ग) के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार

+

†*९००. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के सरकारी पत्र "चाइना टुडे" के ५ मई के अंक की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अन्य बातों के अलावा (१) चीन के विदेश मंत्री का ३० अप्रैल का टिप्पण (नोट) जिसमें चीन के राज्य-क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के कथित प्रवेश का उल्लेख है, और (२) सरकारी अधिकारियों के दल की रिपोर्ट का "संक्षिप्त विवरण" जो चीन के हक में है, प्रकाशित किया गया है जो भारत की सीमा की अभिन्नता को खुले आम चुनौती है ;

(ख) क्या यह राजनय के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) किसी राज्य में स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा प्रचार करने के अधिकार के बारे में निश्चित अभिसंकेत हैं । भारत सरकार आम तौर पर ऐसे प्रकाशनों के बारे में उदार मन से विचार करती है भले ही वह भारत सरकार की टीका करते हों । किन्तु, चीन और भारत के सरकारी अधिकारियों के दलों की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण , जो चीनी दूतावास के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है, और जो भारत की सीमा की अभिन्नता को चुनौती देता है, देश के कानून और खास कर दंड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ का उल्लंघन करता है । विदेशी दूतावासों द्वारा जिस राज्य में वह स्थित हों उसके कानून का उल्लंघन करना उस राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता ।

(ग) कानून का उल्लंघन करने के लिये चीनी दूतावास को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा गया है और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ की धारा ४ के अन्तर्गत "चाइना टू-डे—१८, १९६२" की तथा उसके अनुवाद की सभी प्रतियां जब्त कर सरकार के पास जमा कराने का आदेश दे दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि इस प्रकाशन के देश भर में वितरण के फलस्वरूप काफी क्षति होने के बाद कार्यवाही की गई और वह भी विशेषाधिकार प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं से सरकार का ध्यान दिलाने पर की गई क्या हम यह मानकर चलें कि इस उदासीनता और असावधानी से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य इस प्रकार के विचार व्यक्त करके संतोष प्राप्त कर रहे हैं ? उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन् मेरा निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर मामला है । "चाइना टुडे" के २० मई के अर्थात् कल के अंक में फिर वही बातें प्रकाशित हुई हैं । मुझे खेद है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे खेद है कि जब तक सरकार का ध्यान इस सभा में न दिलाया जाये तब तक वह कार्य नहीं करती।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री हेम बरुआ** : कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

† **ीमती लक्ष्मी मेनन** : गृह-कार्य मंत्रालय आदेश जारी करता है न कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय माननीय सदस्य को इस मंत्रालय से असन्तुष्ट न होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय**: सरकार इस बात का उत्तर दे सकती थी कि कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों हुआ। प्रश्न बहुत स्पष्ट है इसलिये उत्तर दिया जाना चाहिये था। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कार्यवाही में विलम्ब क्यों हुआ ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह आपत्तिजनक प्रकाशन किस प्रेस में छपा था; उस प्रेस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उस प्रेस का नाम "न्यू एज प्रेस" है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस प्रेस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मेरा ख्याल है कि मामला विचाराधीन है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं उत्तर को सुन नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामले पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा** : क्या चीनी दूतावास ने इस प्रकार उल्लंघन पहली बार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार का उल्लंघन पहली बार हुआ है याकि ऐसी और भी घटनायें हुई हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रीमन्, जहां तक मुझे स्मरण है, पहली बार ऐसा हुआ है।

†**श्री हेम बरूआ** : जी, नहीं। एक और अवसर पर ऐसी घटना हुई है।

†**श्री तिरुमल राव** : चूंकि सरकार का ध्यान २० मई के नवीनतम अंक की ओर दिलाया गया है तो क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि वह इस सम्बन्ध में तुरन्त कड़ी कार्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि चीन, चीन और तिब्बत स्थित हमारे दूतावासों के सुचारू रूप से कार्य करने पर सभी तरह के प्रतिबन्ध लगाता रहा है क्या हम इसी प्रकार दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के भारत-विरोधी प्रचार को, जो वह एक अर्से से करता आ रहा है, रोकने के लिये कोई उपाय नहीं कर सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रीमन्, हम अपने ढंग से काम करते हैं । चीन ने कोई कार्य किया इसलिये हम भी वैसा कार्य नहीं करते । बदले की भावना से कार्य करने की हमारी नीति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय के बारे में बहुत नाराज़ हैं । सरकार को विचार करना चाहिये कि वह कोई कार्यवाही कर सकती है या नहीं ।

श्री बड़े : इस क्रिमिनल एमेंडमेंट ऐक्ट के मातहत केवल इस पबलिकेशन की कौपीज ही जब्त हुई हैं । इस के पहले राज्य सभा में जब यह सवाल उठाया गया था तब यह किताबें जब्त की गईं । मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने इस के पहले इन को जब्त क्यों नहीं किया ?

दूसरे यह कि हम ने किताबें जब्त कर लेने की ही सजा इस क्रिमिनल एमेंडमेंट ऐक्ट के अन्दर दी है । उन पर मुकदमा दायर किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इन सवालों का जवाब आ चुका है ।

श्री बड़े : नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात मान लीजिये । इन सवालों का जवाब आ चुका है ।

†**श्री बड़े** : अध्यक्ष महोदय . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, यह बहुत गंभीर विषय है । इसलिये मेरा ख्याल है मुझे कम से कम छः पूरक प्रश्न पूछने दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने माननीय सदस्य को पर्याप्त अवसर दिया है । अगला प्रश्न ।

मैसूर राज्य में कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

†*९०१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के अधिकारियों ने मैसूर राज्य में जिला रायचूर से जिला धारवाड़ में गडग की ओर कपास के ले जाये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या वही कपास जिला धारवाड़ के व्यापारियो के जरिये ऊंचे मूल्य पर बेची जा रही है;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के हटाने और किसानों को आड़तियों के बिना सीधे जहां भी अधिक मूल्य मिले वहां अपनी कपास बेचने की अनुमति देने के लिये कोप्पल ताल्लुक के किसानों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार उत्पादकों के हित में कोप्पल और येल बर्गा के किसानों को मैसूर राज्य में गडग में खुले बाजार में अपनी कपास बेचने की अनुमति देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) धारवाड़ जिले में कपास का आयात राज्य सरकार से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) अक्तूबर, १९६० में कोप्पल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, कोप्पल से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में अनुरोध किया गया था कि कपास मूल्य नीति के प्रयोजन के लिये कोप्पल, येलबर्गा और कुश्तगी तालुक में पैदा किया जाने वाला कपास (जयाधन और लक्ष्मी) धारवाड़ जिले में पैदा किये जाने वाले कपास की श्रेणी में सम्मिलित समझा जाये। १९६१-६२ के मौसम के लिये कपास मूल्य नीति निर्धारित करते समय यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया था।

(घ) पता चला है कि मैसूर सरकार धारवाड़ के रक्षित क्षेत्र में संशोधन करने का इरादा रखती है ताकि उसमें कोप्पल और येलबर्गा तालुक तथा रायचूर जिले का कुश्तगी तालुक भी आ जाये।

†**श्री शि० स्वामी** : क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि गदग में, जो रायचूर जिले का एकमात्र मण्डी है, करोड़ों रुपये का कपास पड़ा हुआ है और वह बिका नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले के बारे में विवाद नहीं है। किसानों ने यह अभ्यावेदन किया था कि दो ताल्लुक उस क्षेत्र में सम्मिलित कर दिये जायें। हम ने स्वयं मैसूर सरकार से यह सिफारिश की और वह उसे स्वीकार करने जा रही है।

†**श्री शि० स्वामी** : मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसे देखते हुए क्या वह केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मामला केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत नहीं वरन् मैसूर रक्षित क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत आता है और राज्य सरकार चाहे तो वह कपास के क्षेत्रीय यातायात पर तिबन्ध लगा सकती है। हम ने किसानों के अभ्यावेदन की जांच करने के बाद मैसूर राज्य सरकार से किसानों का सुझाव मान लेने की सिफारिश की ताकि कपास का अधिक सुगम यातायात सुनिश्चित हो जाये।

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्प-सूचना प्रश्न। श्री राम सेवक यादव। अनुपस्थित।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उत्तर सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्वचालित करघे

†*८८६. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि स्वचालित करघे लगाने के लिये लाइसेंस तभी दिये जायेंगे जबकि इन करघों से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन का ७५ प्रतिशत निर्यात किया जायगा; और

(ख) यदि हां तो क्या भारत विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता का सामना कर सकेगा क्योंकि हमारी उत्पादन-लागत अन्य देशों की लागतों की तुलना में अधिक होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण]

स्वचालित करघे लगाने के लिये लाइसेंस विस्तार और प्रतिस्थापन दोनों के लिये दिये जाते हैं। विस्तार का जहां तक सम्बन्ध है जो आवेदक इन करघों के ७५ प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करने का वचन देते हैं उन्हें वरीयता दी जाती है। भारतीय वस्त्र विदेशी बाजारों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं तथापि आशा की जाती है कि आधुनिक स्वचालित मशीनरी वाले यूनिट ऐसे बाजारों में अपना माल अधिक अच्छी तरह बेच सकेंगे ।

नेपाल में झाराही नदी

†*८९०. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी नेपाल में भैरवा का जिला गवर्नर झाराही नदी का मार्ग बदलने की योजना कार्यान्वित कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि इस नदी का मार्ग बदलने से वर्षा ऋतु में गोरखपुर जिले के राजाबारी और मनिकापुर गांवों को भारी नुकसान पहुंचेगा ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (डा० एरिंग):** (क) समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था; इसकी अधिकृत पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सम्बन्धित अधिकारियों/विशेषज्ञों से जानकारी मांगी गई है और यथा समय पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में उपाहार गृह कर्मचारियों के लिये वेतन क्रम

†*८६२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली ने दिल्ली के उपाहारगृहों और होटलों में कर्मचारियों के लिये नियमित वेतन-क्रम लागू करने का आदेश दिया है ; और

(ख) क्या प्रबन्धक उन्हें लागू करने को तैयार नहीं हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हां। बारह होटलों और उपाहारगृहों को इस प्रकार का आदेश दिया गया है।

(ख) पंचाट को लागू करने के बारे में कठिनाई व्यक्त करने वाला कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पताल

*६६४. **श्री प० फुन्हन** : क्या **म और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन औद्योगिक श्रमिकों के लिये अस्पताल खोलने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में कोई अस्पताल बनाने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). क्षय रोग के एक अस्पताल का विस्तार कर २४ बिस्तरों की व्यवस्था की गयी है और एक १०० बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिये जमीन अर्जित की जा रही है। इसके अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में ३ छोटे (काटेज) अस्पताल भी खोलने का इरादा है।

समुद्रपार क्रय संगठन[1]

†*८६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या बचत करने के उद्देश्य से समुद्रपार क्रय संगठन के वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण का विचार है ;

(ख) क्या लन्दन तथा वाशिंगटन में भारत के समुद्रपार क्रय संगठनों के कामकाज के सम्बन्ध में निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय के सचिव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Overseas Purchase Organisation.

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) सचिव ने अपने प्रतिवेदन में क्रय और जांच की प्रक्रिया को सरल बनाने और उनमें सुधार करने के उपायों की सिफारिश की है। सचिव ने यह सिफारिश भी की है कि समुद्र पार संगठनों द्वारा फिलहाल किये जा रहे काम की कुछ मदें संभरण और निपटान महानिदेशक नई दिल्ली को सौंप दी जायें। इन उपायों को काम में लाने से इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट लन्दन में कई पद कम किय जा सकेंगे। समुद्र पार क्रय संगठनों पर होने वाला विदेशी मुद्रा व्यय धीरे-धीरे कम किया जायेगा और इससे प्रति वर्ष १००,००० पौंड की बचत होने का अनुमान है । सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

भारत के लिये अमरीकी तम्बाकू

†*८९६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० ल० म० सिंघवी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मंत्री :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५.३ करोड़ रुपये के मूल्य का तम्बाकू और मक्का सप्लाई करने के लिये भारत ने अमरीका के साथ एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में पूरा विवरण अमरीका और भारत सरकार के बीच १ मई १९६२ को सम्पन्न कृषि वस्तु करार में दिया गया है। इस करार की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है। संक्षेप में इस करार के अन्तर्गत अमरीका से २९ लाख डालर की तम्बाकू और ६४ लाख डालर की मक्का जिसके समुद्र द्वारा परिवहन के लिये लगभग १८ लाख डालर का शुल्क देना पड़ेगा आयात करने का उपबन्ध है ।

इस करार के अनुसार की गई बिक्री से जो रुपया प्राप्त होगा उसका १५ प्रतिशत अमरीका की सरकार को भारत में अमरीका द्वारा किये गये व्यय के लिये दिया जायेगा और शेष ८५ प्रतिशत रुपया

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये उन योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिये ऋण के तौर पर दिया जायेगा जिन पर उभय पक्ष सहमत हों।

माल की कुल कीमत और परिवहन-शुल्क लगभग ५.३ करोड़ रुपये है।

गोआ में भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम आदि का लागू किया जाना

†*८९९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के कार्मिक संघों की ओर से सरकार को कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गयी है कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम तथा श्रम सम्बन्धी अन्य भारतीय कानून गोआ में शीघ्र लागू किये जायें; और

(ख) यदि हां तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). जी नहीं। सरकार को किसी भी कार्मिक संघ से इस प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

किन्तु अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ बम्बई से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। सरकार श्रम सम्बन्धी कुछ भारतीय कानून इस संघ राज्य-क्षेत्रमें लागू करने के प्रश्न की जांच कर रही है।

विद्रोही नागाओं के पूर्वी पाकिस्तान में घुसने के खिलाफ पाकिस्तान का विरोधपत्र

†*९०२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-पाकिस्तान सीमा के पार पूर्वी पाकिस्तान में नागाओं के दाखिल हो जाने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†*९०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो सरकारी नौकरी में नहीं है परन्तु फिर भी सरकारी क्वार्टरों आदि में रहते हैं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या क्वार्टरों की कमी के कारण लगभग ६०,००० सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा-सूची में हैं ;

(घ) यदि हां तो इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या भारत सेवक समाज के सदस्य भी सरकारी क्वार्टरों आदि में रह रहे हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां । कुछ ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं सामान्य संग्रह के मकानों में रह रहे हैं ।

(ख) सरकार को इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और मकान बनाने का इरादा है । जो लोग सरकारी निवास स्थान पाने के हकदार नहीं हैं उन सबके मामलों का सर्वेक्षण करने का निर्णय भी किया गया है ।

(ङ) जी हां । उनके मामलों का भी सर्वेक्षण अन्य मामलों के साथ किया जायगा ।

स्कूलों में टेलीविजन

*९०४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री वारियर :
ी वासुदेवन् नायर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीविजन द्वारा शिक्षा देने का जो कार्य कुछ समय पहिले प्रारम्भ किया गया था, वह कहां तक सफल हुआ है; और

(ख) उसे और विस्तृत करने के लिये क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) अब तक जो रिपोर्टें मिली हैं और इस बारे में जो देख-भाल हुई है, उससे यह पता चलता है कि स्कूल टेलीविजन सेवा जो अक्तूबर, १९६१ में दिल्ली में चलाई गई थी, उससे अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों का लाभ हुआ है । फिर भी इस का ठीक ठीक मूल्य जांचने का काम शीघ्र ही हाथ में लिया जाने वाला है और इस बारे में जो रिपोर्ट मिलेगी उस से इस के परिणामों का ज्यादा अच्छा अन्दाज़ा लग सकेगा ।

(ख) इस समय दिल्ली के कुल ३०२ हायर सैकेंडरी स्कूलों में से १५२ स्कूलों में २७५ टेलीविज़न सेट लगाये जा चुके हैं और पाठ केवल नवीं श्रेणी तक के लिए ही रखे गये हैं । इस स्कीम को बाक़ी स्कूलों में भी लागू करने और कुछ टेलीविज़न पाठ दसवीं श्रेणी के लिए भी प्रसारित करने की तजवीज़ है ।

पाकिस्तान को कोयला भेजा जाना

†*९०५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से पाकिस्तान कोयला ले जाने के लिये प्रति मास बड़ी संख्या में मालगाड़ियां, वैगन और तटीय जहाज लगाये जा रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन वैगनों और जहाजों में पाकिस्तान से वापिस लौटते समय क्या वस्तुयें लाई जाती हैं; और

(ग) क्या भारत के अपने परिवहन और ईंधन सम्बन्धी संकट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पाकिस्तान को तटीय जहाज़ से नहीं वरन् रेल के माल डिब्बों से कोयला भेजा जाता है। किन्तु भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के अन्तर्गत जितना कोयला भेजने की व्यवस्था है उसके लिये मालडिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) इस व्यवस्था का साल में दो बार पुनर्विलोकन किया जाता है और उस समय सभी सम्बन्धित बातों को, जिनमें देश की आवश्यकता भी शामिल है, ध्यान में रखा जाता है।

प्रधान मंत्री का लंका का दौरा

†*९०६. **श्री नारायण दास :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लंका जाना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात के कुछ संकेत मिले हैं कि इस अवसर पर लंका की सरकार उनके साथ भारतीय उद्भव के लोगों के प्रश्न के बारे में बातचीत करेगी ?

†**विदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को लंका के माननीय वित्त मंत्री द्वारा लंका की प्रतिनिधि-सभा में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की जानकारी है।

हथकरघा उद्योग

†*९०७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग को अब भी केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ग) क्या उद्योग को स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख)

१९५९–६०	५१८.५८ लाख
१९६०–६१	३६६.३२ ,,
१९६१–६२	३५०.३९ ,,

(ग) हथकरघा उद्योग को सरकार आर्थिक सहायता इस लिये देती है कि यह उद्योग शक्तिशाली हो। ऐसा कोई एक प्रस्ताव नहीं है जिससे यह उद्योग स्वावलम्बी बनाया जा सके। किन्तु अब जो विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं उनका कुल मिलाकर प्रभाव यह होगा कि उद्योग की आर्थिक दशा और प्रतियोगिता करने की क्षमता में सुधार होगा और कालान्तर में यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

जूतों का निर्यात

†*९०८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में जूतों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ में जूता उद्योग के उत्पादों से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) .एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२**] ।

(ग) १९६१–६२ में (अप्रैल, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक) २.१५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई है।

कलकत्ता में अधिग्रहीत मकानों का लौटाया जाना

†*९०९ **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनवर शाह रोड, टालीगंज, कलकत्ता में छोटे प्लाट-मालिकों और मध्यम वर्गीय लोगों के 'के' स्थान के प्लाटों पर बने मकानों का युद्ध के दौरान

---

†मूल अंग्रेजी में

दिये गये विशेष अधिकारों के अधीन अधिग्रहण कर लिया गया था और वे अभी भी सरकार के पास हैं;

(ख) इस प्रकार कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति ली हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे बहुत समय से इन मकान आदि को अपने इस्तेमाल के लिये वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं;

(घ) युद्ध के समाप्त हुए इतने वर्ष बीतने के बाद भी उनको न लौटाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (ी मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). १९४१ में कई प्लाटों का अधिग्रहण किया गया था । युद्ध समाप्त हो जाने पर अधिकांश प्लाट उनके मालिकों को लौटा दिये गये थे और अब ४९ प्लाट, जिनके हकदार ३१ लोग हैं, सरकार के पास हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) यह सम्पत्ति लौटायी नहीं जा सकी क्योंकि उस पर पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने अनधिकार कब्जा कर लिया था । इन व्यक्तियों को बेदखल करने और यह सम्पत्ति उसके मालिकों को लौटाने का प्रश्न अब भी विचाराधीन है ।

कांस्टीट्यूशन हाउस और वेस्टर्न कोर्ट में भोजन-व्यवस्था

†*९१०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांस्टीट्यूशन हाउस और वेस्टर्न कोर्ट में जो खाना दिया जाता है वह संतोषजनक नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों के निवासियों ने कई शिकायतें भेजी हैं; और

(ग) ठेकेदार के पास यह ठेका कितने समय से है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (ी मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी, नहीं। शिकायतें मामूली किस्म की हैं ।

(ग) कांस्टीट्यूशन हाउस का ठेका १९५२ से और वेस्टर्न कोर्ट का ठेका १९५६ से ठेकेदार के पास है । यह ठेके संसद् के दोनों सदनों की आवास समितियों के सभापतियों की संयुक्त सिफारिश पर बढ़ाये जाते हैं ।

भविष्य निधि में से रुपया निकालना

†*९११. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० उ० मि :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों को बीमारी के मामलों मे अपनी भविष्य निधि में से ऋण लेने की जो सुविधा थी वह अब समाप्त कर दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) कारण इस प्रकार हैं :—

(१) कर्मचारी सदस्यों द्वारा सुविधा का दुरुपयोग किया जाना; और

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्य का विस्तार जिसके अन्तर्गत परिवार के सदस्य भी लाभान्वित होते हैं ।

लंका में भारतीय उद्भव के राज्य-विहीन व्यक्ति

†*९१२. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका की सरकार लंका में भारतीय उद्भव के राज्य-विहीन व्यक्तियों के प्रश्न पर अधिकारियों के स्तर पर भारत सरकार से बातचीत करने को सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी तारीख पर सहमति हो गई है ;

(ग) उस देश में इस समय भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति रहते हैं और उनमें से अब तक कितनों को लंका की नागरिकता के अधिकार दे दिये गये हैं ; और

(घ) भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति राज्य-विहीन हो गये हैं उनके भविष्य के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** :(क) लंका सरकार ने इस प्रश्न पर अधिकारियों के स्तर पर बातचीत करने के लिये भारत सरकार से अब तक कहा नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लंका में इस समय भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति रहते हैं इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फरवरी, १९६२ के अन्त तक जिन लोगों ने अपना लंका के नागरिक के रूप में पंजीयन कराया उनकी संख्या १,३२,३१२ है ।

(घ) भारत सरकार की राय है कि इस मामले पर लंका की सरकार से चर्चा की जाये और उसकी सहमति से उसे तय कर लिया जाये ।

नागा विद्रोहियों के अड्डे

†*९१३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बल ने नागालैण्ड में अपनी हाल की कार्यवाही के दौरान नागा विद्रोहियों के अड्डों पर कब्जा कर लिया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितने गोला बारूद और सम्पत्ति पर कब्जा किया गया और उनसे क्या कागजात बरामद किये गये ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : इस प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा बाद में दिया जायेगा ।

तीसरी योजना के लिये स्वीकृत राशि में परिवर्तन

†*४५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, तेल, विद्यत् और परिवहन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंजूर की गई राशि में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख) मंजूर की गई राशि में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न

वीर अर्जुन प्रेस, दिल्ली के कामगरों द्वारा हड़ताल

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री राम चेवक यादव : क्या **म और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीर अर्जुन प्रैस, दिल्ली के ३५ कम्पोज़िटरों और मशीन मैनों ने २५ अप्रैल, १९६२ से हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनकी यूनियन ने अपनी मांगों को नियमानुसार पूरा कराने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के सामने अपना मामला रखा था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में ः म मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). प्रैस के मैनेज़मेंट द्वारा इंक्रीमेंट, मंहगाई भत्ता और बोनस संबंधी मांगों के मंजूर न किये जाने पर कर्मचारियों ने २५ अप्रैल १९६२ से हड़ताल कर दी थी । यह मामला आपसी बातचीत से तय करा दिया गया है ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में प्रोद्यौगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†१६०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मार्गोपाय ढूंढ़ निकालने के उद्देश्य से, जिससे उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण का विकास और उसकी उन्नति की जा सके, उत्तर पूर्व सीमान्त अधीकरण का औद्यो-गिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) और (ख) जी नहीं । यद्यपि समय समय पर अभिकरण के कुछ भागों की अर्थव्यवस्था के विभिन्न

†मूल अंग्रेजी में

पहलुओं का अध्ययन किया गया है, फिर भी उत्तर सीमान्त अभिकरण का कोई सर्वांगीण प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है ।

मद्रास में रेशम कीड़े पालने के उद्योग का विकास

†१६०३. **श्री राजाराम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में मद्रास में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास की प्रत्येक योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी कितनी रकम दी है ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक योजना के अधीन राज्य सरकार ने कितनी रकम का उपयोग किया ;

(ग) क्या नियत की गयी रकमें पूरी पूरी काम में लायी गयी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्यग मंत्री (श्री कानमगो) :** (क) और (ख) . १९५८-५९ के बाद लागू की गयी प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए परिव्यय प्रत्येक उद्योग के अनुसार, न कि प्रत्येक योजना के अनुसार, निर्धारित किये जाते हैं । मद्रास राज्य में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिए १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान नियम किया गया परिव्यय और वास्तव में काम में लायी गयी रकमें नीचे की सारणी से मालूम होती हैं :

वर्ष	परिव्यय	काम में लायी गयी रकम
		(लाख रुपयों में)
१९६०–६१	२.७८	२.८५ (वास्तविक)
१९६१–६२ . .	२.९४	१.७९ (प्रत्याशित)

(ग) और (घ) . १९६१–६२ में व्यय में कमी का मुख्य कारण यह है कि निर्माण कार्यों के लिए जितनी रकम रखी गयी थी उतनी रकम काम में नहीं लायी गयी ।

उत्तर प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगार

†१६०४. **श्रीकृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ में उत्तर प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनायें उत्तर प्रदेश में कितने अशिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी होगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है । रोजगार दफ्तरों में भी अशिक्षित व्यक्तियों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

उद्योगों में पूंजी विनियोजन

†*१६०५. **डा० रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित उद्योगों में प्रत्येक में आज तक कुल कितनी पूंजी लगायी जा चुकी है : (१) पटसन, (२) चाय, (३) पेट्रोलियम, (४) साबुन, (५) रबड़, (६) तम्बाकू, (७) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और (८) अल्यूमिनियम ; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक उद्योग में कुल निवेश में विदेशी निवेशकों का कितना हिस्सा है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (ी कानूनगो)**: (क) ३१ मार्च, १९६० को संगत आंकड़े बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ख) आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि समवाय अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अधीन शेयरहोल्डरों को अपनी राष्ट्रीयता बताना आवश्यक नहीं है ।

गाजीपुर अफीम फैक्टरी

१६०६. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **म और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि योजना गाजीपुर अफीम फैक्टरी के श्रमिकों पर लागू नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

म और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): जी नहीं, योजना लागू नहीं की गई क्योंकि इस कारखाने के मजदूरों को श्रमिकों की अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन जो लाभ प्राप्त होता है वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ द्वारा मिलने वाले लाभ से कम नहीं है ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६०७. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के अत्यधिक अविकसित प्रदेशों में छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये ट्रांसमिटर किन-किन देशों से आयात किये गये हैं, इन पर कुल कितनी लागत आयेगी और क्या ये सब भारत पहुंच चुके हैं या कुछ आने बाक़ी हैं ;

(घ) यदि कुछ बाक़ी हैं तो कब तक आने की संभावना है ; और

(ङ) इनका काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध ८५]**

(ख) ट्रांसमीटरों के स्थान का निर्णय सरकार ने आकाशवाणी के तकनीकी अफ़सरों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर किया। स्थानों को चुनने के बारे में तकनीकी ज़रूरतों और इंटरनशनल टेलिकम्यूनिकेशन्स यूनियन और देश के भीतर के इसी प्रकार के तकनीकी संगठनों द्वारा लगाई गई रोकथाम का मुख्य विचार रहा है।

(ग) (१) सिवाए एक २० किलोवाट शर्टवेव ट्रांसमीटर के जो संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदा जा रहा है और सभी ट्रांसमीटरों के अधिकतर मुख्य उपकरण सर्वश्री भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर से प्राप्त किए जा रहे हैं, जो इनकी सप्लाई के लिए जापान के निर्माताओं के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। मस्तूल (मास्ट) कुछ पश्चिमी जर्मनी से मंगाए जा रहे हैं और कुछ जापान से। ट्रांसमीटरों के अन्य सहायक उपकरण कुछ देशी और कुछ का आयात संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त राज्य, जापान और आस्ट्रेलिया से किया गया है।

(२) आर्डर दिये गये ट्रांसमीटरों के मुख्य उपकरणों पर खर्च का अनुमान लगभग ६६.२ लाख रुपये है और आर्डर दिये गये मस्तूल तथा सहायक उपकरणों पर खर्च का अनुमान लगभग ५३.९२ लाख रुपये।

(३) २५ परियोजनाओं के लिये ट्रांसमीटरों के मुख्य उपकरण और मस्तूल जापान से आ चुके हैं। इन परियोजनाओ के सहायक उपकरण और बाक़ी के पूरे उपकरण आने वाले हैं।

(घ) आर्डर दिये गये उपकरणों में से, एक परियोजना के मुख्य ट्रांसमीटर और मस्तूल के अगस्त, १९६२ तक मिलने की आशा है, और अन्य सत्रह के लगभग जून, १९६३ तक। इन परियोजनाओं के सहायक उपकरणों की १९६३ के शुरू में मिलने की आशा है। १०० किलोवाट मीडियम वेव के बाकी एक ट्रांसमीटर का आर्डर शीघ्र ही दिया जायेगा। इसके १९६३ के आखिर तक प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

(ङ) उम्मीद है कि ये ट्रांसमीटर क्रमश: अगले दो वर्ष में चालू हो जायेंगे।

बिजली से चलने वाले करघे

†१६१४. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली से चलने वाले करघों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ऐसे करघों के लिए नए लाइसेंस दिये जाते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर ; और

(घ) बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघे कायम करने के लिए कितने व्यक्तियों को १९६१ में दंड दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ८२८०५ (२५७१८ कपड़े के और ५७००८७ गैर-कपड़े के) ।

(ख) और (ग) जी नहीं, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के प्रयोजन को छोड़ कर ।

(ग) १९६१ में कोई अभियोग नहीं चलाये गये थे ।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

†**१६१५. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी १९६१ में बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में म मंत्री (श्री हाथी)** : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी उत्तर प्रदेश में १९६१ के अन्त में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियो की संख्या १९६० के अन्त में उनकी संख्या की तुलना में बढ़ गयी है ।

(ख) २२.७ प्रतिशत ।

(ग) जनसंख्या मे वृद्धि और इस कारण मजदूरी पेशे में अधिक संख्या में नये आगन्तुकों का प्रवेश, रोजगार दफ्तरों की संख्या में वृद्धि, रोजगार दफ्तरों की अधिक लोकप्रियता और रोजगार दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९, को कार्यान्वित करने के कारण अधिसूचित किये गये रिक्त स्थानों की संख्या में वृद्धि, आदि ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन, प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक खर्च से विकास कार्यक्रम इसी आशय से तैयार किये गये हैं कि रोजगार के अवसर पैदा किये जायें जिससे बेरोजगारी दूर हो जाये ।

अखबारी कागज का आयात

†**१६१६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल के वर्षों में अखबारी कागज का आयात दस प्रतिशत कम हो गया है जब कि विदेशी अखबारी कागज पर छपे हुए हुए अखबारों की बिक्री काफी बढ़ गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

†मूल अंग्रेजी में

पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष विदेशों से मंगाये गये अखबारी कागज की मात्रा इस प्रकार रही :—

वर्ष	मात्रा
१९५८–५९	६२,२१८
१९५९–६०	८३,३०८
१९६०–६१	७३,३६४
१९६१–६२ (जनवरी, १९६२ तक)	१,०१,५८६

वर्ष १९५८ से १९६० के दौरान सभी श्रेणियों के अख बारों की बिक्री मे हुई वृद्धि के सम्बन्ध में तुरन्त उपलब्ध जानकारी नीचे की तारणी में दी हुई है :—

वर्ष	पिछले वष को तुलना मे बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत
१९५८	८.८
१९५९	११.२
१९६०	८.३

औद्योगिक बस्तियां

†१६१७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री इलया पेरूमाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कार्यक्रम सभी राज्यों के लिये बनाया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी महत्वपूण बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

गोआ में नागरिकता

†१६१८. **श्री श्रीनारायणदास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ, दमन और दीव में पैदा हुए और वहां के ऐसे कितने निवासी हैं जिन्होंने २० दिसम्बर, १९६१ से पहले की अपनी नागरिकता या राष्ट्रीयता कायम रखने की इच्छा व्यक्त की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ८०७ व्यक्तियों ने पुर्तगाली राष्ट्रजन के तौर पर अपने नाम दज कराये हैं । इसके अलावा १०६६ व्यक्तियों ने जिनके पास पहले से ही पुतगाली पासपोर्ट हैं, सिदेशियों के तौर पर अपने आपको दर्ज कराया है । यह नहीं मालूम है कि बाद वाले समुदाय के कितने लोग गोआ, दमन और दीव में पैदा हुए हैं या वहां के निवासी हैं क्योंकि उनमें से कुछ तो पुतगाल के या पुतगाली बस्तियों के निवासी हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम का विकास

१६१६. †श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा सिक्किम के विकास के लिये प्रारम्भ से अब तक कुल कितनी सहायता दी जा चुकी है ;

(ख) उस सहाता से सिक्किम में विकास की योजनाओं में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) आगे के लिये इसी क्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और कितनी सहायता दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ३१ मार्च, १९६२ तक सिक्किम को जो सहायता दी गई है उसकी कुल राशि लगभग ४२७,८२,००० रु० है। इसमें सिक्किम की पहली सप्तवर्षीय योजना पर १९५४ से १९६१ तक का व्यय, सिक्किम की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अन्तिम वित्तीय वर्ष में दी गई सहायता और सिक्किम में खनिज पदार्थों का पता लगाने और निर्माण-कार्यों के लिये दी गई सहायता शामिल है।

(ख) हमारी सहायता के परिणामस्वरूप सिक्किम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन, लघु उद्योग और दस्तकारी, जन-स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है। सिसिक्कम के लिये कई छात्रवृत्ति ों का खर्च हमारी सहायता द्वारा दिया गया है । हमने योग्य डाक्टरों, योजना अधिकारियों, शिक्षकों, दस्तकारी प्रशिक्षकों को भेज कर सिक्किम के योजना विभाग को सहायता दी है। खनन निगम (माइनिंग कार्पोरेशन) और फल का एक कारखाना स्थापित किया गया है। हमारी सामान्य सहायता योजना के ढांचे के अन्तर्गत रंगसाज़ी, कला-मुद्रण, इंजीनियरी और लाइसेंसिएट सिविल इजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस योजना के अन्तगत जो प्रगति हुई है उसका सक्षिप्त विवरण साथ लगा है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ग) सिक्किम की पहली सप्तवर्षीय योजना मार्च १९६१ में समाप्त हो गई और जुलाई में हमारे योजना आयोग से विशेषज्ञों का एक दल सिक्किम गया जिसने उस देश के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना का सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। सिक्किम की दूरी पंचवर्षीय योजना का कुल अनुमानित व्यय ८१३.३३ लाख रु० है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिन क्षेत्रों की विकास योजनाए निहित हैं, वे ये हैं : कृषि, पशुपालन, वनविकास, भू-रक्षण, मछली पालन, छोटी मोटी सिंचाई और सहकारिता, उद्योग और खनिज, सड़क-परिवहन, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, आवास और प्रचार प्रायोजनाएं, यह सब हमारी वित्तीय तथा तकनीकी-सहायता से सम्पन्न होगा। सिक्किम सरकार को यह आशा है कि वह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने पर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्व प्राप्त कर लेगी।

दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट गन्दी बस्ती

१६२०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामा मस्जिद के आस-पास की गन्दी बस्तियों को हटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) कार्यक्रम में ये बातें सम्मिलित हैं :

(१) दुजाना हाउस को नये रूप में बनाना ;

(२) जामा मस्जिद की कुर्सी (प्लिथ) से दूकानों को हटा कर पास के इलाके में भेजना ;

(३) कबाड़ियों को जामा मस्जिद के इलाके से हटा कर झण्डेवालान इलाके में भेजना ; और

(४) साइकिलों के बाजार को ऐस्लेनेड रोड से हटा कर झण्डेवालान में 'ई' ब्लोक में भेजना ।

ऊपर (१) में लिखी परियोजना में, जिसकी मजूरी फरवरी १९६१ में दी गई थी, दुजाना हाउस में इस समय विद्यमान टुटी फूटी इमारतों को ढहाया जाना है और ११·७१ लाख पये की आकलित लागत से १२० मकान, २० दूकानें, २० कार्यालय, ३६ मछली स्टाल और ३४०० वर्गफुट क्षेत्रफल का तहखाना बनाया जाना है ।

ऊपर (२) में लिखी परियोजना में, जिसकी मंजूरी दिसम्बर १९६१ में दी गई थी, कुल मिला कर ५४.८७ लाख रुपये की लागत से १५२ मकानों, ३०६ दूकानों, और ८०,९०० वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल के कार्यालय स्थान का तथा सामुदायिक भवनों (कम्युनिटी बिल्डिगों) का निर्माण किया जाना है ।

ऊपर लिखी (३) और (४) परियोजनाएं अभी नगर निगम पास तैयार की जा रही हैं ।

पाकिस्तानियों का छापा

†**१६२१. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बन्दूक, आदि से सज्जित १२ पाकिस्तानियों ने १० अप्रैल १९६२ को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में छम्ब क्षेत्र में बगरी गांव में छापा मारा था और गांव वालों तथा पाकिस्तानियों में गोली चली जो उन पर आक्रमण कर के बाद आसानी से युद्ध विराम रेखा के पार चले गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार गांव सिंगरी, थाना छाब, जिला जम्मू के दो ग्रामवासियों को १० अप्रैल, १९६२ को ढोर चोरों के एक दल ने मारा पीटा था । चोरी की गई गाय चोरों से वापस ले ली गई । परन्तु चोर भाग गये । आपस में गोली नहीं चली ।

सिगरेट के कारखाने

†**१६२२. श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिगरेट बनाने के कितने कारखाने हैं ;

(ख) उनमें से कितने कारखाने विदेशियों के हैं ; और

(ग) उन विनियोजकों के क्या नाम हैं ?

---

†तूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १५।

(ख) ८।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

आन्ध्र प्रदेश में सिगरेट का कारखाना

†१६२३. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सिगरेट बनाने के एक कारखाने के लिये लाइसेन्स देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (ो क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग) कोई प्रस्ताव अनिश्चित नहीं पड़ा है। वर्ष १९६१ में लाइसेन्स के लिय एक प्राथना पत्र दिया गया था वह अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उद्योग की क्षमता पहिले से ही काफी है और किसी वृद्धि की व्यवस्था नहीं है।

बिहार में भूमि पर कर

१६२४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच कि एक नये कानून के अनुसार बिहार सरकार ५ एकड़ से कम जमीन वालों से भी २०वां भाग लेवी' के रूप में लेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पहली और दूसरी योजना में माने गये अलाभकर जोतों की वृद्धि को रोकने के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कोई सुझाव दिया है कि पांच एकड़ से कम भूमि वालों से लेवी न लेने की दिशा में कोई निणय लिया जाय ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) बिहार भूमि सुधार (जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण) अधिनियम, १९६१ के सैक्शन २८ में राज्य सरकार को क्रमबद्ध आधार पर निम्न प्रकार से कर लगाने का अधिकार दिया गया है :—

यदि एक व्यक्ति के पास २० एकड़ या उस से अधिक क्षेत्र है।	उसके अधिकार में जो क्षत्र है उसका १/६ वां भाग।
यदि कुछ क्षत्र ५ एकड़ से ज्यादा है परन्तु २० एकड़ से कम है	उसके अधिकार में जो क्षेत्र है उसका १।१०वां भाग।
यदि कुल क्षेत्र १ एकड़ से अधिक है परन्तु ५ एकड़ से अधिक नहीं।	उसके अधिकार में जो क्षेत्र है उसका १।२० वां भाग।

एक एकड़ या इससे कम भूमि पर यह कर नहीं लगाया जाता। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि इस कर के लगने के बाद किसी भी भूमिधर के पास एक एकड़ से कम भूमि न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). आशा है कि इस कानून के क्रियान्वियन तथा किसानों को भूमि पर बसाने में, जोत की चकबन्दी और सहकारी व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया जायगा ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा[1]

†१६२५. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग का दो भागों के बट जाने के बाद उनके मन्त्रालय की विकास शाखा की क्या स्थिति है; और

(ख) क्या भारी उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग सम्बन्धी विभागों का विभाजन सचिवालय के आधार पर हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च०रेड्डी) :** (क) और (ख). भारी उद्योगों सम्बन्धी कुछ बातों का इस्पात तथा भारी उद्योग मन्त्रालय में भारी उद्योग विभाग को स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप, सचिवालय के कुछ अधिकारी, जो स्थानान्तरित बातों सम्बन्धी कार्य करते थे, नये विभाग में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। जहां तक विकास विंग का सम्बन्ध है, वह वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन ही है । परन्तु नये विभाग से सम्बन्धित कार्य के बारे में विकास विंग के सम्बन्धित अधिकारी नये विभाग को सीधे सलाह देते हैं । छोटे पैमाने का उद्योग पहिले की भांति ही वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में है । अतः अधिकारियों की स्थिति में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं हुआ है ?

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति

*१६२६. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों ने अपने ऋणों को पूर्णतया रद्द करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) कुछ श्रेणियों के ऋणों के परिहार के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मामला विचाराधीन है ?

त्रिपुरा संयुक्त शरणार्थी समिति

†१६२७. **श्री दशरथ देव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संयुक्त शरणार्थी समिति ने भूतपूर्व संघ पुनर्वास मंत्री को उस समय कोई ज्ञापन दिया था जब वह पिछली बार अगरतला गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही का गई है ?

---

[1]Development Wing

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लौह अयस्क के लिये भारत के निर्यात बाजार

†**१६२८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६२ के दूसरे सप्ताह में जापान और ब्राजील के बीच लौह अयस्क के संभरण के लिए कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के लौह अयस्क निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् । कहा जाता है कि एक करार हुआ है ।

(ख) जापान की लौह अयस्क की बढ़ती हुई आवश्यकता और भारत के साथ भारतीय लौह अयस्क की खरीद के बारे में जापान द्वारा किये गये दीर्घ कालीन करार की दृष्टि से भारत के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नामरूप तापीय संयंत्र

†१६२९. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप तापीय संयंत्र के लिए गैस टर्बाइन खरीदने के बारे में अन्तिम निश्चय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). तेईस, हजार किलोवाट के तीन गैस टर्बाइन जेनरेटर्स खरीदने का निश्चय किया गया है । इन तीनों का समुद्रतट पर्यन्त निःशुल्क कुल मूल्य लगभग ६,३५०,०००डालर होगा और ये अमरीका के एक सुप्रसिद्ध विद्युत् सामग्री निर्यात से खरीदे जायेंगे । संयंत्र के परिवहन, स्थापन और चालू करने का उत्तरदायित्व निर्माता पर है । इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन शीघ्र ही एक मसौदा प्रस्तुत करेगा ।

इम्फाल में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

†**१६३०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६२ के अन्त तक इम्फाल के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने नाम लिखाये;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति आदिम जाति के हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में क्या विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) १०,९६६ ।

(ख) ३,०७४ ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में आदिम जातियों के कल्याण और कुटीर उद्योगों सहित विकास की विभिन्न योजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उससे बेरोजगारी कम होगी ।

नेफा में विमान दुर्घटना

***१६३१. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में नेफा में कितनी विमान दुर्घटनायें हुई; और

(ख) दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ में उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में दो विमान दुर्घटना हुई। इनमें से पहिली २०-७-१९६१ को इंजन के खराब होने से हुई थी । इसकी दुर्घटना चालक के गलत अनुमान के कारण २४-१०-६१ को हुई थी ।

राजस्थान में गुवार गम का कारखाना

१६३२. श्री प० ला० बारुपाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में गुवार से गोंद बनाने का कारखाना स्थापित करने की क्या किसी उद्योगपति को अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी लागत का होगा और भारत सरकार ने किस आधार पर कारखाना खोलने की अनुमति दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेफा में अस्पताल

†**१६३३. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल नेफा में कितने अस्पताल, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय हैं;

(ख) नेफा में ऐसे कितने अस्पताल, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय हैं जहां शिक्षित डाक्टर और कर्मचारी काम करते हैं;

(ग) क्या नेफा में अस्पतालो, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में अच्छा पूरा सामान है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) डाक्टरों, आदि की कमी कैसे दूर की जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) पासीघाट, अलांग और तेजू में तीन सामान्य अस्पताल हैं। पहिले में ८० बिस्तर, और बाकी दोनों में ४०-४० बिस्तर हैं। मरघेरीता में एक क्षय रोग अस्पताल है जिसमें ५० बिस्तर हैं। इनके अतिरिक्त नेफा में ७६ स्वास्थ्य यूनिट हैं जो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के स्थान पर काय करते हैं। ३४ यूनिटों में से प्रत्येक में दो आकस्मिक बिस्तर हैं। बाकी यूनिटों में से २७ यूनिटों में ८-८ बिस्तर, १४ यूनिटो में १२-१२ बिस्तर और १ यूनिट में २० बिस्तर हैं।

(ख) आजकल चल रहे ७६ यूनिटों में से ५७ यूनिट में शिक्षित डाक्टर और कर्मचारी हैं। बाकी १९ यूनिटों में प्रशिक्षित कम्पाउन्डस हैं क्योंकि चिकित्सकों की कमी है।

(ग) हां। अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटो में नेफा के अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये निर्धारित मान के अनुसार सामान है।

(घ) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे २-३ वर्ष के लिए नेफा में काम करने के लिये उपयुक्त शर्तों पर चिकित्सकों की सेवायें ऋण पर दे। चिकित्सकों का वेतन-क्रम २२५—६०० रु० से संशोधित करके ३२५—८०० रु० कर दिया गया है और अन्यथा चिकित्सा-कार्य न करने का भत्ता १०० रु० से बढ़ा कर १५० रु० मासिक कर दिया गया है। भारतीय अखबारों और चिकित्सा पत्रिकाओं में, जो समूचे भारत में बिकते हैं, विज्ञापन दिये जाते हैं। चिकित्सा कालेजों को रिक्त स्थानों से परिचित रखा जाता है। नेफा के बाहर कालेजों में एम० बी० बी० एस० के तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को कुछ समय तक नेफा में काम करने की शर्त पर छात्रवृत्ति देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

गोआ में बोली जाने वाली भाषायें

†१६३४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में कितनी भाषायें बोली जाती हैं;

(ख) जनसाधारण कौन सी भाषा बोलते हैं; और

(ग) क्या गोआ की भाषावार और धर्मवार जनसंख्या दर्शानेवाला विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वर्ष १९६० की जनगणना के अनुसार गोआ मे १४ से अधिक भाषायें बोली जाती हैं।

(ख) कोनकानी।

(ग) गोआ की भाषावार और धर्मवार जनसंख्या दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

जनसंख्या का भाषावार विवरण

भाषा का नाम	भाषा बोलने वालों की संख्या	प्रतिशत
कोनकानी	४,६८,३५३	९५.८
मराठी .	६,५९८	१.४
उर्दू . . .	६,३३५	१.३
पुर्तगाली . . .	४,५५७	०.९
गुजराती . .	८१८	०.२
अन्य	२,१२२	०.४

वर्ष १९६० की जनगणना के अनुसार धवर्नवार जनस संख्या विभाजन

धर्म	जनसंख्या	प्रतिशत
हिन्दू	३५५,६१५	५९.७
ईसाई . .	२,८८,३९६	३८.३
मुसलमान .	१,५२५	२.०
अन्य	३०	नगण्य

बैंक पंचाट का उल्लंघन

†१६३५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली है कि देना बैंक ने एक कर्मचारी को श्रमिक संघ की कार्यवाही में भाग लेने के कारण नौकरी से हटा कर बैंक पंचाट का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां ।

(ख) औद्योगिक सम्बन्ध विभाग इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश को स्वीकृत की गई धन राशि

१६३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मन्त्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत धनराशियों में से प्रत्येक मद में जितना वास्तविक व्यय हो पाया, उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश के लिये जो धन राशियां स्वीकृत की गयी थीं उनमें से कितनी वास्तव में खर्च हुई ; और

†मूल अंग्रेजी में

( ) १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष के लिये उस राज्य को किस काम के लिये कितनी कितनी धनराशियां स्वीकृत की गयी हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा गया है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]** ।

(ख) १९६१–६२ में राज्य योजना पर जो खर्चा हुआ वह वर्ष के दौरान बाद में उपलब्ध होगा ।

(ग) सालाना योजना पर विचार-विमर्श होने के बाद, विकास मद के अन्तर्गत होने वाले खर्च की कतिपय तफसीलों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लि०, कूचबिहार

†१६३७. **श्री कार्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वुडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लि० कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) सदैव के लिये बन्द हो गया है ;

(ख) कारखाने के प्रबन्धकों को किस कारण कारखाना कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) से हटा कर जोपोर (असम) ले जाने का लाइसेंस दिया गया ;

(ग) क्या स्थानान्तरण लाइसेन्स देने के लिये पहिले पश्चिम बंगाल की अनुमति ली गई थी ; और

(घ) क्या मन्त्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार का कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें पुनः कूच बिहार में कारखाना खोलने का लाइसेंस देने का उल्लेख है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९]**

बाला घाट, मध्य प्रदेश में फेरो-मेंगनीज संयंत्र

†१६३८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में, जहां मेंगनीज की काफी खानें हैं, एक फेरो मेंगनीज कारखाना खोलने का कोई विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो हमारे देश में मेंगनीज का उपभोग कैसे होता है ;

(ग) क्या इसमें से कुछ मेंगनीज विदेशों को भेजा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्यात पर सरकार को प्रतिवर्ष बहुत हानि होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) इसमें से कुछ मैंगनीज का प्रयोग देश में फेरो मैंगनीज उद्योग में और भारतीय इस्पात कारखानों में होता है तथा बाकी मैंगनीज का विदेशों को निर्यात किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर का निदेशक बोर्ड

†१६३९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कानपुर का निदेशक बोर्ड फिर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) क्या इसका प्रभाव ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में सरकारी और जीवन बीमा निगम की सम्पत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो किस तरह प्रभाव पड़ता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) २३ मई, १९५८ के बाद, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीवन बीमा निगम की एक याचिका पर यह अन्तरिम आदेश दिया था कि श्री एच० डी० मुद्रा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्य न करे, निदेशक बोर्ड का गठन (प्रबन्ध सम्बन्धी अन्तरिम समिति) समय समय पर उक्त न्यायालय ने किया है। उच्च न्यायालय ने याचिका पर अन्तिम आदेश २२ मई, १९६१ को जारी किये। आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की गई और उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने, जिसने अपीलीय न्यायालय के रूप में काम किया, अपना निर्णय १४ फरवरी, १९६२ को दिया। अन्त में अपीलीय न्यायालय द्वारा बनाया गया संचालक मण्डल आठ व्यक्तियों का है और उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री एच० एस० चतुर्वेदी सभापति और प्रबन्ध निदेशक हैं। अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ निदेश दिया कि प्रबन्ध समिति सम्बन्धी अन्तरिम समिति को जनवरी, १९६३ में कम्पनी की एक महाबैठक बुलानी चाहिये जो निदेशक बोर्ड का चुनाव करेगी। वह मण्डल १ फरवरी, १९६३ से काम करेगा। हाल में, कुछ अंशधारियों ने उच्च न्यायालय को एक प्रार्थनापत्र दिया है जिसमें प्रार्थना की है कि नया निदेशक बोर्ड का चुनाव करने के लिये अंशधारियों की शीघ्र महाबैठक बुलाने का निदेश दिया जाये।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मून्दड़ा व्यापार संस्थायें

†१६४०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मून्दड़ा की भूतपूर्व व्यापारिक संस्थाएं, जैसे ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन और जेसप, ने अब पूरी तरह अपनी हानि पूरी कर ली है वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं में अपनी सीधी सम्पत्ति बनाये रखने का या बढ़ाने का है ; और

(ग) क्या इनमें से किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) कुछ समय पूर्व जो कम्पनियां श्री एच० डी० मून्दड़ा के अधीन थीं और जो अब भी चल रही हैं, उनमें महत्वपूर्ण कम्पनियां ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर, जेसप एण्ड को० लि०, कलकत्ता और रिचार्डसन एण्ड क्रडास लि०, कलकत्ता है। इनमें से ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० और जेसप एण्ड को० लि० ने

†मूल अंग्रेजी में

अपनी हानियां पूर्णतया पूरी कर ली हैं और वित्तीय स्थिरता पुनः प्राप्त कर ली है। मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रडास की वित्तीय स्थिति अभी स्थिर नहीं हुई है, यद्यपि कम्पनी अपने पहिले की छ हानियां १ जुलाई, १९५८ के बाद के लाभ से पूरी कर ली है। अभी दायित्वों को ठीक से नहीं बताया जा सकता।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की सीधी सम्पत्ति ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में ११,५४,७७३ इक्विटी शेयरों की है। कम्पनी में अपनी सम्पत्ति में परिवर्तन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। जेसप एण्ड को० के महत्व को ध्यान में रख कर उपक्रम का प्रबन्ध आजकल उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के हाथ में है और मई, १९६३ तक हाथ में रहेगा। कम्पनी का उचित प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिये भावी कार्यवाही पर यथासमय विचार किया जायेगा।

पूना में हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़

†१६४१. **श्री जेधे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के पूना जिले में हैवी इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज़ और कोई अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). जी हां। सरकारी क्षेत्र में दो नये हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट्स तथा हाईप्रेशर बायलर प्लांट स्थापित करने के लिये स्थानों का चुनाव करने के सम्बन्ध में स्थापित हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट की प्रविधिक समिति में महाराष्ट्र के पूना जिले का यह जानने के लिये निरीक्षण किया था कि वहां पर इन परियोजनाओं की स्थापना के लिये कोई उपयुक्त स्थान हैं। प्रविधिक समिति द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त प्रतिवेदन की प्रतियां २० नवम्बर, १९६१ को लोक सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा प्रकाशित समूल्य प्रकाशन

†१६४२. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से १९६२ की अवधि में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा कितने समूल्य प्रकाशन निकाले गये ;

(ख) ऐसे प्रकाशनों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या कुछ लाभ मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) और (ख). अप्रैल १९५७ से मार्च १९६२ की अवधि में पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा ६९२ समूल्य प्रकाशन निकाले गये थे। इनमें से ५८६ पुस्तकें तथा पुस्तिकायें थीं। १९५७–५८ में २२ पत्रिकायें थीं तथा उसके बाद २१ थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). पूरे डिवीजन के लाभ तथा हानि के लेखे नहीं रखे जाते हैं क्योंकि पब्लिकेशन डिवीजन सामान्य सूचना में पर्यटक प्रचार तथा पंचवर्षीय योजना प्रचार के प्रकाशन निकालती है। यह वाणिज्यिक संगठन नहीं है।

विदेशों में भारतीय दूतावास

†१६४३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय दूतावासों में प्रेस अटैची के कितने पद हैं ; और

(ख) इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारी भारतीय विदेश सेवा के हैं अथवा विशेषतः भरती किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) विदेशों में ५४ प्रेस पदाधिकारी हैं। इनमें से छः पब्लिक रिलेशन्स पदाधिकारी, ३२ प्रेस अटैची तथा १६ असिस्टेंट प्रेस अटैची हैं।

(ख) विदेशों में नियुक्त पदाधिकारियों में से २ भारतीय विदेश सेवा (ए) वर्ग, ५ भारतीय विदेश सेवा (बी) वर्ग, तथा शेष प्रचार कार्य के लिये विशेषतया भरती किये हुये हैं।

जिप फासनरों[1] का निर्माण

†१६४४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक जिप फासनरों को बनाने के लिये भारत में कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) इस उद्योग का विस्तार करने के लिये नये कारखाने चालू करने के लिये गत एक वर्ष में कितने नये लाइसस जारी किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** :

(क) बड़े पैमाने के क्षेत्र . . . ६ एकक
छोटे पैमाने के क्षेत्र . . . १ एकक

(ख) कोई नहीं।

केरल में औद्योगिक बस्तियां

†१६४५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की औद्योगिक बस्तियों में कितने औद्योगिक एकक चालू हैं ;

(ख) बस्तियों में कुल कितना स्थान है ; और

(ग) नई औद्योगिक बस्तियों में कितना स्थान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Zip Fastners.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ७७ ।

(ख) २२० शैड ।

(ग) मकानों के नकशों आदि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली में उद्योगों के लिये लाइसेंस

†१६४६. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में सरकार ने कितने तथा किन कारखानों/उद्योगों को लाइसेंस जारी किये थे ; और

(ख) इनमें से दिल्ली में कौन से कारखाने/उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) दिल्ली तथा अन्य स्थानों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन जिन कारखानों/उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं उनके नाम समय समय पर 'उद्योग तथा व्यापार पत्रिका' में प्रकाशित होते रहते हैं जिनकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०]**

उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को रोजगार

१६४७. **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के बाद खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कोई योजना कार्यान्वित करने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). खेती की मन्दी के दिनों में निर्माण-कार्य में ग्रामीण जन शक्ति का उपयोग करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के कहने पर दो पाइलट प्रोजेक्ट चालू किये। दूसरी शृखंला के अन्तर्गत २० और पाइलट प्रोजैक्ट १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के खेती के मन्दी के दिनों में चालू करने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार को अलाट किये गये हैं। पहली तथा दूसरी शृखंला के अन्तर्गत चालू होने वाले तमाम पाइलेट प्रोजैक्टों का पूरा खर्चा १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत सरकार ने दिया। १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष से केन्द्र इन प्रोजैक्टों का खर्चा ५० प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण के रूप में देगा। पहले चरण में (अर्थात् जो अवधि प्रोजेक्ट चालू होने से एक वित्तीय वर्ष के खेती की मन्दी के दिनों में शुरु होती है तथा दूसरे वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होती है) प्रत्येक प्रोजैक्ट की लागत २ लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रजी में

उत्तर प्रदेश में इन पाइलट प्रोजेक्टों के अन्तर्गत लघु सिंचाई, रिंग बांध निर्माण, ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना, नालियों को फिर से बनाना, सड़कों का निर्माण इत्यादि काम आते हैं और इन पर १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक ४४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के खेती की मन्दी के दिनों में इन प्रोजेक्टों में लगभग २४,००० खेतिहर मजदूरों को १०० दिन के लिये रोजगार मिलने की संभावना है।

पुनर्गठित काफी बोर्ड

†१६४८. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने काफी बोर्ड का गठन करते समय छोटे काफी उत्पादक संस्था, वायनाड (केरल) तथा केरल बागान मालिक संस्था का परामर्श लिया था ;

(ख) क्या इन संस्थाओं से नामों की तालिका सरकार को भेजने को कहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तलिकाओं में से किसी को इस पुनर्गठित काफी बोर्ड में शामिल किया गया हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी हां। सर्वश्री के० एन० भीलधारन तथा एम० ए० धर्मराज थापर के नाम केरल बागान मालिकों की संस्था ने सुझाये थे जिनकों पुनर्गठित काफी बोर्ड में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुथेरपल्लि में रबड़ अनुसंधान संस्था

†१६४९. **श्री मणियंगाड़न :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ अप्रैल १९६१ को रबड़ बोर्ड के सभापति को 'कोट्टयम जिला रबड़ थोगलाली यूनियन' ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें पुथेरपल्लि की रबड़ अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों की कुछ शिकायतों को दूर करने की मांग थी ;

(ख) क्या ज्ञापन में उल्लिखित कोई अथवा सभी शिकायतें दूर करदी गई हैं ;

(ग) कौन सी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) शेष मांगों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी

†१६५०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई १९५२ से सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी को खनिकों के क्वार्टर बनाने के लिये कितना अनुदान तथा सहायता दी गई ;

(ख) सहायता के भुगतान के मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोयला खान कल्याण संगठन १९६२–६३ में खनिकों के लिये क्वार्टर बनाने का विचार कर रहा है ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) २,७४,००८ रुपये ९० नये पैसे ।

(ख) कोयला प्रबन्ध द्वारा निर्धारित समझौता करना तथा उसका पंजीयन ;

(ग) जी हां ।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के कम्पोज़ीटरों के लिये स्टूल

†१६५१. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ के अधीन अपेक्षित भारत सरकार मुद्रणालय के सभी कम्पोजीटरों के लिये स्टूलों की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). बहुत से कम्पोजीटरों को स्टूल दे दिये गये हैं । शेष को स्टूल देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में कल्याण पदाधिकारी

†१६५२. **श्री नम्बियार**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम १९४८ की धारा ४९ के अधीन अपेक्षित भारत सरकार के मुद्रणालय नई दिल्ली में सरकार ने कल्याण पदाधिकारी नियुक्त कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा कर्त्तव्य क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) दो। उनके कर्त्तव्य श्रम और रोज़गार मंत्रालय के धारा ११ की अधिसूचना संख्या एल० डब्ल्यु और ४७ (४) ४६ दिनांक २० नवम्बर १९५१ में समय समय पर संशोधित रूप में निर्धारित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में शिशिक्षु

†१६५३. **श्री नम्बियार :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली में शिशिक्षुओं की भरती तथा प्रशिक्षण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी हां ।

(ख) ब्योरा निम्न है :—

शिशिक्षुओं की भरती तथा प्रशिक्षण निम्न श्रेणियो के लिये होता है :—

(क) कम्पोजीटर

(ख) बाइन्डर

(ग) स्टीरियो टाइपर

(घ) मोनों कास्टर अटैन्डैंट

(ङ) मैकैनिक,

२. प्रत्येक श्रेणी में प्रशिक्षण अवधि ४ वर्ष है ।

३. भरती की आयु सीमा क्रमशः न्यूनतम तथा अधिकतम १५ और १८ वर्ष है ।

४. शिशिक्षु कम्पोजीटरो के लिए न्यूनतम शिक्षा अर्हता मैट्रिक है तथा अन्य श्रेणियो के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों की आठवीं कक्षा है ।

५. शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण के पहले दूसरे तीसरे तथा चौथे वर्ष में क्रमशः २५ रुपय ३० रुपये, ३५ रुपये तथा ४० रुपये वृत्तिका दी जाती है ।

६. भरती काम दिलाऊ दफ्तर तथा विज्ञापनो द्वारा होती है ।

७. शिशिक्षुओं को भरती होने के छः महीने के अन्दर अन्दर सरकार मुद्रणालय में एक बौंड भरना पड़ता है ।

पंजाब में किसानों को रोजगार

†१६५४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से कम काम वाले मौसम में किसानो को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए पंजाब में कुछ परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब सरकार ने १९६० के खेती के कम काम वाले मौसम में भारत सरकार के कहने पर ग्राम्म जनशक्ति का उपयोग करने के लिए निर्माण कार्य क्रम की दो प्रारम्भिक परियोजनायें

---

†मूल अंग्रेजी में

चालू की थी। दूसरे क्रम में १९६१-१९६२ तथा १९६२-६३ में खेती के कम वाले मौसम में पंजाब सरकार के लिए दस और प्रारभिक परियोजनायें आंवटित की गईं। प्रथम और द्वितीय क्रम की सभी प्रारभिक परियोजनाओं को १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा धन केन्द्र द्वारा दिया गया था। १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष से परियोजना का व्यय ५० प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण के आधार पर केन्द्र देगा। प्रथम क्रम में परियोजना की लागत २ लाख पये हैं (अर्थात् एक वित्तीय वर्ष के खेती के कम काम वाली अवधि से आरंभ हो कर परियोजना अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक समाप्त होगी)

पंजाब की प्रारंभिक परियोजनाओं में पंचायत शामलात भूमि विकास, वन्यकरण, भूमि परिरक्षण, कुहल सिचाई, नालियो तथा अन्य पानी न रुकने देने की कार्यवाहियों के विकास की योजनायें शामिल हैं। योजनाओ की लागत का अनुमान १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक २४ लाख रुपया है। आशा है कि परियोजना में लगभग १३००० कृषक मजदूरों को १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के खेती के कम काम वाले मौसम में १०० दिन तक नौकरी मिल जाने की व्यवस्था हो जायेगी।

श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय)

†१६५५. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मुख्य आयुक्त संगठन में श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) का वेतनक्रम का हाल में ही पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां तो पुनरीक्षित वेतन क्रम में वेतन के निश्चयन में श्रम निरीक्षको की सेवा का भी कोई ध्यान रखा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार मामले पर विचार कर रही है ?

श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) के स्थायी पद

†१६५६. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ५ सितम्बर १९६१ के अतरांकित प्रश्न संख्या ३३६६ के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम मुख्य आयुक्त संगठन के श्रम निरीक्षकों के २२ पदों को स्थायी पद बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह पद किन तिथियों को स्थायी बनाये गये हैं ;

(ग) क्या इन २२ पदो पर उपयुक्त कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) १ अप्रैल, १८६१ से इन पदो को स्थाई बनाने के लिए नवम्बर १९६१ में आदेश दिए गए थ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ?

आसाम में कागज और रेयन उद्योग

†१६५७. **श्री प्र०चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के हाल के सर्वेक्षण से वहां पर कागज और रेयन उद्योग के अत्यधिक विकास का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कागज और रेयन उद्योगों का अधिक विकास कर के इन संभावनाओं की खोज करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या आसम सरकार से कार्यक्रम का प्रारुप बनाने के लिए कहा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). आसाम राज्य सरकार के अनुरोध पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय परिषद् ने १९५९ में आसाम का प्रादेशिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण किया था । परिषद् ने सर्वेक्षण का अन्तिम प्रतिवेदन आसाम सरकार को दिसम्बर, १९६१ में प्रस्तुत किया था । आशा है प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा ।

पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय

†१६५८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा स्वातंत्र्य आन्दोलन के समय पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा निकाले गये पुर्तगाली उपनिवेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को कुछ समय पहले हुए समझौते के आधार पर मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). भारत सरकार को मालूम हुआ है कि १२ मई, १९६२ से पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा पुर्तगाली उपनिवेशो से निकाले गये भारतीय राष्ट्रजनों को मुक्त करना शुरू कर दिया है ।

मण्डी नमक खानों का यंत्रीकरण

†१६५९. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डी नमक खानों के यंत्रीकरण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ; और

(ग) सेंधा नमक तैयार करने के लिए जोगेन्द्रनगर में कब कारखाना स्थापित होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). गुभा खानें शुष्क खनन तरीक़े से खोदी जाती हैं तथा उनके यंत्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । ड्रांग खानो में 'शैफ्टों' की गलाई की योजना को रोक दिया गया है क्योंकि गलाई के समय कठिन परते सामने आ गईं । भारतीय खनन ब्यूरो से सर्वेक्षण खनन तथा ढांचा कार्यों के द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि उनका विकास करने के उतम तरीक़ों के बारे में परामर्श दें ।

(ग) जोगेन्द्रनगर में साफ नमक बनाने का कारखाना स्थापित करने का काम ड्रांग खानो में गीला खनन तरीक़ा लागू करने की योजना का भाग है । इसकी भारतीय खान ब्यूरो का परामर्श मिलने के बाद जांच होगी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और फार्म

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०८ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३१/६२ ।]**

गंगा ब्रह्मपुत्र जल परवहन बोर्ड

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की वर्ष १९६१ का प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३२।६२]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १८ अप्रैल, १९६२ को सभा को दी गई अंतिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनयोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६२ सभा पटल पर रखता हूं ।

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कछ दिन पूर्व हुगली नदी के पोत चालकों ने मुझ से दिल्ली में मिलने की अनुमति मांगी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

वे मुझे अब तक एक से अधिक बार मिल चुके हैं। परिवहन तथा संचार मंत्री भी उन से १९-५-६२ को मिले थे ।

हुगली नदी के पोत चालकों की मख्य मांगें इस प्रकार थीं :—

(१) १९४८ में उनके प्रतिनिधियों के साथ हुई अनौपचारिक चर्चा में उनके वेतनों के अन्तर इत्यादि के बारे में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिये थे उनको तत्काल लागू किया जाये ।

(२) यह सेवा केन्द्रीय सरकार सीधे अपने हाथों में ले लेवे।

मैं ने उन प्रतिनिधियों से यह स्पष्ट कह दिया था कि कई कारणों से इन दोनों मांगों में से कोई भी मांग कलकत्ता पत्तन आयुक्तों या सरकार को स्वीकार्य नहीं है ।

चर्चा के पश्चात् पोत चालकों के प्रतिनिधियों ने भी यह स्वीकार किया कि इन दोनों में से एक भी मांग क्रियान्वित करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन के काम रोकने से देश तथा पतन के काम पर गम्भीर आघात हुआ है । अतः उन्होंने तत्काल काम पर लौटने का निश्चय कर लिया है । सरकार को विश्वास है कि कलकत्ता पत्तन के आयुक्त उन के विरुद्ध दायर की गयी विभागीय कार्यवाही कर उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे ।

कलकत्ता पत्तन में विभिन्न समुद्री सेवाओं में अच्छे संबंध बनाये रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिये सरकार कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के परामर्श से विभिन्न समद्री सेवाओं के पुनर्गठन के प्रश्न पर जांच करने का विचार कर रही है । तब तक अस्थायी तौर पर पोत चालन सेवा का प्रशासन कलकत्ता पतन आयक्तों के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

मैं हुगली पोत चालकों को जिन्होंने पिछले बीस दिनों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में में भी पूरी सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन किया, अत्यंत आभार प्रदर्शित करता हूं । मैं उन लोगों के प्रति भी सरकार का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं जो नव-स्थापित तदर्थ पोत चालन सेवा एकक के सदस्य हैं, विशेषतः भारतीय नौ सेना और नदी साफ करने की सेवा के सदस्यों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। हम उन नौवहन समवायों के भी कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हड़ताल के समय अपने अधिकारियों की सेवाओं को हमें देकर अपना सहयोग दिया था ।

समिति के लिये निर्वाचन

नारियल-जटा बोर्ड

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ के एस० आर० ओ० संख्या. ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल -जटा उद्योग नियम, १९६४ के नियम (४) के उप-नियम (१) (क)

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिये नारियल-जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नय यह है :

"कि दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ के एस० आर० ओ० संख्या ३९८३ द्वारा संशोधित नारियल-जटा उद्योग नियम, १९५४ के नियम (४) के उप-नियम (१) (ङ) के अनसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने लिये के अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगें—जारी

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब सिंचाई और विद्यत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यंत कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस दिलचस्प चर्चा में हिस्सा लिया। शायद म भी उन माननीय सदस्यों से अधिक नहीं जानता हूं जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया क्योंकि मैं ने केवल दो सप्ताह पूर्व ही इस मंत्रालय का भार संभाला है। माननीय सदस्यों ने इस विषय का पर्याप्त अध्ययन किया होगा।

तथापि मेरा सम्पर्क इस मंत्रालय से स्वतंत्रता के तत्काल बाद से है। तब इस मंत्रालय को निर्माण, खान और विद्यत् मंत्रालय कहते थे। भारत के स्वतंत्र होते ही हम ने भारत की नदियों पर ही निगाह दौड़ाई। नदियों का सदैव से संसार की जनता पर बहुत प्रभाव रहा है। नदियां जीती जागती अमर संस्थाओं के समान हैं जिनका मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्र के जीवन और दर्शन पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अतः सब से पहले हम ने यही विचार किया कि हम पश्चिमी घाट और मध्य भारत में बहने वाली नदियों को किस प्रकार लाभकारी बना सकते हैं।

यह हमारी निर्भीकता का अकाट्य प्रमाण था कि हम ने अनुभव न होते हुए भाखड़ा, नंगल, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड व तुंगभद्रा जैसी योजनाओं को अपने हाथ में लिया। भारत के असंख्य खेतों को जब भी पानी देने की आवश्यकता महसूस हुई तो हमारी निगाह इन नदियों पर ही गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

अब ये बड़ी-बड़ी परियोजनाएं साकार होती जा रही हैं। भाखड़ा बांध का निर्माण भी अब पूरा होने को है। यह संसार के सब से ऊंचे बांधों में से है। उस से ऊंचा बांध शायद स्विजरलैण्ड में बन रहा है। भाखड़ा बांध के जल से अभी भी २० लाख एकड़ से कुछ ही कम भूमि की सिंचाई होने लगी है। दामोदर घाटी परियोजना से छः लाख एकड़ की सिंचाई हो रही है। हीराकुंड और तुंगभद्रा से साढ़े तीन लाख एकड़ की सिंचाई होती है। इन विशाल परियोजनाओं के निर्माण की कथा एक स्वप्न के साकार बनने और एक उच्चादर्श की पूर्ति की कथा है।

हम ने इस में ग़लतियां भी की हैं, और कभी-कभी वे बड़ी महंगी भी पड़ी हैं। आखिर घुड़सवार ही तो घोड़े से गिर सकते हैं। इस प्रकार गिर कर बार-बार उठते हुए हमने इस उच्चादर्श की पूर्ति की है। इतिहास हमारी इस पीढ़ी को भारत के प्रारम्भिक निर्माताओं की पीढ़ी कहेगा।

हमने सिंचाई की बड़ी और छोटी परियोजनाओं पर प्रथम योजना में ३८० करोड़, द्वितीय योजना में ३७० करोड़ रुपये खर्च किये हैं, और तृतीय योजना में ६६१ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। योजनाओं की कुल संख्या ५४१ है, जिनमें से ४७५ मध्यम दर्जे की और ६६ बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं। हम ५ करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं को बड़ी, और ५ करोड़ से १० लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मध्यम दर्जे की परियोजनायें कहते हैं। चालू योजना में मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के लिये १४० करोड़ रुपये रखे हैं। इस प्रकार हम ने मध्यम दर्जे की परियोजनाओं की ओर भी समुचित ध्यान दिया है।

योजना के आरम्भ से पहले ५१५ लाख एकड़ भूमि सिंचाई होती थी, जिस में २२० लाख एकड़ की सिंचाई बड़ी और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं द्वारा होती थी। द्वितीय योजना के अन्त तक हम ने १३२ लाख एकड़ की सिंचाई-क्षमता बड़ी और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं द्वारा पैदा करली थी और हम अब १ करोड़ एकड़ की सिंचाई करते हैं। तृतीय योजना की समाप्ति तक हमारी सिंचाई-क्षमता २९४ लाख एकड़ भूमि की हो जायेगी और २२८ लाख एकड़ की वास्तविक सिंचाई होने लगेगी। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के काल में हम २२० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने लगेंगे, जो पिछली इतनी सारी शताब्दियों में भी नहीं हुई थी।

श्री ईश्वर अय्यर और श्री इकबाल सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने सिंचाई क्षमता के उपयोग का प्रश्न उठाया था। यह सही है कि हमने जितना सोचा था उतना नहीं कर पाये हैं। लेकिन इस मामले में सिंचाई की संभावित क्षमता और वास्तविक सिंचाई के बीच कुछ अन्तर तो रहेगा। हमारा और अन्य सभी देशों का यही अनुभव है। यह नहीं होता कि पूरी संभावित क्षमता का उपयोग किया जा सके। उसमें करीब दस वर्ष लग जाते हैं। हम उसे कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि संभावित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो। वैसे मद्रास में लोअर भवानी परियोजना की संभावित सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने में केवल तीन वर्ष ही लगे। हां, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** (मारकापुर) : मैं माननीय मंत्री को सूचित कर दूं कि आन्ध्र प्रदेश की एक परियोजना की सिंचाई-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग एक ही वर्ष में किया गया है।

†**श्री अलगेशन** : इस सूचना के लिये मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं।

सरकार इन मामलों पर लगातार विचार करती रहती है। हमारे अधिकारी जब-तब राज्यों में जाकर इनके सम्बन्ध में चर्चायें करते रहते हैं। इसे यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

हमारा अनुभव यह है कि हमने पांच वर्षों में अपनी सिंचाई क्षमता ४८ से ७६ प्रतिशत तक बढ़ा ली है। चम्बल का अब दूसरा बांध भी खड़ा होता जा रहा है। उससे ११ लाख एकड़ की सिंचाई हो सकेगी। अभी उससे राजस्थान में केवल १३ लाख और मध्य प्रदेश में ३०,००० एकड़ की सिंचाई हो पाती है। इसमें समय तो लगता ही है। पर हम अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।

विद्युत् हमारे राष्ट्र के विकास की सूचक है। आज कोई भी राष्ट्र विद्युत के बिना गुजारा नहीं कर सकता। हमें उसकी बड़ी चिन्ता है। विद्युत् की कमी आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और बंगाल जैसे राज्यों में अधिक महसूस की जा रही है। मैं आपको उसके कारण बताता हूं।

द्वितीय योजना काल के मध्य में हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई पड़ी। हमारी कुछ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब भी हो गया था। जैसे भाखड़ा-नंगल, हीराकुंड, रिहान्द, कोयना, इत्यादि के निर्माण में। अब कोयना की प्रथम इकाई का उद्घाटन हो चुका है। उसे ६०,००० किलोवाट विद्युत् मिलेगी और महाराष्ट्र-गुजरात क्षेत्र की कमी एक सीमा तक दूर होगी। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें कुछ कम-महत्वपूर्ण परियोजनायें छोड़ देनी पड़ी हैं।

प्रथम योजना से पहले विद्युत संभरण उपक्रमों पर केवल १५० करोड़ रुपये का विनियोजन था। प्रथम योजना में वह ३०२ करोड़ और द्वितीय योजना में ५२५ करोड़ रुपये हो गया था। तृतीय योजना के दौरान हम विद्युत् संभरण के सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों पर कुल १,०८९ करोड़ रुपयों का विनियोजन करेंगे। हमने उनमें से अधिकांश परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध कर लिया है। उन पर ३३० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा व्यय होगी। पहले वर्ष में उसके लिये ११० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सुलभ बनाई जा चुकी है और द्वितीय वर्ष में १७० करोड़ सुलभ बनाई जायेगी। शेष काल के लिये केवल ५० करोड़ की विदेशी मुद्रा बच रहेगी। इस प्रकार इस योजना के दौरान विदेशी मुद्रा की कठिनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन विद्युत की कमी इतनी है कि हमें इतने पर संतोष नहीं हो सकता। ७० लाख किलोवाट विद्युत पैदा करने का लक्ष्य पूरा करने के लिये हमें विदेशी मुद्रा के और अधिक संसाधन तलाश करने पड़ेंगे।

आज हम राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्नशील हैं। नदियों और विद्युत् से अधिक उसमें योगदान देने वाली और कोई चीज नहीं। नदी घाटी परियोजनाओं के विकास में राज्यों की सीमाओं का कोई विचार नहीं रखा जा सकता। यदि किसी नदी घाटी में विद्युत-विकास, सिंचाई और वनरोपण, इत्यादि का विकास करना हो, तो अलग-लग राज्यों के दृष्टिकोण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

से उस पर विचार नहीं किया जा सकता। नदियां राज्यों की सीमाओं को इतना पवित्र मानकर नहीं चलतीं। यह दूसरी बात है कि उनके विकास के सिलसिले में विभिन्न राज्य-सरकारी से परामर्श करना पड़ता है। हमने महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, सतलज और व्यास से सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस मामले में बातचीत चलाई है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी सहमति दे दी है और हम उन नदी परियोजनाओं की समस्याओं के लिये नदी-बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं। वे बोर्ड उन राज्य सरकारों को उनके निर्माण के बारे में सलाह देंगे।

नर्मदा के प्रश्न पर जल्द ही विचार किया जायेगा। हमने एक अधिकारी को उसका विशेष दायित्व सौंपा है। हम उसके लिये एक केन्द्रीय प्राधिकार बनाना चाहते हैं। दामोदर घाटी निगम का हमारा अनुभव यह है कि विभिन्न राज्यों में मतभेद खड़े हो जाते हैं और काम में मुश्किल पड़ती है।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा): दामोदर घाटी निगम अन्तर-प्रान्तीय विवादों में फंस कर रह गया है।

†**श्री अलगेशन** : इसीलिये हमें नर्मदा नदी और घाटी के विकास के लिये दामोदर घाटी निगम जैसा प्राधिकार नहीं बनाना चाहिये।

विद्युत के क्षेत्र में हमें राज्यीय सीमाओं की खामियां और असंगतियां महसूस होती हैं। यदि प्रादेशिक ग्रिड होते, तो कई क्षेत्रों में ऐसी कठिनाइयां सामने न आतीं। होता यह है कि विद्युत् सुलभ होने पर भी एक क्षेत्र में तो उसका उपयोग नहीं हो पाता और दूसरे क्षेत्र में उसकी कमी बनी रहतीं है। जैसे कि रिहांद में हम विद्युत का अधिक उत्पादन करके, यदि वह किसी ग्रड से सम्बन्धित होती, तो दूसरे क्षेत्रों तक उसे पहुंचा सकते थे। चम्बल की भी यही समस्या है। इसीलिये मंत्रालय जोनीय ग्रिड बनाकर उनको एक अखिल भारतीय ग्रिड से सम्बन्धित करने के प्रश्न पर मुस्तैदी से विचार कर रहा है।

कल के वाद-विवाद में डा० क० ल० राव ने बड़ा अच्छा योगदान किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं। उन्होंने एक इंजीनियर की हैसियत से अपने अनुभव के आधार पर काफी सूझबूझ की बातें कहीं थी। उन्होंने कहा था कि अब राजनीति और राजनीतिज्ञों की तुलना में विज्ञान और टेकनीशियनों को वरीयता देने का समय आ गया है। उनका सभा के लिये चुने जाना शायद उसी की शुरूआत है। वह स्वयं पांच वर्ष तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सदस्य रह चुके हैं। उनके सुझावों को समुचित महत्व दिया जायेगा।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग हमारे देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संगठन हैं। सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी समस्याओं के लिये वही हमारा मस्तिष्क है। उसकी शक्ति और उसकी कार्यक्षमता पर किसी कदर कोई आंच नहीं आने देनी चाहिये। उसे बिलकुल चौकस रखना चाहिये।

डा० क० ला० राव ने यह भी कहा था कि उस संगठन की हालत बिगड़ रही है। अभी कुछ महीने पहले ही तो वह उस संगठन के सदस्य थे। इतने शीघ्र तो हालत बिगड़ नहीं सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ल० राव :** अच्छा हो यदि माननीय मंत्री मेरे उससे पिछले सम्बन्धों का उल्लेख न करें। मैंने उसकी भीतरी बातों का कोई उल्लेख नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत कुछ और भी कहता।

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य ने स्सयं ही मुझे इस बहस में घसीट लिया था। अब मैं उसके बारे में केवल इतना कहूंगा कि उस संगठन को चौकस बनाये रखा जायेगा, जिससे कि वह अपने काम ठीक से कर सके।

विद्युत उद्योगों के सम्बन्ध में स्थित यह है कि भोपाल हैवी इलैक्ट्रिल्स परियोजना का उत्पादन पूरी तौर पर शुरू हो जाने पर कुछ सीमा तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी। तीन नयी परियोजनाओं का नर्माण भी शुरू हो रहा है। आशा है कि ये चारों मिलकर चतुर्थ योजना काल की हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। तब तक हमें उनके लिये विदेशी मुद्रा जुटानी है।

गुलाटी आयोग के सम्बन्ध में डा० क० ल० राव ने कहा था कि कोई ।ववाद खड़ा नहीं होना चाहिये। बात ।बलकुल ठीक है। लेकिन सवाल तो संविधान के अनुच्छेद २६२ का है, जिसके अन्तर्गत अन्तर–राज्यीय नदी विवाद अधिनियम पारित किया गया था।

वास्तव में इस आयोग की नियुक्ति ही एक विवाद से बचने के लिये की गई थी। इसीलये कि राजनैतिक स्तर पर उसका निर्णय नहीं हो सका था। पर कोई हल तो निकालना ही था। डा० क० ल० राव ने बड़ा सीधा सा सुझाव दिया था कि सदस्यगण आयस में बैठ–कर बातें करें और कोई हल निकाल लें। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हल तो तभी निकलेगा जब उसके सम्बन्ध में विश्वसनीय सामग्री सुलभ हो। सामग्री इकट्ठी करने के लिये ही तो आयोग की नियुक्ति की गई है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या १९५० का समझौता अविश्वसनीय सामग्री के आधार पर हुआ था।

†**श्री अलगेशन :** इसका उत्तर भी तभी मिल सकेगा जब आयोग समस्त सम्बन्धित सामग्री इकट्ठी कर लेगा। आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर ही यह स्पष्ट होगा। आयोग इन दोनों नदियों में जल की सुलभता के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे करके हमारे सामने रखेगा। तभी उस पर कोई राजनीतिक, या प्रशासकीय निर्णय किया जा सकेगा। गतिरोध से निकलने के लिये ही तथ्य संग्रह करने वाला यह आयोग नियुक्त किया गया है। शायद जुलाई तक उसका प्रतिवेदन मिल जायेगा। इस सम्बन्ध में व्यग्र या चिन्तित होने की कोई बात नहीं।

भारत की जनता में अलगाव पैदा करने वाली कई चीजें हैं, जैसे जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, इत्यादि। उनकी सूची में अब नदियों को भी नहीं जुड़ने देना चाहिय नदियां आदि काल से हमारी जनता के बीच एकता और सौहार्द पैदा करती आई हैं। उनको अलगाव और फूट का साधन नहीं बनने देना चाहिये। नदियो के किनारे हमारे बड़-बड़ तीर्थ हैं, जहां पुरातन काल से लोग व पर्वों पर नहान के लिय आते रहे हैं। इसलिय नदियों को एकता के सूत्रो के रूप में लेना चाहिय। यही मेरी अपील है।

माननीय सदस्यों ने कुछ स्थानीय मांगों का भी उल्लेख किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

श्री देशमुख ने महाराष्ट्र के मराठवाडा प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास का उल्लेख किया था। उस प्रदेश में २३ योजनाओं का काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत २६.२३ करोड़ रुपये हैं। तृतीय योजना में उनके लिये १९.३४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, जिनके फलस्वरूप ३.२४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

श्री नरसिंहम् रेड्डी ने चितूर जिले की बहुदा परियोजना का प्रश्न बड़ जोर से उठाया था यदि आन्ध्र सरकार उसे फिर से हाथ में लेने को तयार हो, तो हम उसके लिये भरसक प्रयास करेंगे।

श्री इकबाल सिंह और श्री लहरी सिंह ने पंजाब में पानी भर जाने की समस्या का उल्लेख किया था। वह एक गम्भीर समस्या है। हम पंजाब सरकार को उस पर काबू पाने के लिये सहायता दे रहे हैं। कठिनाई यह है कि भूमि जल के स्तर से नीचे के स्तर पर नहरें बनाना सम्भव नहीं है। हमें उसके लिये 'ड्रग लाइन्स' नामक उपकरण खरीदने पड़ेंगे; उसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से एक करोड़ डालर का ऋण लिया जा रहा है। चैकोस्लावाकिया से ऐसा कुछ उपकरण खरीदा भी गया है, और कुछ मशीनें काम भी कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि हम समस्या के प्रति पूर्णतया सतर्क हैं। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंग।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो बिजली रिहन्द बांध पर उत्पादित होगी उसे उत्तर प्रदेश की सरकार तथा मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बाटेंग। यह मामला कई बार सभा के समक्ष आ चुका है। दोनो राज्यों की सरकारों तथा उसके मुख्य मंत्रियो ने इस पर सक्रिय रूप से विचार किया है। उनका विचार है व्यक्तिगत स्तर पर ही इस समस्या को सुलझा लिया जायेगा।

श्री लीलाधर कटकी ने आसाम में कम बिजली के खपत होने की चर्चा की है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में आसाम की स्थिति असन्तोषजनक नहीं है। वहां द्वितीय चवर्षीय योजना के अन्त में काफी फालतू बिजली भी बच गई थी। परन्तु उमियाम तथा नाहरकटिया परियोजनाओं के लाग हो जाने से इस दिशा में वहां की स्थिति और अधिक सुधर जायेगी। कोपिली परियोजना में ३,६६,००० किल्लो वाट बिजली के पैदा किये जाने की सम्भावना है। इस योजना की काफी प्रगति भी हो रही है।

जो कुछ मैंने कहा है इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे समक्ष बहुत बड़ा कार्य है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम ३६ प्रतिशत पानी के बहाव को प्रयोग में लाये जाने में सफल हो जायेंगे। इस सब का अनुमान लगभग ४५०० लाख एकड़ फुट होगा। मेरा निवेदन है कि जिन योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है यदि वह या सा ही काम करने लग जायें तब भी लगभग ५ लाख किल्लो वाट बिजली की कमी रह जायेगी। बात यह है कि बिजली की मांग बहुत अधिक बढ़ी है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कार्य कितना विशाल है कि हम एक करोड़ रुपया प्रतिदिन तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में खर्च करेंगे। इसके लिये सदन और लोगों की इच्छाएं तथा सहयोग की आवश्यकता है। इसके बिना कार्य न आगे बढ़ सकता है और न सफलता ही मिल सकती है।

†**श्री हनुमन्तैया** : (बंगलौर नगर) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। मैंने अखबारो में पढ़ा है कि रूस ने संयन्त्र देने में असमर्थता प्रकट की है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में उन्होंने देने स्वीकार किये थे। इससे बिलजी

† मूल अंग्रेजी मे

के मामले में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में ७,५०,००० किल्लो वाट बिजली का अन्तर पड़ जायेगा। आशा है यह बात मंत्री महोदय के नोटिस में आ गयी होगी। क्योंकि वह स्वयं ही बता रहे थे कि देश में बिजली की बहुत कमी है। १० वर्ष पूर्व मेरा राज्य बिजली पैदा करने के मामले में सबसे आगे था। परन्तु दुर्भाग्य से आज बिजली की कमी के मामले में सबसे आगे है। वहां का उद्योगिक विकास भी रूका है तथा राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। उस समय तो एक बार महात्मा गांधी ने भी एसा पूछा था कि मैसूर में इतनी बिजली पैदा होती है कि इसे कैसे खर्च किया जाये। यह भी एक समस्या थी।

पता चला है कि केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग के सभापति बातचीत करने रूस गये थे। और उनके ही किसी गोपनीय सूत्र से इस बात का पता चला है कि रूस संयंत्र देने में कि नाई अनुभव कर रहा है। रूस एक बहुत बड़ा देश है। उसकी प्रगति भी ऊंचे दर्जे की है। यदि उसने अपना वायदा पूरा न किया तो इससे भारत में उसके गौरव को बड़ा आघात पहुंचेगा। रूस के लोगो के लिये भारत के लोगों के दिलो में बहुत आदर है उन्होंने गोआ और काश्मीर के मामले में भारत की बहुत सहायता की है। मुझे आशा है कि उन्होंने भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जो वायदा किया है उसे पूरा करेंगे। यदि ऐसा न हुआ तो भारत की अर्थ व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैसूर में शरावती घाटी परियोजना का निर्माण मैसूर में हो रहा है। यह भारत की सब से बड़ा और सबसे सस्ती परियोजना होगा। इसको पूरा करने के लिय अमरीकी सहायता करने की व्यवस्था की गई हैं। इसके लिये हम भारत स्थित अमरीका राजदूत के बड़े आभारी हैं। वैसे भी यह घाटी बड़ी रमणीय है। यहां पानी के बहुत बड़े बड़े झरने हैं। भारत भर में यहां सबसे अधिक बिजली पैदा होगी। यात्रियो के लिये इसे आकर्षक बनाने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में विद्युत् को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक तो विद्युत भाग है, यह जल बिजली का विभाग है और दूसरा ताप विद्युत् है। तीसरा परिषण से सम्बन्धित है अर्थात् उसका सम्बन्ध देहाती क्षेत्र में पहुंचाये जाने वाली बिजली से है। मुझ आश्चर्य है कि अणुशक्ति निर्माण को इस सूची में क्यो नहीं रखा गया। हो सकता है कि यह विषय किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता हो परन्तु मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय मंत्रालय और विद्युत् बोर्डों में समुचित समन्वय ो होना हीं चाहिये। आजकल हर मामले में राष्ट्रीयकरण का युग है। और यह सिद्धान्त नदियों के जल और बिजली पर भी लागू है। जहां तक सिंचाई और जल का सम्बन्ध है यह तो राष्ट्रीय निर्माण की आधार शिला है। मेरा तो यह भी मत है कि भारत सरकार का सब से महत्वपूर्ण मंत्रालय हीं सिंचाई और विद्युत् का है। और मे ी यह इच्छा है कि इस मंत्रालय को समुचित सफलता मिलनी चाहिये।

गुलाटी आयोग को अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये था। एक मास की देरी तो अक्षम्य समझी जानी चाहिये। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा अन्य आसपास के राज्यों की बहुत सी परियोजनायें इसी कारण से रुकी हुई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही आदमी को बहुत से काम सौंपे जाने की नीति को समाप्त किया जाना चाहिये। इसी से काम में देरी होती है। यदि ऐसे ही रहा तो समाज वादी समाज की रचना कैसे हो सकेगी। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय है और कोई भी समस्याओं को दलगत दृष्टि से नहीं देखता। अतः मंत्री महोदय को प्रत्येक सदस्य के भाषण को अपेक्षित महत्व देना चाहिये। जो लोग विशेषज्ञ हैं, उनकी बात तो सुननी ही चाहिये।

†**डा० सारादीशराय** (कटवा) : हमारे देश की छोटी बड़ी क्षमताओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की सिंचाई परियोजनायें जरूरी हैं परन्तु हम प्रतिदिन यह बात देखते हैं कि छोटी परियोजनायें अधिक दूर दूर तक जाकर लाभदायक सिद्ध होती हैं। मुख्य और बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक किसान को सिंचाई के लिये पानी मिलना चाहिये। अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि रिहान्द बांध पूर्ण हो चुका है और इससे लगभग १० लाख एकड़ बिहार की भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। परन्तु खेद जनक बात यह है कि इस जल का सिंचाई के लिये उपयोग नहीं हो रहा। यही हालत और भी कई एक। दामोदर घाटी निगम में भी कई एक गड़बड़ों की सूचना मिल रही है। इस प्रकार सिंचाई क्षमता को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा और कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि दामोदर घाटी के लिये छः लाख एकड़ का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु लक्ष्य यह है कि १२ लाख एकड़ के लिये जल सम्भरण की व्यवस्था की जायेगी। ९० प्रतिशत नहर का कार्य समाप्त हो चुका है परन्तु सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग केवल आधा ही हो रहा है मयूराक्षी परियोजना का लक्ष्य, जा कि पश्चिमी बंगाल में है, छः लाख एकड़ भूमि का था परन्तु अभी तक उपयोग केवल तीन लाख एकड़ भूमि के लिये ही हो रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बड़ी बड़ी परियोजनाओं के कार्य में बाधायें आ रही हैं और उन पर धन नष्ट किया जा रहा है। कहीं सयंत्र में दोष है तो कई इमारत मे दरारें आ रही हैं। सरकारी धन का खूब दुरोपयोग हो रहा है। और इस सब का कारण यह है कि ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही।

दामोदर घाटी निगम के चार मुख्य उदेश्य बताये गये थे। एक बाढ़ नियन्त्रण, दूसरा सिंचाई तीसरा काफी और सस्ती बिजली उत्पादन, चौथा सारा साल नौवहन को प्रोत्साहन। सिंचाई के बारे में तो मैं कह चुका हूं कि यद्यपि इसका सारा काम पूर्ण हो चुका है परन्तु पानी अभी तक आधी भूमि को ही दिया जा रहा है, वह भी नियमित नहीं है। लोग कहते हैं कि यह निगम बाढें रोकेगा क्या, यह तो स्वयं बाढ़ें ला रहा है। १९५६ और १९५७ में यह बाढ़ों के नियन्त्रण में असफल रहा। इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद चलता रहा। और भी कई एक मामलों में खिचाव रहा। इसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष बिहार और पश्चिमी बंगाल के बहुवा कारखाने बन्द रहे। यह भी सन्देह की ही बात है कि इस नहर के द्वारा कोयले का परिवहन हो सके। इस मामले में कोई विशेष सफलता दिखाई नहीं देती।

यद्यपि इस दिशा में लाखों रुपया खर्च किया गया है तथापि किसान लगभग असन्तुष्ट हो है। सिंचाई जल के कर की दर बहुत ऊंची रखी है। इस कर को कम किया जाये ताकि किसान को भी अधिक उत्पादन के लिये कुछ उत्साह पैदा हो।

† **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (जालौर) : हम माननीय मंत्री महोदय को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं परन्तु उन्हें भी काम को बड़ी तेजी से बढ़ाना चाहिये और अपने मंत्रालय का पुनर्गठन करना चाहिये। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का भी पुनः गठन किया जाना चाहिये। जो कुछ मंत्रालय को करना चाहियें था वह हो नहीं पाया। सिंचाई और विद्युत् के बारे में सरकारी नीतियां आगे नहीं बढ़ पाई। राज्य सरकारों पर भी समुचित दबाव नहीं डाला जा सका। मंत्रालय वैसा नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा है जैसा कि नीतियों को चलाने के लिये अपेक्षित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा यह निवेदन है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली उत्पन्न करने के लक्ष्य के संबंध में ३३ प्रतिशत कमी रही है। मेरा मत यह है कि इसका कारण विदेशी मुद्रा का न मिलना नहीं प्रत्युत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में देरी लगाना है। मुझे इससे अत्यन्त खेद होता है कि तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कोई गम्भीर और विशेष प्रयत्न किया जाता दिखाई नहीं देता। इसके लिये मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय में विद्युत एवं जल विभागों का प्रभार सम्भालने के लिये कम से कम दो अतिरिक्त सचिव---जो कि दोनों प्रविधिज्ञ हों, नियुक्त किये जाने चाहिये। बहुत अनावश्यक प्रशासनिक आडम्बर समाप्त कर दिया जाना चाहिये। और कोई भी फैसला करते समय प्राविधिक कर्मचारियों को समक्ष रखना चाहिये।

एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि यदि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को परियोजनाओं को चलाने के पूरे अधिकार दे दिये गये तो बहुत सी गम्भीर समस्यायें प्रस्तुत हो जायेंगी। उसे अपना वर्तमान कार्य करते हुये समन्वय करने का कार्य ही करते रहना चाहिये। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जिस अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के निर्माण का विचार किया जा रहा है उसके वेतनक्रम अन्य सेवाओं से कम न हो। गांवों में बिजली लगाने का कार्य समुचित आधार पर नहीं किया जा रहा। इस बारे में कुछ राज्यों को अधिक और कुछ को कम आवण्टन कर दिया गया है। और अन्त में मेरा यही निवेदन है कि सभी बड़ी परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया जाना चाहिये।

†**श्री शिवनंजप्पा:** (मंड्या) : मैं सिचाई और विद्युत् मंत्रालय की कुछ सफलताओं के लिये उसको वधाई देता हूं। इन मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ, मैं मंत्रालय का ध्यान मैसूर राज्य में विद्युत् के अभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मैसूर में शिवसमुद्रम्, जोग और शिमसा विद्युत् केन्द्र हैं। उनकी क्षमता १०,००० किलोवाट की है, लेकिन शाम के समय उसकी मांग लगभग १,७०,००० किलोवाट तक बढ़ जाती है। इससे उद्योगों के लिये विद्युत् की कमी पड़ जाती है।

इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही मैसूर राज्य के विद्युत् बोर्ड ने भारत सरकार के सामने दो प्रस्ताव रखे हैं। उनमें से एक के अन्तर्गत १२,००० किलोवाट की क्षमता के दो विद्युत् केन्द्र स्थापित होने चाहिये, जिनकी लागत एक करोड़ रुपये होगी, जिसमें से ६० लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा के रूप में होगी। मैसूर राज्य मैंगनीज़ अयस्क, लौह अयस्क, काफी और चन्दन-उत्पादों के निर्यात से १२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा कर देश को देता है। इसलिये केन्द्र को ६० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की अनुमति उसे दे देनी चाहिये। दूसरा प्रस्ताव यह है कि देहाती क्षेत्रों को विद्युत् सुलभ बनाने के लिये डीजल इंजन से बिजली पैदा करने के कई बिजलीघर बनाये जायें उनके लिये ऐसे देशों-जैसे चैकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी---से संयंत्रों का आयात करना पड़ेगा, जिनको रुपयों में अदा किया जा सकता है। सरकार को उनके लिये आवश्यक आयात अनुज्ञप्तियां दे देनी चाहिये।

कृष्णा और गोदावरी के जल को विभिन्न संबंधित राज्यों में वितरित करने के प्रश्न पर काफी चर्चा चल रही है। भारत सरकार ने भूमि संबंधी अपनी नीति निश्चित करली है, अच्छा हो यदि वह जल संबंधी एक नीति भी निश्चित करले। उसी के अनुसार संबंधित राज्यों में जल का समान वितरण किया जाये। लेकिन उसे निश्चित करने से पहले गुलाटी आयोग द्वारा संकलित जानकारी देख लेना जरूरी होगा। कृष्णा नदी के जल पर मैसूर राज्य का ४७॥ प्रतिशत हक है। इसलिये कि कृष्णा बेसिन में मैसूर राज्य का ४४.८ प्रतिशत जल-निस्सारण क्षेत्र, ४७.६ प्रतिशत जोतों का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिव नंजप्पा]

क्षेत्र, ४७ प्रतिशत कृषि-योग्य क्षेत्र, ५८ प्रतिशत अभाव-ग्रस्त क्षेत्र और ४० प्रतिशत जनसंख्या सम्मिलित है ।

लेकिन १९५१ के बंटवारे के समय इन सब बतों पर गौर नहीं किया गया था । १९५१ के बंटवारे का उद्देश्य कुछ परियोजनाओं को चुनना ही था, हमेशा के लिये इन नदियों के जल का बंटवारा करना नहीं । उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को उस सम्मेलन में बुलाया भी नहीं गया था । और, मैसूर तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य उस बंटवारे से सहमत भी नहीं हुये थे । आंध्र प्रदेश की कोशिश यह है कि कृष्णा नदी के जल को कृष्णा नदी के बेसिन के अतिरिक्त अन्य स्थानों के उपयोग में लिया जाये । लेकिन बेसिन की अपनी आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इसलिये १९५१ का बंटवारा त्रुटिपूर्ण है ।

भारत भर के सब से शुष्क प्रदेशों में मैसूर राज्य के कृष्णा–डेल्टा की गिनती की जाती है । इसलिये जल का बंटवारा फिर से एक नये आधार पर किया जाना चाहिये ।

आशा है गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन मिलने पर इन सभी क्षेत्रों से संबंधित विवादों का निबटारा हो जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी :**

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस नहर, पानी और बिजली के बारे में दो, तीन बुनियादी बातें आप की मार्फत सदन में रखने के लिये हाजिर हुआ हूं ।

इतने बड़े भारत के अन्दर जो किसानों का मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी धरती खेती की है और ४५ करोड़ नर नारियों को अन्न पहुंचाना इस ७२ करोड़ एकड़ धरती का काम है । इसकी बहुत बड़ी छाती आज एक, एक पानी की बूंद को तरस रही है । आज सारे भारत की नीति का अगर कोई बनना और बिगड़ना है तो वह इस पानी के सवाल पर है । अगर हिन्दुस्तान भूखा है अन्न मिलता नहीं है तो कभी रूस से अन्न लो, कभी अमेरिका से अन्न लो, यह पंचशील की नीति आकाश में उड़ती रहेगी और कामयाब नहीं हो सकेगी । जब तक यह अन्नदाताओं का देश अन्नदाता नहीं बनता, जब तक यह देश भिखारियों का देश रहेगा, अनाज के लिये कभी जाओ अमरीका के आगे झोली पसारो, कभी बहिन श्रीमती विजयलक्ष्मी झोली पसारती है और कभी कोई और पसारता है, तब तक इस देश की नीति, नीति नहीं बन सकती । अनाज का संकट कैसे मिटे ? अनाज का संकट मिटेगा पानी से । इस पागल आस्मान के भरोसे इस देश को जिन्दा नहीं रक्खा जा सकता । जिस आस्मान को यह पता नहीं कि कहां बरसना है और कहां नहीं बरसना है, कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखे के अन्दर बिलबिला कर मारता है और उस रीति नीति के ऊपर आजकल इर्रीगेशन मिनिस्टरी चल रही है । जहां पर सैलाब आ रहा है नीचे से वहां पानी भेज रहे हैं । राजस्थान और भिवानी तहसील जैसे इलाके जोकि एक, एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं वहां पानी के लिये कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय इस वक्त इस प्यासी जमीन को भारत की प्यासी जमीन को पानी देने की जरूरत है और यह आज की बात नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान की परम्परागत बात है । आज भारतवासी

†मूल अंग्रेजी में

भगीरथ का नाम लेकर अभिमान और गर्व का अनुभव करते हैं क्योंकि इस देश के अन्दर गंगा को भगीरथ की देन बताते हैं। भगीरथ की वह देन गंगा जिसने कि जनता से कुछ लिया नहीं लेकिन दिया सर्वस्व। गंगा ने हिन्दुस्तान के पुराने पुरखों का जो सदियों पहले मरे थे उनका कल्याण किया। आज के हमारे इस इ`गिेशन डिपार्टमेंट का उस भगीरथ से मुकाबला करो। उसने पानी दिया लेकिन इसलिये नहीं कि आने वाली संतानें खुशहाल बनें बल्कि इस पानी की बिना पर कई साल के मरे हुये मुर्दों के कफन भी उसने टैक्सों द्वारा ठोंस लिये और मिसाल देते हैं उस भगीरथ से जिसने कि पुराने कर्जे भी गंगा की देन से उतार दिये। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इस देश के अन्दर जो ७२ करोड़ एकड़ जमीन है उसको सिर्फ यह बड़े बड़े बांध ही नहीं बना सकेंगे बल्कि इस देश के अन्दर जो छोटी छो ी आवारा नदियां हैं चाहे वह पंजाब की घग्गर हो, चाहे वह बिहार की छोटी छोटी नदियां हों और चाहे वह ब्रह्मपुत्र हो मैं आज दावे के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जब मैं नदियों का सवाल करता हूं तब मैं यह समझता हूं कि वह लोग जो कहते हैं कि देश के एक, दो प्रोजेक्ट्स इस देश का कल्याण करते हैं वह देश की जनता के साथ बेवफाई की बात करते हैं। हिन्दुस्तान का कल्याण तभी हो सकता है जब हिन्दुस्तान की आवारा दरिया जोकि हिन्दुस्तान के मेरे लोगों की न सिर्फ पुरानी कमाइयों को ही लूटते हैं बल्कि आगे के लिये भी उनके पैर दलदल में फंसा देते हैं, उन आवारा नदियों को कंट्रोल किया जाये। चाहे वे घग्गर नदी हो, चाहे वह ब्रह्मपुत्र हो और चाहे वह यू० पी० और बिहार की नदियां हों, जब तक उन पर छोटे छोटे बांध बना कर किसानों तक उनका पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है उस वक्त तक यह एक, दो डैम, भाखड़ा जिसकी योजना की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह ठीक बात है कि जहां पर नहर होती है उससे कुछ पानी अगर पहुंच जाता है तो थोड़ा बहुत उससे अन्न बढ़ता तो है लेकिन वह बुनियाद नहीं बदलती है, बुनियाद तब तक नहीं बदलती है जब तक कि प्यासी जमीन को मजमूई तौर पर पानी न मिले। अब आप देखिये राजस्थान का इलाका, यह तहसील भिवानी, महेन्द्रगढ़ व गुड़गांव का इलाका, रोहतक और झज्जर तहसील के इलाके, उस इलाके के अन्दर जो यह नहर चली गयी, आज के भगीरथों ने उसके दर्शन दिखा कर पंडे बन कर टैक्सों द्वारा उन गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिया लेकिन पानी उस जमीन के अन्दर नहीं लगा और नीचे से लगा कर ऊपर तक रीति नीति एक तरीके से चल रही है। तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि उस नहर को यह जितनी आवारा नदियां हैं उन पर बांध बांध कर भारत की प्यासी जमीन को पानी पहुंचाया जाय। जब मैं पानी पहुंचाने की बात करता हूं तो उसी के साथ मैं आप की खिदमत में यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस तरीके से एक, दो व्यक्तियों के उठने से इस देश के अन्दर यह बांधों का काम नहीं चलेगा। उसके लिये इस देश की मजमूई जनता को उठाना है और उसके लिये हमे यह ठेकेदारी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा।

आजकल क्या हालत है ? एक बांध बांधा गया लेकिन उस बांध के अंदर लुटेरा वर्ग करोड़ों रुपया जनता का लूट कर खा गया। जैसे कि आप भाखड़ा नहर की मिसाल ले लीजिये। कभी उस का चैनल टूट जाता है तो कभी उस का साईफ़न टूट जाता है। सीमेंट की जगह मिट्टी लगी रहती है। अब जनता के साथ इतना विश्वासघात हो तब जनता के अन्दर उठने के लिये शक्ति नहीं आती और उसका मन नहीं उठता है और वह आगे को नहीं चलती है। इसलिये अगर इस देश की जनता को इन बांधों की तरफ उठाना है तो इस मुहकमे से भ्रष्टाचार को हटा देना चहिय। आजकल गांवों में एक आम मसल मशहूर है कि रिश्वत गई परमात्मा के पास और कहने लगी भगवान हम कहां जायें, हमें तो कहीं रहने ही नहीं देते तो भगवान ने कह दिया कि जाओ और महकमा नहर के अंदर बढ़ जाओ। वहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। यह अलग बात है।

श्री बागड़ी : अलग बात नहीं है। इस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी बाबत मैं सदन को बतला रहा हूं। इर्रीगेशन के अंदर यह भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अंग है जोकि इस मुहकमा नहर को आगे बढ़ाने के बजाये पीछे डालता है।

मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि नहर है, पानी है लेकिन अगर किसान की एक बीघा जमीन है, पानी लगाया नहीं एक किले के अंदर और पटवारी अगर १५ किले के अन्दर उस पानी को लगा हुआ बतला दे तो वह किसान अपना अन्न पैदा नहीं कर सकता। वह पानी उसके लिये न्यामत नहीं एक जहमत बन जाती है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इसका आपरेशन किया जाय और इस मुहकमे के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाय। यह जो परमिट सिस्टम चल रहा है और इस ठेकेदारी सिस्टम ने समाज को जर्जरीभूत कर दिया है और इस महकमे को तबाही के मुंह में डाल दिया है उसको खत्म करना जरूरी है।

नहर बनती है तो उसके लिये किसानों से उसका टैक्स लिया जाता है। इस देश के अन्दर जब भाखड़ा नहर बनी तो उसका पैसा सैंटर से लिया गया, सैंटर से सारी हैल्प ली गई लेकिन जब उसके पानी के तकसीम करने की बात आई तब यह जो भूखा और दलित इलाका हिसार और राजस्थान का था उसको पानी नहीं दिया जा सका और उधर पंजाबी स्पीकिंग इलाके की तरफ दे दिया गया जहां कि सेम से और भी तबाही होती जा रही है।

सरकार की गलत नीति का परिणाम यह हुआ कि लेने के देने पड़ गये बजाय लाभ के हानि हो गई। अगर किसी बीमार आदमी को घी दिया जाये, तो वह उसके लिये जहर बन जायेगा। अगर मिनिस्टर साहब को हृष्ट-पुष्ट भोजन दिया जाये, तो वह चन्द दिनों में बीमार पड़ जायेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि आदमी को वही चीज दी जाये, जिस को वह हज्म कर सके। किसी इलाके को जिस चीज की जरूरत है, अगर वह उस को मुहैया की जाये, तो वह उस के लिये अमृत का काम देगी। ऐसा न करने पर फायदे की बजाय नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि नहर के महकमे से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये और सूखे इलाकों को पानी देने का प्रबन्ध किया जाये।

जहां तक बिजली का संबंध है, बिजली अंग्रेज के राज में भी थी, लेकिन उसका उपयोग बहुत ऊंचे स्तर पर किया जाता था। इस बारे में तरक्की यह हुई कि जहां लकड़ी या दिये से काम लिया जाता था, वहां अब बिजली के बल्ब और ट्यूब्स लग गईं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे देश की मजमूई तरक्की नहीं हुई है। अगर देश को उठाने के लिये बिजली से काम लेना है, तो ग्रामों में ट्यूब-वैल्ज लगाए जाने चाहियें और खेतों में पानी पहुंचाने के लिये पम्प्स की व्यवस्था की जानी चाहिये। अगर बिजली का पेश्तर हिस्सा किसानों के काम के लिये जुटाया जायेगा, तभी यह देश जीवित रह सकता है। अगर बिजली को एयाशी के साधन जुटाने के लिये, बड़े बड़े अफसरों के बंगलों को एयर-कन्डीशन्ड करने के लिये और बड़ी बड़ी आरामगाहों में इस किस्म की सहूलियतें पहुंचाने के लिये काम में लाया जायगा, तो इससे देश की उन्नति और विकास नहीं होगा। बल्कि यह देश की तबाही का पेश-खमा होगा। अगर वक्त की नजाकत को समझते हुए पानी और बिजली का इस्तेमाल भारत के अन्नदाताओं को उठाने के लिये नहीं किया जायगा तो इस बात का भय है कि इस देश में बगावत के शोले भड़केंगे और यह देश बर्बादी और तबाही के रास्ते पर जायेगा।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (कर्नूल) : माननीय मंत्री ने आज सुबह बड़ी स्पष्टता से स्वीकार किया है कि दो योजनाओं के दौरान ३७५.६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता पैदा हुई है लेकिन कई कारणों से उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है और बहुत ही शीघ्र किया भी नहीं जा सकेगा। मैं उसका एक कारण बताती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई राज्यों में किसानों से नहरें खोदने के लिये कहा जाता है, जो वे अपनी आर्थिक दशा के कारण करने में समर्थ नहीं होते। ऐसी हालत में राज्य सरकारों को किसानो के खेतों तक नहर तैयार करानी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सिंचाई के लिये बनने वाले बांधों को केवल जल संचित करने के लिये ही नहीं, बल्कि बाढ़ से रक्षा के प्रयोजन से बनाना चाहिये। थोड़ा और व्यय करके, बांधों की दीवारें कुछ और ऊंची उठवाकर यह किया जा सकता है।

सरकार ने अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को छोटी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं में यथेष्ट रुचि नहीं दिखाई है। मैं आपके सामने रायलसीमा, कुड्प्पा, करनूल, अनन्तपुर और बेलारी जैसे अभावग्रस्त क्षेत्रों की बात रखती हूं। भारत में ऐसे कई अन्य प्रदेश मौजूद हैं।

१९०३ के भारतीय सिंचाई आयोग ने लिखा था कि अकाल सामान्यतया उन्हीं इलाकों में अधिक पड़ते हैं जहां सामान्यतया औसत वर्षा नहीं होती और, यदि किसी प्रदेश में बार-बार औसत से कम वर्षा हो तो वहां सिंचाई संबंधी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है।

१८७८ के भारतीय अकाल आयोग ने लिखो था कि सूखा उन्हीं क्षत्रों में अधिक पड़ता है जहां औसत वर्षा २० से ३५ इंच तक पड़ती है।

१९५१ के जनगणना प्रतिवेदन में भी यही कहा गया था।

मेरे राज्य के ये आठों जिले इसी श्रेणी में आते हैं। मैंने १८९७ से १९३१ तक, ५७ वर्षों के आंकड़े देखे हैं और उनका विश्लेषण किया है। ५७ वर्षों के दौरान इन जिलों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून न आने के कारण १२ बार और उत्तर पूर्वी मानसून न आने के कारण २४ बार अकाल पड़ा है।

गंजम, करनूल, बलारी, अनन्तपुर और कुड्डप्पा के कुछ भागों में १९२० मे भी अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। १९२४ में वहां दूसरा अकाल आया था। १९४१ में भी अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी।

पिछले सौ वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा है।

जिस जनता को दो जून भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता, उनको बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं। और जब तक इन पिछड़े हुये प्रदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। सरकार को उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

उस क्षेत्र में एक गांव है –मन्चिनेल्लुलेनी-वूरू, उसके नाम का अर्थ ही यह है कि बिना पानी वाला गांव।

ऐसे प्रदेशों में आर्थिक स्थायित्व पैदा करने के लिये पहले छोटी-छोटी परियोजनायें चालू की जानी चाहिये। उसके लिये खाद्य मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय में अधिक सहकार्य होना चाहिये।

आर्थिक सहायता देने से गरीब किसानों का कोई लाभ नहीं हो पाता। वह लालफीताशाही में ही खत्म हो जाती है। किसानों को ऐसे ऋण दिये जाने चाहिये जिनकी अदायगी किस्तों में हो।

गांवों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये वहां लघु उद्योग खड़े किे जाने चाहिये। अकाल और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में फसलों के बीमे की योजना चालू की जानी चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस में कोई शक नहीं है कि सिंचाई और बिजली की सुविधायें लोगों को उपलब्ध करने मे कुछ काम हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डैम कम्पलीट हो जाने के बाद जो दूसरे काम होते हैं, उनको करने में, तथा उनका डिवलेपमेंट करने में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैं जहां से आया हूं वह तुंगभद्रा प्राजैक्ट का एरिया है। इस योजना का उद्घाटन हुए सात साल हो गये हैं। यह जो रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि आन्ध्र प्रदेश में २,६९,७२५ और मैसूर में ७,४०,५९४ एकड़ क्षत्रों को सिंचाई सुविधायें मिलेंगी। मंजूर की गई योजना के अनुसार १,०८,००० किलोवाट विद्युत् पैदा होगी। सात आठ साल इस डैम को खत्म हुए हो गये हैं लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश में सिर्फ १,२०,००० एकड़ की सिंचाई आपके कथनानुसार हुई है मैसूर में आप कहते हैं कि २,३०,००० एकड़ में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हुई हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन फिगर्ज को चेलेंज करता हूं। लैफ्ट बैंक कैनाल ६५ मील तक बना ली गई है। इस पानी को नहर में बहा कर नालों में डाला जाता है। जिन फील्ड्ज़ को पानी दिया जाता है अगर उनका फिजीकल एसेसमेंट किया जाए और एक्चुएल तरीके से देखा जाय तो यह फिगर और भी कम होगी। पहले से ही जो नहर थी और उसके जरिये से जो पानी सप्लाई हुआ करता था, उसको छोड़कर जो डिवलेपमेंट का काम हुआ है, यह बहुत ही कम हुआ है। यह बात निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फिजिकल तौर पर इसका एसेसमेंट करके इस काम में तेजी लाई जाये।

आपने लोकलाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। आप किसान से कहते हैं कि अगर वह गन्ना पेलता है, गन्ना बोता है, तो हर साल उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा और साथ ही हर साल उसी जमीन पर धान भी उसको बोना पड़ेगा। यह जो कम्पलशन एक्सरसाइज़ की जा रही है, यह खत्म होनी चाहिये। उसको पूरी छूट होनी चाहिये कि वह जो चीज़ चाहे बोए साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लैंडरेवन्यू की जो दर रखी गई ४८ रुपये फी एकड़ गन्ने की इसको खत्म किया जाय और जो २२ रुपये और २५ रुपये धान की रखी गई है, उसको कम किया जाये। लोकलाइज़ेशन स्कीम से जो अशान्ति कल्टीवेटर्ज में फैली हुई है, इसको दूर करने के लिय आपको चाहिये कि इस स्कीम को आप रिवाइज़ करें।

चूंकि समय ज्यादा नहीं दिया गया है, इस वास्ते मैं आपके सामने प्वाइंट्स को ही रख सकता हूं। और उन्हीं को रखूंगा। मिनिस्टर आफ स्टेट साहब ने कहा है कि जो झगड़े हैं, मल्टीपरपज़ रिवर्ज के बारे में उनको आपस में मिल बैठ कर तय कर लिया जाना चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन अगर वैसा न हो सके तो जो वाटर एण्ड पावर कमीशन है उसके जरिये इन झगड़ों का निपटारा होना मुश्किल है। गुलाटी कमिशन को एप्वाइंट किया गया है, उसको एप्वाइंट करने के लिय मैं आपको बधाई देता हूं और चाहता हूं कि वह इम्पार्शल तरीके से इसको इंवैस्टीगेट करे। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रांत को मजबूर होना पड़े और इसकी नौबत आए कि लीगल प्रोटेक्शन सीक करने के लिये उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े या तुंगभद्रा के कांस्टीट्यूशनल राइटस के लिए लड़ना पड़े।

मैं मैसूर का केस माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। मैं इतने कम समय में केस तो नहीं रख सकता लेकिन चन्द बातें अवश्य कहना चाहता हूं। कृष्णा और गोदावरी के बारे मे जो डिस्प्यूट है इसके बारे में जो—एग्रीमेंट १९५१ में किया गया था और जिसका जिक्र इस हाउस में भी हुआ है, वह सिर्फ इस वास्ते किया गया था कि कौन कौन सी प्राजैक्टस को शामिल किया जाये। वह एक टैंटेटिव प्रोग्राम तय करने के लिये कान्फ्रेंस हुई थी वह डिटेल्ड तरीके पर पानी की तकसीम करने के बारे में कान्फ्रेंस बुलाई नहीं गई थी। इसलिये मैं राव साहब से

इख्तलाफ रखता हूं उससे जो बात उन्होंने कही। इंडीपेंडेंट कमेटी को जरूर अमल में आना चाहिये। जो यह कहा गया है कि सेंट्रल वाटर एंड पावर कमिशन के ऊपर इसको छोड़ दिया जाये इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। माथुर साहब ने बताया है कि हर एक प्रांत का एक एक चीफ इंजीनियर रोटेशन में उसमें आता है और उसका असर जरूर होता है। इंडीपेंडेंट पालिसी चाक आउट करने से जो मुश्किल है वह बिल्कुल दूर नहीं हो पाती है। इसलिये मैं आपके सामने मैसूर का केस रखना चाहता हूं। कृष्णा बेसिन के अन्दर जो एरिया है वह इस प्रकार है :—

	वर्ग मील में विस्तार	प्रतिशत मात्रा
महाराष्ट्र	२६.४	२६.५
मैसूर	४४.६	४४.८
आन्ध्र प्रदेश	२८.७	२८.७

"सारे कृष्णा बेसिन में कुल कृषि-योग्य क्षेत्र ५ करोड़ एकड़ है जो इस प्रकार बंटा हुआ है :—

	लाख एकड़ में	प्रतिशत मात्रा
महाराष्ट्र	१३४	२७
मैसूर	२३३	४७
आन्ध्र प्रदेश	१३०	२६

बेसिन में जुताई का क्षेत्र ३८० लाख एकड़ है। जो इस प्रकार बंटा हुआ है :—

	लाख एकड़ में	प्रतिशत मात्रा
महाराष्ट्र	१०६	२८.०
मैसूर	१८०	४७.६
आन्ध्र प्रदेश	९२	२४.४

बेसिन की जन संख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार २७० लाख है, जो इस प्रकार बंटी हुई है :—

	लाख में	प्रतिशत मात्रा
महाराष्ट्र	७७	२८.९
मैसूर .	१०७	४०.०
आन्ध्र प्रदेश	८३	३१.१

मैं मैसूर सरकार के एक ज्ञापन से आपको यह आंकड़े बता रहा हूं। इसी में कहा गया था

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

"इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृष्णा नदी के बेसिन में सर्वाधिक अंशदान मैसूर का ही है । इसलिये उसके जल पर भी उसका सर्वाधिक अधिकार जो ४७ ½ प्रतिशत से किसी कदर कम नहीं बैठता ।"

यह जो आंकड़े दिये गये हैं मैसूर गवर्नमेंट की तरफ से वे केन्द्रीय सरकार की सर्वे पर आधारित हैं। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि हर एक प्रदेश के मेमोरैन्डम को देखा जाये । इस के लिये एक इंडेपेन्डेन्ट कमिशन की जरूरत थी और इसलिये केन्द्रीय मंत्रालय ने जो यह काम किया है वह बिल्कुल ठीक है । मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द उस की रिपोर्ट आ जायगी । हो सके तो इस से सेशन के दौरान में ही आ जायेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि मैसूर में जो पावर की कमी है उसके लिये आप फारेन एक्स्चेंज का मुआहिदा कर के जो इक्विपमेंट वह मांगना चाहते हैं उसकी सुविधा दें ।

इस मंत्रालय की जो लोकलाइजेशन स्कीम है वह गहुत खराब है और कल्टिवेटर्स के इंटरेस्ट के भी खिलाफ है इसलिये उसको जल्द से जल्द खत्म कर के फील्ड चैनेल्स का काम शुरू कर दिया जाय और तुंगभद्रा के डेवेलपमेंट की ओर काफी तवज्जह दी जाये जो कि आजकल स्टैन्डस्टिल हो गया है ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : कोयना परियोजना की प्रगति के लिये मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री को बधाई देता हूं । प्रथम अवस्था के उस "जनित्र" का काम आरम्भ हो चुका है । उस से हमें ६०,००० किलोवाट विद्युत् मिल जायेगी ।

फिर भी माननीय मंत्री को यह ध्यान रखना चाहिये कि इस से महाराष्ट्र और पश्चिम-भारत की विद्युत् की मांग की अधिक पूर्ति नहीं हो पायेगी । इसलिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को कोयना परियोजना की द्वितीय अवस्था की पूर्ति के प्रश्न पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ।

कोयना जल-विद्युतीय परियोजना के लिये आदर्श है । महाराष्ट्र की विद्युत् सम्बन्धी आवश्यकताओं को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिये कि उनकी पूर्ति करना जनता के लिये रोटी जुटाना है ।

हमें एक नदी का जल उस के बेसिन से दूसरी नदी के बेसिन की ओर तब तक नहीं ले जाना चाहिये जब तक वह राष्ट्रीय हित में न हो । इसी दृष्टि से कोयना परियोजना की द्वितीय अवस्था के लिये अधिक जल जुटाया जाना चाहिये ।

कहा गया है कि महाराष्ट्र की कुल संस्थापित विद्युतीय क्षमता का नम्बर पश्चिमी बंगाल और बिहार के बाद ही आता है । लेकिन मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र के पास १,१०० गांवों के विद्युतीकरण के लिये केवल ८ करोड़ रुपये हैं, जब कि मद्रास को ५,५०० गांवों के विद्युतीकरण के लिये ३० करोड़ रुपये दिये गये हैं। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को महाराष्ट्र के देहातों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये । यदि संभव हो तो महाराष्ट्र का कोटा कुछ बढ़ा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर राज्यीय जल-विवादों को इतनी आसानी से नहीं निबटाया जा सकता जितना कि डा० क० ल० राव सोचते हैं। १९५१ का समझौता करने के लिये कितना बड़ा सम्मेलन किया गया था । लेकिन उस से भी कोई स्थायी निष्कर्ष नहीं निकल पाया था । उस में उड़ीसा जैसे राज्य को बुलाया भी नहीं गया था । मैसूर राज्य उस समझौते से सहमत नहीं हुआ था । इसलिये नैतिक आधार पर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता ।

अब मंत्रालय ने इस दिशा में एक बड़ा सही क़दम उठाया है संम्बन्धित सामग्री इकट्ठी करने के लिये गुलाटी आयोग की नियुक्ति के रूप में। गुलाटी आयोग को समुचित महत्व दिया जाना चाहिये । पूरी सामग्री संग्रह करने, पूरी जानकारी जुटाने की बड़ी ही आवश्यकता थी ।

बैधानिक दृष्टि से भी नदी के उद्गम के पास वाले राज्यों का नदी के जल पर अधिक अधिकार रहता है । इस आधार पर महाराष्ट्र के अधिकार को वरीयता दी जानी चाहिये ।

समूचे देश में महा राष्ट्र की सिंचाई क्षमता सब से कम है। वहां ६ प्रतिशत से अधिक सिंचाई नहीं है । यदि सभी सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित भी कर दिया जाये तो भी महाराष्ट्र में १७. ६ प्रतिशत से अधिक सिंचाई भूमि की सिंचाई सुविधायें नहीं जुट पायेंगी। फिर भी उसे तृतीय योजना में के वल ७५ करोड़ मंजूर किये गये थे । जब कि उसकी आवश्यकता १२०० करोड़ की बैठती है ।

माननीय मंत्री का यह कयन सही नहीं है कि मराठवाड़ा की सिंचाई योजना के लिये २६ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं । आज मराठवाडा में कुल भूमि के प्रतिशत से अधिक सिंचाई नहीं हो पाती । सभी योजनाओं के लक्ष्य को मिलाकर भी उस की सिंचाई परियोजनाओं पर १४ करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं हुआ है । तृतीय योजना में उसे उचित महत्व नहीं दिया गया है ।

मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय मराठवाडा की आवश्यकताओं पर अधिक सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)** : माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय के काम में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है । इसलिये मैं उनका आभारी हूं । आज सुबह कुछ प्रश्न उठाये गये थे ।

श्री हनुमन्तैया ने इस के बारे मे कहा था कि वह अपने वचन के अनुसार विद्युत् केन्द्रों के लिये आवश्यक उपकरण हमारे देश को नहीं दे रहा है । उनकी सूचना ग़लत है। अभी उसकी बात जारी है । उसका कोई परिणाम निकलने पर ही हम देखेंगे कि स्थिति क्या होती है ।

माननीय मित्र ने गुलाटी आयोग के बारे मे कहा था कि वह जरूरत से ज्यादा समय लगा रहा है । आयोग पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है । उसका काम दो नदियों के जल की मात्रा का पता लगाना है । उसके लिये उस से पुराने रिकार्ड देखने

---

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

पड़ेंगे और राज्यों से भी कछ सूचना संग्रह करनी पड़ेगी । राज्यों ने उसे समय पर तथ्य नहीं जुटाये थे ।

†**श्री हनुमन्तैया** : मैंने यह कहा था कि आयोग के सभापति को दूसरा काम नहीं सौंपना चाहिये था । तब उनको शिष्टमंडल में नहीं भेजना चाहिये था ।

वह मास्को या किसी अन्य स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजे गये थे ।

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम** : कुछ दिनों के लिये शायद भारत से बाहर गये हों । यदि ज्यादा दिन के लिये गये होते तो मुझे उसकी सूचना अवश्य मिलती । मुझे उसके बारे में कछ मालूम नहीं है ।

तथ्य को बात यह है कि राज्यों से अपेक्षित सामग्री न मिलने के कारण गुलाटी आयोग अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाया था ।

राज्यों के पास ही तो रिकार्ड थे राज्यों ने समय पर आयोग के पास नहीं भेजे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथर ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की कुछ नियुक्तियों के बारे मे कहा था । उनको शायद यह नहीं मालूम कि सरकार तो एक भी नियुक्ति नहीं करती । नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। उम्मीदवारों के नाम उन के पास भेज दिये जाते हैं। और वे ही चुनाव करते हैं। इसलिये माननीय सदस्य की शिकायत निराधार है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उन से इस बारे में बातचीत कर लूं और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचूं ।

यह कहा गया है कि आसाम में ऐसे बांध बनाये जायें कि उनमें पानी निकलने के लिये रास्ता भी रहे और वह पानी सिचाई के लिये काम में लाया जाये । मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां ऐसा ही किया जा रहा है ।

जहां तक भूमि के कटाव की बात है वह पंजाब में ही अधिक होता है । अन्य दूसरे राज्यों में यह बात नहीं है । शुरू में वहां ६ योजनाएं चालू की गई थीं। ये योजनाएं इसलिये शुरु हुई थीं कि इंजीनियर लोग यह देख सकें कि जहां भूमिका संरक्षण किया जाना है वहां क्या और दूसरे तरीके अपनाये जा सकते हैं। और जब तक यह बात मालूम नहीं हो जाती तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता । भूमि कटाव के कारण हर जगह अलग अलग होते हैं। सब जगह एक ही उपाय या तरीका काम नहीं कर सकता। अतः यह मालूम करना आवश्यक है कि किस भाग में भूमि के कटाव के लिये क्या करना होगा। इस बात का पता इस वर्ष के अन्त तक चलेगा और उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा ।

जहां तक बाढ़ की बात है । केरल राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में ३२ लाख रुपयों की मांग की है । और यह राशि उनको दे दी गई है । तीसरी योजना में उन्होंने ६१ लाख रुपये की मांग की है । और यह राशि उनके लिये निर्धारित कर दी गई है । एक समस्या समुद्र द्वारा किये जाने वाले कटाव की भी है

†मूल अंग्रेजी मे

और इसके बाद लिये तीसरी योजना में केरल के लिये ३६० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

दामोदर घाटी परियोजना के बारे में एक समिति की स्थापना कर दी गई है और वह समिति इस सम्बध में जांच पड़ताल कर रही है । जब तक उस समिति का प्रतिवेदन नहीं आ जाता तब तक इस बारे मे यहां कुछ कहना ठीक नहीं होगा ।

उड़ीसा में आयी हुई बाढ़ के बारे में वहां की सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। वह समिति इस बारे मे कुछ कार्य कर रही है । उसके प्रतिवेदन को प्रतीक्षा है । अतः इस बारे में अब कुछ कहना ठीक नहीं है ।

वैसे तो सभी राज्यों में विद्युत् की कमी है किन्तु आंध्र प्रदेश, मैसूर, पश्चिमी बंगाल और दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में विद्युत् की बहुत कमी है । इसकी पूर्ति के लिये १० किलोवाट के पैकेज टैस्ट लगाये जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि विद्युत के लिये राज्यों को धन दिया जायेगा बल्कि बात तो यह है कि यह धन परियोजनाओं में लगाया जायेगा और इन परियोजनाओं से जो विद्युत तैयार होगी वह कमी वाले क्षेत्रों की पूर्ति के काम में आयेगी ।

जहा तक आणविक शक्ति की बात है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मेरे क्षेत्राधिकार की बात नहीं है । इस लिये इस बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा । मैं तो केवल विद्युत से ही ही सम्बन्ध रखता हूं ।

दामोदर घाटी परियोजना के बारे में एक सचदेव समिति की स्थापना की गई है बिहार के दामोदर घाटी परियोजना क्षेत्र में विद्युत की कमी को दूर करने के लिये इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और उसमें ५ नई योजनाऐं सम्मिलित की गई हैं। सरकार ने उस पर विचार किया है । इन पांच योजनाओं में से तीन योजनाऐं स्वीकृत कर ली गई है ।

जहां तक गांवों में बिजली देने की बात है वह इतनी आसान बात नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य समझते हैं । गावों की आज कल जो स्थिति है वहां आवागमन के साधन हैं. तथा वहां की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि वहां बिजली शीघ्र ही दी जाये वे लोग उसका उपयेग कर लें यह बात दूसरी है कि अब गावों की दशा में कुछ सुधार हुआ है । गांवों में बिजली देने के लिये काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ेगी । इस लिये जब तक हमें यह मालूम नहीं हो जाता कि इसके लिये कितना धन निर्धारित किया जायेगा तब तक इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते । साथ ही हमे इस बारे में भी सोचना होगा कि इस काम के लिये क्या प्राथमिकता दी जाती है । पहली योजना के शुरू होने के पहले ३००० गांवों मे बिजली थी और पहली योजना के अंत में इन गांवों की संख्या बढ़ कर ७४०० हो गई । द्वितीय योजना के अंत तक २३,००० गावों में बिजली पहुंच चुकी थी ।

गांवों में बिजली देने के लिये तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों को जो धन दिया गया है वह उन राज्यों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर ही दिया गया है । और यह राशि उन राज्यों को केन्द्र से ऋण के रूप में ही दी गई है । कितने गांवों को बिजली देनी है इस बारे में निर्णय करना उन राज्य सरकारों का ही है ।

दामोदर घाटी परियोजना के बारे में यह कहा गया है कि वहां पानी की दर अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक है । जहां तक मेरी जानकारी है यह बहुत कुछ ठीक ही है ।

यह भी कहा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना में काफी खर्चा होता है। लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया है कि घाटी परियोजना को इसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये। समिति की नियुक्ति की गई और वह समिति इस निर्णय पर पहुंची कि खर्चा कोई अधिक नहीं हैं। यही बात वहां काम करने वाले व्यक्तियों एवं किये जाने वाले काम के बारे में है। समिति का विचार है कि वहां की स्थिति इस सम्बन्ध में ठीक है। क्योंकि समय समय पर स्थिति बदलती रहती है। यह भी कहा गया है कि उस परियोजना मे अब तक केवल चार बांध बनाये गये हैं। इसके अलावा वे अब कोई बांध और नहीं बना रहेहैं। इसका कारण यह है कि पश्चिमी बंगाल की यह राय है कि अब तक जो बांध बनाये गये हैं हमें अभी उनके कार्य को देखना चाहिये और उसके बाद ही आगे बांध बनाने चाहिये। इस लिये अब यह निर्णय किया गया है कि और बांध नहीं बनाने चाहिये। फिर भी एक बांध बनाने का प्रस्ताव आया है और उस सम्बन्ध मे वहां की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है।

जहां तक केन्द्रीय जलविद्युत् आयोग की बात है मेरा विचार है कि वहां ठीक काम हो रहा है। जहां तक उसके पुनर्गठन की बात है मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मुझे सुझाव दिये जायें मैं उनकी जांच करूंगा। काम अधिक हो जाने के कारण उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई है। काम की बढ़ती हुई दशा को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर छः करने का विचार है।

दिल्ली में विद्युत की कमी का उल्लेख किया गया है। आज कल दिल्ली मे ९५ किलोवाट बिजली उपलब्ध है। विद्युत की मांग बराबर बढ़ती जा रही है और हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम उस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर सकें। यही कारण है कि हमने कुछ आवेदकों को इन्कार कर दिया है। अगस्त १९६२ के अंत तक स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा। भाखड़ा से हमे २०,००० कि० वाट बिजली मिल जायेगी। इसमे से ५,००० किलोवाट बिजली इस जून के अंत तक ही मिल जायेगी। और इस प्रकार हमें बिजली के मामले मे कुछ राहत हो जायेगी।

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्दगांव) : मेरी अर्ज यह थी कि जब कभी भाखड़ा मंगल की बिजली फेल हो जाती है तो दिल्ली की बत्तियां नहीं जलती। तब दिल्ली के लिये अलग इन्तजाम क्यों न किया जाय ? खाली भाखरा नंगल पर ही डिपेन्ड क्यों किया जाय ? उस के लिये कोई अलग थर्मल प्लैन्ट हो सकता है जिस से कि यहां की बत्तियां जलती रह सकें।

श्री प्रभात कार (हुगली) : वह अगले साल होगा।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं जनाब के जरिये से अपने दोस्त की तवज्जह दिलाता हूं कि अभी यहां यह जिक्र किया गया था कि जितनी सब स्टेट्स हैं उनकी तमाम बिजलियों को मिला कर कं। कर दिया जाय, लेकिन वह उसके खिलाफ़ कह रहे हैं कि अलग कर दिया जाय।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान एक और जरूरी बात की ओर खींचना चाहता हूं जो कि आपने अपनी इस रिपोर्ट में मेन्शन भी किया है, कि पाकिस्तान की ओर से यों तो कदम कदम पर हिन्दुस्तान के रास्ते मे तरह तरह से रोड़े अटकाये जाते हैं, लेकिन जो आप के डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाली चीज है और आप ने लिखा भी है, कि पीछे जो हमारे पूर्वांचल में कुछ नदियां हैं उनके मुताल्कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के कमिशनों की बराबर बैठकें होती रही और आपस में तय किया गया कि दोनों नदियों का जल किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाय। इसी बीच में यह हो गया कि कर्णफली बांध के सम्बन्ध में,

जिसके बन जाने पर आसाम के मीजो पहाड़ों का कुछ हिस्सा पानी के नीचे डूब जाता, दोनों गवर्नमेंटों की ओर से एक सर्वे चल रहा था, और जिसके सम्बन्ध में आपने लिखा है. . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक दूसरा ही मामला है और इसका इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं सवाल ही पूछना चाहता हूं और उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध मे मैंने बतलाया कि जिस समय दोनों गवर्नमेंट का सर्वे चल रहा था, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान की ओर से शर्त को तोड़ा गया और तोड़ने के पश्चात् एकतरफा कार्रवाई कर दी गई। दूसरी ओर मंगला बांध का निर्माण आरम्भ हो गया है, जिसका सवाल अभी सुरक्षा परिषद् में है और जो कि अभी तय नहीं हो पाया है। अभी सिंधु जल आयोग की मार्फत करोड़ों रुपये पाकिस्तान को दिये जाने हैं, जिसकी किस्त गवर्नमेंट दे भी चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उसको जारी रक्खेगी या अपने निश्चय पर फिर से विचार करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस बारे में अलग से सवाल पूछें। अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मत दान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६६	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	२०,५८,०००
६७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	६१,६७,०००
६८	सिंचाइ और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,४८,६३,०००
१३०	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी व्यय	७,५२,५६,०००
१३१	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	११,४२,६८,०००

परिवहन तथा संचार मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रताव देना चाहें भेज दें :—

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६२-६३ के लिये परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८८	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	७७,१५,०००
८९	ऋतु-विज्ञान विभाग	१,५९,००,०००
९०	केन्द्रीय सड़क निधि	३,३८,१९,०००
९१	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) . . .	५,६७,५०,०००
९२	वणिक् नौवहन	६२,७२,०००
९३	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत . .	७२,७८,०००
९४	उड्डयन	४,२४,०७,०००
९५	समुद्रपार संचार सेवा . .	१,२०,५०,०००
९६	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	२,३७,७२,०००
९७	भारतीय डाक व तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	६१,८९,५५,०००
९८	सामान्य राजस्व में डाक व तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग	१०,४४,००,०००
१३६	सड़कों पर पूंजी व्यय . .	२७,६६,५०,०००
१३७	पत्तनों पर पूंजी व्यय . . .	२,८७,८६,०००
१३८	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय .	३,०६,८५,०००
१३९	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	६,७२,७४,०००
१४०	भारतीय डाक तथा तार विभाग पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया)	१९,१८,५७,०००

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सरकार ने कर्मचारियों के संघों पर से मान्यताएं हटा ली हैं। सभा तथा सभा के बाहर काफी शोर शराबा करने के बाद सरकार ने फिर से इनको मान्यता दी । लेकिन मान्यता देने के बाद भी इन कर्मचारियों की शिकायतें एवं कठिनाइयां दूर नहीं की गई और ये झगड़े निरन्तर बढ़ रहे हैं । सरकार की ओर से बराबर इस बात के आश्वासन दिये गये हैं कि इन शिकायतों को दूर करने के लिये एक समिति की स्थापना की जांच की जायेगी जिससे कि ये कर्मचारी सन्तुष्ट हो सकें । लेकिन उस हड़ताल के बाद एक भी झगड़ा सन्तोषजनक ढंग से नहीं निपटाया गया है । अगर इन झगड़ों की दशा यही चलती रही तो एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसे कि न तो सरकार ही चाहती है और न कर्मचारी ही । यह प्रसन्नता की बात है कि नये मंत्री महोदय ने इस विषय में रुचि ली है और वे इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि सरकार निश्चय ही यह प्रयत्न

करेगी कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें शीघ्र ही दूर की जायेंगी। ताकि ऐसा करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़े और ये विभाग अच्छी तरह कार्य कर सके ।

जहां तक डाक और तार विभाग का सवाल है काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । यदि पहिले रेलवे डाक सेवा के एक कर्मचारी को १२०० पत्र छांटने होते थे वहां अब उसे १६०० से १८०० तक पत्र छांटने होते हैं । इसी प्रकार पहिले एक उप-डाकघर का क्लर्क एक घंटे में ३० रजिस्टर्ड पत्र लेता था और अब उसे ४५ से ५० रजिस्टरियां लेनी होती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आज सरकारी कर्मचारियों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है । अतः सरकार को चाहिये कि काम की मात्रा को देखते हुए नये कर्मचारियों की नियुक्तियां की जायें ।

वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया था कि उत्प्रेरक पद्धति आरम्भ की जाये । इससे एक ओर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ होगा दूसरे उत्पादन भी बढ़ेगा ।

टेलीफोन की मांग बहुत बढ़ती जा रही है । तीसरी योजना के अंत तक हमें ५ लाख और टेलीफोनों की आवश्यकता होगी । अतः सरकार को चाहिये कि एक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने वाले कारखाने की और स्थापना की जाये, इससे मांग बहुत अंशों तक पूरी हो सकेगी ।

टेलीफोन मंजूर करने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण होना चाहिये। कभी कभी यह होता है कि लोगों को तीन तीन वर्ष तक टेलीफोन नहीं मिलते हैं । जब कि ६ महीने या साल भर वालों को फोन मिल जाता है ।

कलकत्ता बन्दरगाह बहुत तेजी से खराब होता जा रहा है । एक समय था कि वहां ३०,००० टन वजन तक के जहाज आते थे । अब १०,००० टन वजन तक के जहाजों को भी बन्रगाह के अन्दर लाना अत्यंत कठिन है, यदि यही स्थिति रहेगी तो कुछ दिनों में यह बन्दरगाह बिल्कुल बेकार हो जायगा इससे कलकत्ता और पूरे बंगाल की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगेगा ।

कलकत्ता की ग्रांड ट्रंक रोड में बहुत अधिक यातायात रहता है । इससे वहां दुर्घटनायें भी काफी हुआ करती हैं । बंगाल में इस मार्ग को मृत्यु मार्ग कहते हैं । अतः इस बात को अत्यंत आवश्यकता है कि दो तीन अन्य राजपथों का निर्माण किया जाये जिससे कि ग्रांड ट्रंक रोड पर दुर्घटनायें कम हों । और यातायात अवरुद्ध नहीं होने पावें ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करना अत्यंत आवश्यक है । पिछले दिनों श्री मालवीय ने यह कहा है कि कोयले का परिवहन भी नदियों के द्वारा किया जायेगा। सरकार को इस कारण भी इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है । तथापि ज्ञात हुआ है कि सरकार ने एक विदेशी समवाय संयुक्त स्टीमर समवाय को सवा दो करोड़ रुपये इस प्रयोजन के लिये दिये हैं । मेरा सुझाव हे कि सरकार इस कार्य को अपने हाथों में लेवे । इस प्रकार एक समवाय को इतनी राशि देना ठीक नहीं है ।

जयंती शिपिंग कम्पनी को जो कि १९६१ में आरम्भ को गयी थी, उसे १९६२ में २०.२५ करोड़ रुपये दे दिये गये । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पटीकरण करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य अनुभवी समवाय ने इस प्रकार की योजना

प्रस्तुत नहीं की । यदि सरकार देश में सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहती है तो इतनी बड़ी राशि गैर-सरकारी क्षेत्र में क्यों दी जा रही है ।

यद्यपि पर्यटन से देश को २० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तथापि इस उद्योग के विकास के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । विदेशों में, उदाहरणार्थ अमेरिका में न्यूयार्क और टोरेंटो में नये कार्यालय खोले जा रहे हैं तथापि समाजवादी देशों में अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं किया गया है । रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों के लोगों को विसा नहीं मिलता और वे भारत नहीं आ सकते हैं । मैं इसके कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं ।

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उचित नहीं हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाये ।

जहां तक अंतरिक्ष विभाग का प्रश्न है उसकी मौसम संबंधी भविष्यवाणियां अक्सर गलत निकलती हैं । इससे जनता का उन पर विश्वास नहीं है । वहां ऊंची जगहों पर सीधी नियुक्तियां नहीं की जाती, यद्यपि इन पदों के लिये अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की कमी नहीं है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं परिवहन और संचार मंत्रालय को पिछले एक वर्ष में सफलता पूर्वक कार्य करने की समाप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूं । सब से अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय मंत्री, श्री जगजीवनराम जी, जो कि पहले इस विभाग को छोड़ कर दूसरी जगह चले गए थे, दोबारा इस का कार्य-भार सम्भालने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं । मुझे आशा है और विश्वास है कि उन के नेतृत्व में यह मंत्रालय पहले से भी अधिक स्फूर्ति के साथ और शानदार ढंग पर कार्य करने में सफल होगा ।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत जो बहुत से अलग अलग विभाग हैं, मैं उन सब के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट न करके केवल कुछ विषयों पर ही अपने शब्दों को सीमित रखूंगा ।

जहां तक डाक तार विभाग का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के जितने भी विभाग हैं, उन में सब से अधिक जनता की सेवा करने वाला और ईमानदारी से काम करने वाला यह विभाग है और इस लिये चाहे डाक-हलकारा मृत्यु का सन्देश ले कर भी किसी घर में पहुंचे, तो भी उसका स्वागत किया जाता है ।

इस विभाग के द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा और केन्द्रीय रूप से उन का संचालन करने के लिए पिछले दिनों एक केन्द्रीय पी० एंड टी० बोर्ड की स्थापना की गई थी । उस अवसर पर माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम कुछ दिनों बाद इस बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करेंगे और अगर उन में कुछ कमियां पाई गईं, तो उन पर विचार कर के उन्हें दूर करने और इस सम्बन्ध में सुधार और संशोधन करने का प्रयत्न करेंगे । जहां तक मेरी जानकारी है, यह पी एंड टी० बोर्ड अभी तक

अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है । अभी तक वित्त मंत्रालय का अंकुश इस पर रहता है, जिसका परिणाम यह है कि इस के द्वारा कई मामलों में जो योजनायें प्रस्तुत की जाती हैं, उन को बीच में ही समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पी० एंड टी० बोर्ड के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करने की कृपा करें और उस के अधिकारों में विस्तार और वृद्धि की जाये, ताकि वह अधिक अच्छी तरह से काम कर सकें ।

प्रत्येक परिमण्डल (सर्कल) में डाक-तार विभाग की जो परामर्शदात्री समितियां काम कर रही हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर साक्षी दे सकता हूं कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । जनता के विभिन्न वर्गों और तरह तरह के पेशे के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में इन परिमण्डलीय सलाहकार समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है । इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि यह जो परीक्षण परिमण्डलों में किया जा रहा है, उस को दो दिशाओं में और बढ़ाया जाये । पहली आवश्यकता उस को नीचे के स्तर पर, डिवीज़नल लैवल पर, बढ़ाने की है । रेलवेज में भी हर डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के यहां इस तरह की परामर्शदात्री समितियां हैं । जैसे इंजीनियरिंग का डिविज़नल लैवल होता है, वैसे ही डाक विभाग का भी डिवीज़नल लैबल होता है । अगर डाक विभाग में भी डिविज़नल लैवल पर परामर्शदात्री समितियों का संगठन किया जाये, ताकि साल भर में एक दो बार संसद्-सदस्य और एम० एल० ए० साहबान मिल सकें अपने विचार उन के सामने रख सकें और जनता की कठिनाइयों के बारे में कह सकें, तो बहुत सुविधा होगी ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार संगठन का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में एक सैंट्रल पी० एंड टी० एडवाइजरी कौंसिल की स्थापना की गई । उस के उद्घाटन-समारोह के अवसर पर मैं भी उपस्थित था । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उस की पहली पहली बैठक हुई, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि साल भर में उस की कितनी बठकें होंगी । जहां तक रेलवे नैशनल यूज़र्ज कनसल्टेटिव कमेटी का सम्बन्ध है, जिस के माडल पर इस को बनाया गया है, है, उसकी बैठकें नियमित रूप से हुआ करती हैं, लेकिन इस कौंसिल के बारे में पता नहीं है कि कितना समय बीतने के बाद इस की बैठकें हुआ करेंगी ।

यद्यपि इस में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि लिए गए हैं, लेकिन राज्यों की गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि इस में पूरी तरह से नहीं लिए गए हैं । जिस तरह रेलवेज़ में प्रत्येक ज़ोनल रेलवे यूज़र्ज कमेटी के प्रतिनिधि केन्द्रीय कमेटी के लिये लिये जाते हैं। अगर उसी तरह का विधान डाक विभाग में भी बनाया जाये, तो बहुत सुविधा होगी ।

जहां तक भवन-निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी मुझ से सहमत होंगे कि यद्यपि इस के लिए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अन्तर्गत एक विशेष शाखा पिछले साल स्थापित की गई थी, लेकिन उस का कार्य कुछ संतोषजनक नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में पचासों उदाहरण दिये जा सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए विभाग की ओर से भवनों के निर्माण के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उन का निर्माण नहीं किया जाता है । मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि चूंकि नई शाखा का कार्य पूरी तरह से नहीं जम पाया, इस लिए कार्य में शिथिलता आ गई है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में और गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । मैं इस सदन

के उन सदस्यों में से हूं, जो पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि जिस प्रकार से रेलवे विभाग और डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री के अपने अलग इंजीनियरिंग विभाग हैं, उसी तरह से डाक-तार विभाग का भी अलग इंजीनियरिंग सैक्शन होना चाहिए । चूंकि उस समय चारों ओर से यह आवाज़ उठाई गई थी, इस लिए शायद मंत्री महोदय ने उस समय यह सुझाव मंत्री-मंडल के सामने रखा और उस का परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एक शाखा इस के लिए खोल दी गई । लेकिन पिछले एक, डेढ़ साल के अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि वह भी पूरी तरह से संतोषजनक कार्य नहीं कर पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से, जो कि अपनी सूझ-बूझ के लिए मंत्री-मंडल में और सारे देश में प्रसिद्ध हैं, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या पर वह ज़रा और गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सी० पी० डब्लू० डी० की विशेष शाखा डाक-तार विभाग के भवनों के लए स्थापित की गई है, उस का पूरा नियंत्रण इस विभाग को दे दिया जाये । वह शाखा अभी भी अपने चीफ़ इंजीनियर और अपने विभाग से आर्डर्ज़ लेती है । उस पर यह जो दोहरा विभागीय अंकुश है, यह जो डयूएल अथारिटी है, उस से काम में अड़चन पड़ रही है । अगर यह शाखा अलग रखी जाती है, तो उस के अधिकार, जवाबदेही और उत्तरदायित्व पूरी तरह से इस मंत्रालय को मिल जाने चाहिए ।

जहां तक डाकघरों के प्रसार का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं कि पिछले दस वर्षों में बहुत ही उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई है । लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां डाकघरों की स्थापना का कार्य चालू रहना चाहिए । मैं समझता हूं कि एक बार माननीय मंत्री, श्री जगजीवन राम, ने फरमाया था कि हो सकता है कि वह दिन आए, जब कि प्रत्येक गांव में एक डाकघर हो । उस लक्षय-प्राप्ति में अभी बहुत दिन लगेंगे—शायद कई युग बीतेंगे, लेकिन कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा में—हर एक प्रदेश में ग्राम पंचायत एक्ट के मातहत बनाए गए दो दो, तीन तीन ग्रामों के समूह में—एक डाकघर स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति का हम अगर प्रयत्न करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी । मेरा अपना खयाल है कि अगर हर ग्राम हर पंचायत में एक डाकघर बनाया जाये, तो उस में अलग डाक बांटने वाले की आवश्यकता नहीं होगी । वहां केवल डाक हलकारे की आवश्यकता है, जो कि एक दिन में दस बीस ग्राम पंचायतों में डाक पहुंचा दिया करे । जहां तक डाक वितरण का सम्बन्ध है, वह उसी व्यकित के द्वारा किया जा सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में विचार करने की कृपा करें ।

डाकघरों का विस्तार तो काफ़ी हो चुका है, एक्सपैंशन काफ़ी हो चुका है । अब कनसालिडेशन की ज़रूरत है अर्थात उन के स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता है । जहां तक मुझे जानकारी है, विभाग इस सम्बन्ध में पहले से कुछ कदम उठा रहा है । जितने हमारे पुराने शाखा डाकघर हैं पांच पांच सात सात डाकघरों के बीच में, उन का उच्चीकरण किया जाना चाहिए और उन को विभागीय बनाया जाना चाहिए । मेरी नज़र में इस का सब से बड़ा कारण यह है कि जब से नए नए डाकघर देश के कोने कोने में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, मनी-आर्डरों के वितरण में अनियमितता और देरी हो रही है । मेरे पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि किसी ने दिल्ली से अपने घर के लिए मनी-आर्डर भेजा । इस लिए कि उस के भाई की शादी होने वाली है । वह व्यकित अपने घर जाता है, वहां शादी हो जाती है और वह लौट आता है, लेकिन फिर भी मनी-आर्डर की डिलिवरी नहीं होती है, क्योंकि डाकखानों में रुपया पहुंचाने में बड़ी अड़चन पड़ती है । इस लिए अगर दूर के क्षेत्रों में पांच पांच, सात सात छोटे डाकखानों के बीच में विभागीय डाकघर खोल दिये जायें, जहां पर दो, पांच, सात, दस हज़ार रुपया रिज़र्व में रहे और वह नियामत रूप से छोटे डाकखानों को पहुंचाया जाये, तो विभाग की जो थोड़ी बहुत आलोचना होती है, वह दूर हो सकती है । माननीय मंत्री जी मुझे यह कहने के

लिए क्षमा करें कि एक बार मेरे इलाके में जब मनी-आर्डरों के वितरण में पांच छः महीने तक की देरी हुई, तो लोगों में यह शंका होने लगी कि शायद गवर्नमेंट का दिवाला निकल गया है। आलोचना करने वालों के मुंह को कौन बन्द कर सकता है ? मेरा कहना यह है कि यह विभाग इतना अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन इसी वजह से उस की आलोचना होती है। उतः मुझे आशा है कि उचित कदम उठा कर इस आलोचना को खत्म कर दिया जायगा।

राजन कमेटी ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों (एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल स्टाफ़) के बारे में जो सिफ़ारिशें की थीं, उन में से अधिकांश को सरकार ने मन्जूर कर लिया है, जिस के लिए मैं उस को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक अन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। शायद पैंतीस प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिन का पुराना हिसाब अभी तक उन को अदा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में परिमण्डलों को सख्त आदेश देने चाहिए कि उन लोगों का दो तीन साल का हिसाब क्यों रोका गया है और उस को तुरन्त अदा कर दिया जाये।

इस के अलावा एक दूसरी शिकायत यह है कि कुछ ही दिन पहले इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भता दिया जाता है, उसे वह अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नहीं देना चाहते। शायद आपके विभाग ने एक तर्क यह सुझाया हो कि वे लोग पूरा समय काम नहीं करते हैं, पूरे समय के वे कार्यकर्ता नहीं हैं और वे पार्ट टाइम वर्कर ही हैं इसीलए उनको कम महंगाई भत्ता न दिया जाए। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं राजन कमेटी के उस अंश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस में श्री राजेन ने यह बताया था कि जिन वेतन क्रमों की वह सिफारिश कर रहे हैं उनमें मंहगाई भत्ता शामिल नहीं है और महंगाई भत्ते का निर्णय स्वयं सरकार परिस्तितियों के अनुसार करे। आज हालत यह है कि सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और दस रुपये माहवार आपने अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया है। उस स्थिति में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता न बढ़ाया जाए तो यह अधिक न्यायपूर्ण मालूम नहीं होता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक फिरसे विचार करने की कृपा की जाए।

एक विषय जिस की ओर मैं प्रत्यक वर्ष माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं और जिस में मुझे कुछ सफलता भी मिली है, वह पर्यटन के उद्योग के सम्बन्ध में है। जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि जो आंकड़े हमको सुलभ किए गए हैं उनके मुताबिक हर साल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि भी इससे बढ़ी है। मैं नहीं चाहता कि इस कार्य में शिथिलता आए बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि उस में और तीव्रता लाने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं होम टूरिज्म का, आन्तरिक पर्यटन का जो उद्योग है, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस में और ज्यादा तेज़ी लाई जाए और उसके बारे में तेज़ी से कदम आगे बढ़ाया जाए।

पुराने ज़माने में जब भारत के अंग आपस में मिलते नहीं थे तो हमारे धर्म व्यवस्थापकों ने चार धामोंकी स्थापना की थी। उनमें कोशिश यह कि गई थी कि हर एक श्रद्धालु हिन्दू कम से कम चार धामों में जा कर सारे देश के स्वरूप को पहचान सके, देश के विभिन्न अंग एक दूसरे के निकट आ सकें, और एकता की भावना परिपुष्ट हो। इनी दृष्टियों से चार धामों की स्थापना की गई थी। उस ज़माने में भारत में यातायात के साधन बहुत कम थे, लेकिन इन साधनों की कमी के बावजूद भी हमारे देश में यातायात चलता रहता था, एक दूसरे के समीप लोग आते रहते थे। कुम्भ का मेला अभी हाल ही में हरिद्वार में हो कर चुका है। यह कुम्भ क्या है ? कुम्भों की व्यवस्था इसलिए की गई है कि सारे देश के मनीषी लोग, विचारक लोग एक जगह एकत्र हों, विचारों का आदान प्रदान हो,

संस्कृतियों का सम्मेलन हो और यूनिटी इन डाइवर्स्टी का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो। अतः इस ओर मैं समझता हूं और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं ने बद्रीनाथ धाम का ज़िक्र किया है। माननीय मंत्री जी ने द्वितीय योजना में दस लाख रुपया उत्तराखण्ड के तीर्थ स्थानों के सुधार के लिए या वहां पर विश्राम गृह बनाने के लिए रखे थे। लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद मेरे प्रयत्न करने के और माननीय श्री राज बहादुर जी के बद्रीनाथ तशरीफ ले जाने के और उनके इसमें दिलचस्पी लेने के, मुझे पूरी तरह तो मालूम नहीं है, लेकिन केवल तीन साड़े तीन लाख रुपये ही खर्च किये गए हैं। तृतीय योजना में इस काम के लिए आठ लाख रुपये रखे गए हैं। मैं नहीं जानता कि ये आठ लाख रुपये भी खर्च होंगें या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तो रुपया कम रखा जाता है और दूसरे कम रखे जाने के बावजूद भी वह पूरा खर्च नहीं किया जाता है। यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है।

जो सबसे बड़ी दिक्कत बद्रीनाथ के बारे में आ रही है यह है कि पिछले साल सड़क में बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं जैसा कि माननीय श्री राज बहादुर जी को अच्छी तरह से मालूम है। सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार काफी रुपया पहले के मुकाबले मे दे रही थी और अब तो जब से बोर्डर रोड डिवेलेपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई है, इस काम के लिए अपरिमित धनराशि दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना रुपया देने पर भी इतनी अधिक दुर्घटनायें उस सड़क पर हुई और यू०पी० गवर्नमेंट को यह चेतावनी देनी पड़े कि इस साल कुम्भ का वर्ष है और बद्रीनाथ के लिए बहुत कम लोग जायें, यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। उसको यह चेतावनी इसलिए देनी पड़ी कि इस बीच सड़क के सुधार का प्रयत्न तो किया गया मगर सड़क की हालत और खराब हो गई। मैं ने वहां की जो एडवाइज़री कमेटी है, उसमे इस सवाल को रखा था और निवेदन किया था कि एक एक अंश को ले करके सुधारा जाए लेकिन उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से ले कर सीधे बद्रीनाथ तक हमें सारी सड़क को एक साथ सुधारना शुरू करना चाहिए और उन्होंने सुधारना शुरू कर दिया पर काम को सम्भाल नहीं पाये। परिणाम यह हुआ कि जगह जगह स्लिप्स हैं, और सड़क की हालत खराब है, उधर लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे न जायें लेकिन फिर भी लाखों की तादाद मे लोग जा रहे हैं। बहुत से लोग इस विश्वास को ले कर भी जाते हैं कि अगर उनकी उत्तराखण्ड में कहीं रास्ते मे मृत्यु भी हो गई तो साक्षात स्वर्ग को वे प्राप्त होंगे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : आप उस एरिया के प्रतिनिधि हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्षमा कीजिये, उनको स्वर्ग पहुंचाने का जो उपक्रम किया जा रहा है, मैं उसमें साझीदार नहीं होना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि वे सकुशल बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की यात्रा करके अपने घरों को वापिस आएं, और अधिक लोग वहां जायें, उनके रहने की ठीक व्यवस्था वहां हो, और उसका अच्छी प्रचार और प्रकाशन हो।

अब मैं बोर्डर रोड डिवेलेपमेंट बोड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ गोपनीयता का हमें जरूर अवलम्बन करना चाहिये और सभी बातें हम को बतलाई नहीं जा सकतीं और न ही बतलाई जानी चाहिये। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, वे तो कम से कम हमको बतलाई जानी चाहियें। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है कि रुपया तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के हैड से दिया जाता है बोर्डर रोड डिवेलेपमेंट के लिए लेकिन सारा काम डिफेंस मिनिसट्री करती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का मैं प्रशंसक हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री का उसमें कुछ भी हाथ नहीं मालम पड़ता

है । रुपया तो इस मंत्रालय का है और नियंत्रण एक दूसरे मंत्रालय का है, यह जो एनामोली है, यह मेरी समझ में नहीं आती है । अतः इस मंत्रालय को कम से कम मोटी मोटी बातों की जानकारी तो हमें करानी चाहिये

इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बोर्डर रोड डिवेलेपमट बोर्ड जो है, वह जितने भी विभाग हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सब का समन्वय करके, उन सब का सहयोग प्राप्त करके, कार्य कर रहा है । नेफा के, लद्दाख के इलाके में जो ग्रेफ है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है, उसके अपने वालंटीयर काम करने वाले हैं और वे काम कर रहे हैं । लेकिन यह जो सेंट्रल सैक्टर है, बद्रीनाथ और जोशीमठ का इलाका है, वहां उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० को काम दे दिया गया है । इसका अर्थ है कि ठेकेदारी प्रथा वहां चालू कर दी गई है, परिणाम स्वरूप मजदूर नहीं मिलते हैं और काम बहुत धीरे चल रहा है । जोशीमठ से सड़क आगे बनाने का काम हो रहा है और इसको होते तीन साल गुजर चुके हैं, पर अभी दो मील भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं, विष्णु प्रयाग तक नहीं पहुंच पाये हैं, जहां तक पहुंचना बहुत आसान था । मैं चाहता हूं कि जितना महत्व इस सड़क को आपकी ओर से दिया जाना चाहिये, इतना आप दें और इस काम में और प्रगति आप लायें ।

कुछ वर्षों पहले जब माननीय शास्त्री जी इस विभाग के मंत्री थे तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई थी । केन्द्रीय सरकार का अधिकांश रुपया तो नैशनल हाइवेज़ में खर्च हो जाता है और दूसरी सड़कों के लिए रुपया बचता नहीं है । साथ ही सेंट्रल रोड फंड से रुपया दे कर आप स्टेट्स की मदद करते हैं । इस वास्ते उन्होंने एक इंटर-स्टेट और इकोनोमिक इम्पार्टेंस की सड़कों के लिए कोई ढाई तीन करोड़ रुपया एक साथ रखा जिस की वजह से बहुत से अछूते इलाकों में जहां कुछ काम नहीं हो रहा था, काम शुरू हुआ । ये वे इलाके थे जो बैक्वर्ड और उपेक्षित अवस्था में थे । मैं माननीय जगजीवन राम जी से भी कहना चाहता हूं कि वह भी यश प्राप्त करें और एक नई योजना पांच दस करोड़ की ऐसी बनायें कुछ रुपया सेंट्रल रोड फंड का या कोई दूसरा लेकर ताकि जो इलाके उपेक्षित पड़े हुए हैं और जिन के बारे में राज्य सरकारें रुपये की कमी की वजह से अपनी योजना में कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाई हैं उनका उद्धार हो सके । यह ठीक है कि नैशनल हाइवेज़ का रुपया ट्रांस्फर नहीं किया जा सकता। नैशनल हाईवेज़ के लिए वर्ल्ड बैंक की एक शाखा से आपको पचास वर्ष के लिए बिना सूद के रुपया मिल रहा है । यह अच्छी बात है । इस तरह की चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिये लेकिन साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो इलाके पिछड़े रह गए हैं और जहां पर यातायात की सुविधाओं का अभाव है और जो इंटरस्टेट और इकोनोमिक इम्पार्टेंस के हैं, उनका किस तरह से विकास हो सकता है, इसकी भी कोई योजना आप बनायें ।

श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय के खर्च की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं प्रातःकाल से ही इस बात के प्रयत्न में था कि मुझे डाकखानों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हो । तथापि ऐसा ज्ञात होता है कि मंत्रालय में इसे प्रकाशित ही नहीं किया है । यदि यह पृथक प्रकाशित हो तो कृपया इसकी एक प्रति मुझे दे दी जाये जिससे कि मैं उसका अध्ययन कर सकूं ।

अब मैं सड़क परिवहन को लेता हूं । परिवहन मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन मे यह कहा है कि विभिन्न राज्य इस बात पर सहमत हो गये हैं कि माल पर एक स्थान पर ही कर लिया जाये । तथापि यात्री यातायात के संबंध में कोई समन्वय नहीं हो सका है । इसके कारण कई स्थानों पर यात्रियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई उठानी पड़ती है ।

†मूल अंग्रेजी में

मोटर गाड़ी अधिनियम पर चर्चा के समय प्रतिकर के संबंध में बहुत कुछ कहा गया था तथापि वास्तव में कई मामलों में प्रतिकर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है । पिछले दिनों बद्रीनाथ में जो मोटर दुर्घटनायें हुई थी उनके यात्रियों के संबंधियों को अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया । इस प्रकार के मामलों की जांच की जानी चहिये ।

जहां तक तीर्थयात्रा का प्रश्न है तीर्थयात्रियों के साथ उपेक्षा का बर्ताव किया जाता है। पर्यटन विभाग के अधिकारी उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं । जब आप मसूरी या अन्य पहाड़ी स्थानों में जाने के लिये वापसी टिकट देते हैं तो यह टिकट बद्रीनाथ के यात्रियों को भी मिलने चाहिये ।

राजस्थान में डाकबंगलों का उपयोग स्कूल के लिये किया जा रहा है यह बात उचित नहीं है है इस प्रकार हम इन बातों की ढींग हांकना चाहते हैं जिन्हें नहीं करते हैं मेरे विचार से यह बात उचित नहीं है ।

जहां तक सड़क शाख में कर्मचारियों का प्रश्न है, केवल ३७९ व्यक्ति स्थायी हैं और ३३६ अस्थायी । मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों में इतने व्यक्ति अस्थायी कैसे रखे गये हैं ।

अब मैं केन्द्रीय सड़क पुंज को लेता हूं । उस में से उसी राज्य को राशि वितरित की जाती है जिस राज्य के मंत्री का उस में प्रभाव होता है । दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश राज्य से मंत्रिमंडल के स्तर का कोई मंत्री नहीं है अतः मध्य प्रदेश को अपेक्षित राशि नहीं दी जाती है ।

मध्य प्रदेश का अपना डाक परिमंडल (पोस्टल सर्किल) भी नहीं है ।

सरकार ने एक नववहन निगम की स्थापना की है, यही निगम पहिले मुगल लाइन का संचालन कर रहा था किन्तु कई दिनों बाद मुगल लाइन को निगम से पृथक कर दिया गया । सरकार को इस का स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि वाणिज्यिक वहन में केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो मांस खाते हैं यह उचित नहीं है । मुझे ज्ञात हुआ है कि बड़ौदा स्कूल आफ रेलवे आफीसर्स तथा कई अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार का दबाव डाला जाता है ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल को २५२० लाख रुपये बिना सूद ऋण के रूप में दिये गये हैं । यदि हमें इस राशि पर ४॥ प्रतिशत ब्याज मिलता जोकि हमें डाक और तार विभाग से मिलता तो हमें ११२ लाख रु० ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकता था । तथापि यह उपक्रम भी लाभ नहीं कमा रहा है जबकि विदेशों में इस प्रकार की फर्म करोड़ों रुपये लाभ कमा रही हैं अतः या तो हमें इस के कार्य में सुधार करना चाहिये या इसे खत्म ही कर देना चाहिये ।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि टेलीफोन के वसूल न हुए बिलों की राशि २ करोड़ के लगभग है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

१९५२ में यह कहा गया था कि प्रत्येक तहसील या उपविभाग में फोन की व्यवस्था हो जायेगी । लेकिन अभी तक दिल्ली के ही सैंकड़ों नागरिकों को दो वर्ष से फोन नहीं मिला है । इस के लिये कुछ न कुछ जान पहिचान होना आवश्यक है अन्यथा फोन आसानी से नहीं मिलते हैं ।

डाकखाने के कर्मचारी भी अब ईमानदार नहीं रहे इस का यह परिणाम है कि धोकाधड़ी और जालसाजी की घटनायें आये दिन होती हैं ।

†**श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** (बड़ौदा) : मैं सड़कों और सड़कों के परिवहन के बारे में कुछ कहूंगा । मैं ने ऐसा देखा है कि जब परिवहन तथा संचार मंत्रालय सड़कों के विषय में कोई मामला उठाता है तो रेलवे मंत्रालय उसे बुरा समझता है । उन का विचार यह है कि सड़कों के विकास से रेलवे की आय कम हो जायेगी । सड़कों की प्रगति विकास के साथ साथ नहीं हो सकी है ।

इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजपथ आते हैं । राष्ट्रीय राजपथ नं० ८ बम्बई से अहमदाबाद तक है । यह १९५७ में बना था । अब सारी सड़क टूट गई है, वहां घास है । पुल इत्यादि भी टूट गये हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । इण्डियन एयरलाइन्ज़ कार्पोरेशन की वायु सेवा तो बहुत अच्छी है, भूमि सेवा बहुत ही असन्तोष जनक है । स्थान आरक्षित करने में बहुत ही कठिनाई होती है । माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें ।

बम्बई-देहली सेवा को ही लीजिए । इस पर स्थान लेना प्रत्येक मौसम में कठिन है । दूसरे चालू हुंडियां जिन से खाना खाया जाता है बहुत गन्दे हैं । माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें ।

मेरे ख्याल में हम कैरावैल जोकि 'जैट' विमान हैं खरीदने के लिये समझौता कर रहे हैं । कैरावैल का दो-तिहाई जीवन समाप्त हो गया है ।

मेरा सुझाव है कि वाईकाउंट विमान खरीदे जायें । उन को रखने की कोई समस्या नहीं होगी । ये विश्व बाजार में पुराने भी मिल जाते हैं ।

वाईकाउंट विमानों ने हमें खराब किया है, क्योंकि हम डकोटा को पसन्द नहीं करते हैं । डकोटा विमानों ने इस देश की काफी सेवा की है, लेकिन डकोटा विमानों को अब समाप्त कर देना चाहिये ।

अब मैं देश में टैलीफोन सिस्टम विशेष कर ट्रंक काल सिस्टम के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । बम्बई के लिये दो ट्रंक लाइनें हैं । एक तो हमेशा खराब रहती है और आवश्यक मामलों के लिये भी आप का चालीसवां नम्बर होता है । जब लाईन मिल जाय तो बात करने के लिये समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है । मेरे विचार में सम्बन्धित विभाग इस ओर ध्यान देगा ।

श्री सोलांकी (कैरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शुरू में रेलवेज़ के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं, हालांकि रेलवे बजट पर इस सदन में विचार हो चुका है । मैं कुछ बातों की तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कुछ तरक्की की जायेगी ।

आज हमारे देश में माल-गाड़ियों के डिब्बों की काफ़ी शार्टेज है । बुकिंग्ज़ के लिए लोगों को काफ़ी देर तक राह देखनी पड़ती है और ट्रांस्पोर्ट में भी लोगों को काफ़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं । ब्राड-गेज और मीटर-गेज लाइनों पर भी . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम रेलवे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । परिवहन तथा संचार पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री सोलांकी** : पहले मैं रेलवे पर कहूंगा फिर परिवहन तथा संचार पर ।

रोड ट्रांस्पोर्ट के बारे में मेरी राय यह है कि आज-कल रेल और रोड ट्रांस्पोर्ट के बीच में जो काम्पीटीशन हो रहा है, वह बहुत ही गलत बात है । ये दोनोंपहिवहन-व्यवस्थायें राष्ट्र की तरक्की के लिए कायम की गई हैं और अगर उन में ऐसी स्पर्द्धा होने लगी, तो उस से राष्ट्र में काफ़ी तक्लीफ़ें पैदा हो जायेंगी । अभी कुछ दिन पहले देश में कोयले की शार्टेज हो गई थी । यह उपाय किया जा सकता था कि रोड ट्रांस्पोर्ट से कोयला और भी सस्ती रीति से पहुंचाया जाता,

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु रोड ट्रांस्पोर्ट को रेलवे मंत्रालय एक दुश्मन की तरह से देखता है, जोकि एक ग़लत बात है। रोड ट्रांस्पोर्ट को भी उतनी ही तरक्की देनी चाहिये, जितनी कि रेल ट्रांस्पोर्ट को दी जाती है। मसानी कमीशन ने भी यह बात सरकार के सामने रखी थी और उस ने यह कहा था कि रोड ट्रांस्पोर्ट की तरक्की देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया है कि देश में और ट्रक्स बनने चाहियें और रोड ट्रांस्पोर्ट को और भी सस्ता बना कर चलाना चाहिये।

एक राज्य से दूसरे राज्य में चलने वाले रोड ट्रांस्पोर्ट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ट्रक माल ले कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और बीच के किसी राज्य में न तो माल उठाते हैं और न ही डिलिवर करते हैं, लेकिन फिर भी उन से टैक्स लिया जाता है मैं चाहता हूं कि उन से वह टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये और उन को यात्रा की सुविधायें दी जानी चाहियें। नैशनल हाईवेज़ के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ओवर-ब्रिजिज़ को जो रास्तों पर बनने चाहियें, वे आजकल बहुत कम बन पाये हैं। कहीं कहीं १८० मील की दूरी पर भी हम देखते हैं आगे जाने के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। जिस को डबल कैरेज वे कहा जाता है वैसे डबल कैरेज वेज़ रखने की व्यवस्था भी आप को करनी चाहिये और उस ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं शिपिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। टनेज में जो वृद्धि की गई है, उस का मैं स्वागत करता हूं और समझता हूं कि वह एक अच्छी बात हुई है। परन्तु हमारे देश में इन चीजों को जब सरकार बनाती है तो उन की कीमत बहुत बढ़ जाती है। हमें यह सोचना चाहिये कि क्या किसी प्राइवेट एंटरप्राइज़ के सुपुर्द इस काम को कर देना ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। साथ ही जो विदेशी हैं, उन को बुला कर उन से भी इन कामों में अगर पैसा लगावाया जाय तो क्या यह अच्छा नहीं होगा, इस पर भी आप को विचार करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इस में कोई बुरी बात है। आप को यह भय नहीं होना चाहिये कि हम उन के साथ किसी पालिटिक्स में आ जायेंगे। मैं आप को क्यूबा की मिसाल देना चाहता हूं। क्यूबा में विदेशी लोगों ने पैसा लगाया है लेकिन फिर भी वह किसी पालिटिक्स में नहीं फंसा है। इस वास्ते हमें भय नहीं होना चाहिये कि अगर विदेशी लोग यहां पर पैसा लगाते हैं तो उस के कोई बुरे परिणाम निकलेंगे। अगर कोई विदेशी यहां पैसा लगाते हैं तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जा कर बैठते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में आप को प्राइवेट एंटरप्राइज़ को या फिर फारेन एंटरप्राइज़ को तरक्की देनी चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार जो कुछ भी इस मामले में कर रही है उस में काफी खर्चा हो रहा है और वांछित फल भी नहीं प्राप्त हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की जो बम्बई पोर्ट को बढ़ाने की योजना है, वह ही काफी नहीं है। देश की अगर आप औद्योगिक तरक्की करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पोर्ट को ही नहीं, दूसरी पोर्ट्स को भी आप को बढ़ाना चाहिये। केरल में एक पोर्ट है जिस का नाम वेपोर है। उस पोर्ट के लिये फौरन ही आप को कुछ करना चाहिये और उस की तरक्की के लिये जो इकोनोमिक रिसर्च मिशन ने बात रखी है, उसे आप को चाहिये कि आप अपनायें।

इनलैंड वाटर ट्रांस्पोर्ट जो हमारे देश का है, उस में भी हम बहुत पीछे हैं। मेरे पास कुछ फिगर्ज़ हैं जो मैं आप को बतलाना चाहता हूं। १४२ लाख रुपया खर्च करने के लिये मंजूरी दी गई थी लेकिन उसमें से केवल ६७ लाख रुपया ही आज तक खर्च किया गया है। दूसरे प्लान में भी इसमें बहुत कमी रही है।

अब मैं एयरलाइंज़ कारपोरेशन के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। मेरे कांग्रेसी मित्र ने जो कुछ इस के बारे में कहा है, उन के साथ मैं सहमत हुए बिना नहीं रह सकता हूं। मैं भी यह मानता हूं कि बुकिंग्ज़ के लिये आजकल भी लोगों को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और उनकी यह बात सत्य है। ट्रेफिक में हवाई जहाज़ों की इतनी कमी है कि बहुत से शहरों में हवाई सर्विसिस के साथ जो लिंक्स

होते हैं, उन को आज तक पूरा नहीं किया गया है । अगर ज्यादा एयरोप्लेन खरीद लिये जायें तो उन से बहुत से शहरों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है और जो लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करना चाहते हैं, किसी उपयोगी कार्य को करने के लिये या शीघ्रता से पहुंचने के लिये, वे आसानी से पहुंच सकते हैं । हमारे देश में बाहर के यात्री भी काफी संख्या में आते हैं । उन को यात्रा में सुविधा देने की दृष्टि से काफी संख्या में हवाई जहाज़ों का होना बहुत जरूरी है । इस से उन को सुविधा होगी । अमरीका और इंग्लैण्ड के लोग जो यहां आते हैं वे हमेशा शिकायत करते हैं कि उनको लम्बी-लम्बी यात्रायें करनी पड़ती हैं और इन यात्राओं के दौरान में उन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । गर्मी के दिनों में जब ये लोग यात्रा करते हैं, और उन को पूरी सुविधायें नहीं मिलती हैं, तो इन का शिकायत करना स्वाभाविक है । इस वास्ते उन की शिकायतों को दूर करने के लिये उन को प्रत्येक सुविधा सुलभ करना अति आवश्यक है ।

एक शिकायत यह भी है कि इंडियन एयरलाइंज कारपोरेशन का जो स्टाफ है, उस को पांच साल से ट्रेफिक स्टाफ में लिये जाने की जो बात हो रही थी उस में काफी देर हो चुकी है । केवल दो वर्ष पहले यह बात हाथ में ली गई है । ऐसा जान पड़ता है कि बहुत से छोटे छोटे कर्मचारी जोकि अनुभवी कर्मचारियों के नीचे शिक्षा ले रहे थे उन को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो सीनियर कर्मचारी थे उन को आज तक तरक्की नहीं दी गई है और न दिये जाने की सम्भावना है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन के इस असन्तोष का निवारण करने के लिये वह जल्द ही कोई ऐसा सुझाव लाये जिस से उन की तकलीफें दूर हो सकें । आजकल हवाई जाहाजों में जो ट्रैफिक स्टाफ हमारे पास है, वह बहुत कम है । इस वास्ते जो पढ़े लिखे हैं, जो अनुभवी हैं, उनको आगे लाने की आवश्यकता निर्विवाद है । कोई भी किसी किस्म का फैवरिटिज्म नहीं होना चाहिये । जो अच्छा काम कर सकता है, उस को आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिये ।

अब मैं कम्युनिकेशन के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । हमारे देश में पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स के जो आफिसिस हैं, उनकी बहुत तंगी है । जगह थोड़ी होती है और कर्मचारी काम करने वाले ज्यादा होते हैं । अहमदाबाद के एक पोस्ट आफिस की रिपोर्ट मेरे पास है इसमें लिखा है कि एक ही कमरे में जो बारह बाई अठारह फीट का है, तीस लोग काम करते हैं और उसमें केवल एक दरवाज़ा है । और कोई उसमें सुविधा नहीं है । पीने के पानी के लिए भी उनको नीचे जाना पड़ता है । जिस पोस्ट आफिस का मैं ज़िक्र कर रहा हूं यह असारवा का पोस्ट आफिस है । बम्बई और मद्रास में भी यही हालत है । वहां के पोस्ट आफिसिस में जो लोग काम करते हैं, उनको कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं । बहुत ही बुरे हालात में उनको काम करना पड़ता है । जब काम करने की हालत अच्छी न हो तो उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि अच्छा काम करें, तेज़ी से काम करें, फुर्ती से काम करें । अगर उनको सुविधा नहीं दी जाती है तो न केवल हमारा काम बिगड़ेगा बल्कि देश का भी काम बिगड़ेगा । मैं समझता हूं कि पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं और जिस नेचर का यह काम है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उनको अच्छी से अच्छी सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें ।

ऐसा भी देखने में आया है कि सरकार के पास अपने मकान नहीं हैं और बहुत सी जगहों पर उसने किराये के मकान ले रखे हैं जिनके लिए उसको बहुत बड़ी रकम बतौर किराये के अदा करनी पड़ती है । मकानों के मामले में अगर आप रेल विभाग को देखें या दूसरे विभागों को देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने काफी तरक्की की है । परन्तु इस डिपार्टमेंट ने मकानों के मामले में कुछ भी नहीं किया है । अगर सरकार के पास अपने मकान हों तो वह किराये का पैसा बचा सकती है और लांग रन में उसको फायदा ही फायदा होगा । इतना ही नहीं सरकार अपने कर्मचारियों को ऐसा करके सुविधायें भी उपलब्ध कर सकती है और वे अच्छे एनविरनमेंट में काम करके एफिशेंसी को बढ़ा सकते हैं । इस वास्ते सरकार को चाहिये कि वह अपने मकानों की व्यवस्था करे ।

[श्री सोलंकी[

अब मैं कर्मचारियो के रहने के मकानो के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पिछले वर्ष पूना में बाढ़ आई थी जिसकी वजह से पांच सौ के करीब कर्मचारी बेघरबार हो गए थे । उनके पास रहने को कोई मकान नहीं बचा था । उस समय डायरेक्टर जनरल पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स ने उन कर्मचारियों को यह वचन दिया था कि वह उन लोगो के लिए एक कालोनी बनायेंगे और उनके रहने का उचित व्यवस्था करेंगे । इस काम में महाराष्ट्र स्टेट ने भी काफी सुविधा दी है । परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और ये पांच सौ कर्मचारी अभी भी बेघरबार हैं । उनको जो वचन दिया गया था उस वचन का पालन आज तक नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि इस वचन को पूरा किया जाय । अब मैं स्टाफ की बात कहना चाहता हूं ।

आज कल लोगों की यह मान्यता हो गई है कि सरकारी विभाग ओवर-स्टाफ्ड हैं । यह ठीक हो सकता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमैंट का सम्बन्ध है, यह सब ज्यादा अंडर-स्टाफ्ड यहां पर पूरे लोग काम करने के लिये नहीं दिये जाते हैं और लोगो से बैलों की तरह काम लिया जाता है । ऐसी हालत में अगर आप यह आशा करते हैं कि डिपार्टमैंट का काम इम्प्रूव होना चाहिये, तो वह आपकी आशा पूरी नहीं हो सकती है । बैलों की तरह उन पर काम लाद देने से काम अच्छा नहीं हो सकता है । आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि स्टाफ के मामले में बिना सरकार के पास गए हुए लोगो को एप्वाइंट किया जा सके । सरकार अगर आथोरिटी डिपार्टमैंट को दे देती है और कह देती है कि अगर स्टाफ की जरूरत हो अगर कोई सुपीरियर या सीनियर आफसर यह समझता है कि स्टाफ अधिक होना चाहिये तो वह फौरन उस स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है । इस तरह अगर किया जाए तो काम अच्छी तरह से चल सकता है । यहां तो यह बात होती है कि सरकार तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है । काम होता नहीं है और उस से लोग चिल्लाते हैं कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं चला सकती है, और यह जो काम करने वाले हैं वे बहुत ढीले हैं । मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं । चूंकि वे अंग्रेज़ी में हैं इस लिये अंग्रेज़ी में ही पढ़ूंगा : एक आर० ऐम० ऐस० सारटर को १२०० चिट्ठियों की बजाए कमसे कम १६०० से १८०० चिट्ठियां प्रति घंटा छांटनी पड़ती हैं । क्लर्क को ८५ से ९० की बजाए १२० से १५० मनीआर्डर प्रतिदिन करने पड़ते हैं । टैलीफोन आपरेटर को १० या १५ कालों की बजाएं २० से ३० ट्रंक कालें करनी पड़ती हैं ।

†**श्री जगजीवन राम :** अब वे अंग्रेज़ी में बोलते हैं ।

†**श्री सोलंकी** : इस लिए कि यह अंग्रेज़ी में है । टैलीग्राफिस्ट को ३० की बजाए ४० से ४५ तार भेजने पड़ते हैं । ऐक्सप्रैस चिट्ठियां ले जाने वाले को ३० की बजाए ७० से ८० तक ऐक्सप्रैस चिट्ठियां देनी पड़ती हैं । अगर यह बात होती है तो फिर हम उन लोगो से अच्छे काम की आशा नहीं कर सकते । इस के बाद मैं जो स्ट्राइक हुआ था उस के बारे में कहना चाहता हूं । जो स्ट्राईक जुलाई सन् १९६० में हुआ था उस के बाद एक समझौता सरकार ने कर लिया है ।

श्री जगजीवन राम : किस से समझौता हो गया है ?

श्री सोलंकी : आप ने एम्प्लायीज से किया है ।

श्री राज बहादुर : कोई समझौता नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सोलंकी : मैं श्री जगजीवन राम जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस समझौते में काफी हिस्सा लिया है, और इसी लिये मैं ने उन का धन्यवाद दिया है। मैंने समझा कि वे उत्सुक थे कि मैं उन का नाम लूं, और वह मैंने ले लिया है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस समझौते में एक ऐसी बात है कि आज कल जो मीटिंग होती हैं वह सिर्फ सर्किल के लेवेल पर होती हैं। आप ने आज तक आल इंडिया लेवेल पर उन कर्मचारियो से कोई मीटिंग नहीं की है। इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आती है। एक सियार था उस ने कौवे को खाने पर बुलाया। जब सियार ने थाली उस के सामने रखी तो उस थाली में से सियार तो खा सकता था पर कौवा नहीं खा सकता था। कौवे ने भी ऐसा ही किया कि सियार को खाने के लिये बुलाया और शीशी में खाना रखा। उस में से कौवा तो खा सकता था लेकिन सियार नहीं खा सकता था।

श्री जगजीवन राम : आप दोनों जानते हैं।

श्री सोलंकी : आप अगर इन कर्मचारियो से अच्छी तरह से बातें करना चाहते हैं तो आल इंडिया लेवेल पर कोई कांफ्रेंस होनी चाहिये। मेरे जानने में यह बात आई है कि २५ मई को एक कांफ्रेंस होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को बढ़ाया जाय और जल्दी जल्दी मीटिंग रखी जाये। आप के जो रिलेशन्स पहले थे आल इंडिया लेवेल पर उन को फिर से स्थापित किया जाय ताकि उन्हें जो कहना हो वह वे कह सकें। उन के पास काफी शिकायतें हैं, उन का कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर कोई बात सरकार के खिलाफ हुई है तो वह सरकार के दूसरे कर्मचारियों ने की हैं। ऐसी मीटिंग होनी चाहियें ताकि वे दूसरी बातों को कह सकें। और पहले की बातों को भुला कर देश की तरक्की को सब मिल कर आगे बढ़ायें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बात और है जो कि मेरे मित्र पहले कह चुके हैं। जो आज कल एक्स्ट्रा डिपार्टमैंटल स्टाफ है उस को डियरनेस अलाउंस देने से सरकार इन्कार कर रही है। सरकार कहती है कि राजन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस की राय से वह ऐसा कर रही है। मेरा कहना यह है कि राजन कमेटी ने कोई रिपोर्ट उन के डिअरनेस अलाउंस के बारे में नहीं दी है और जो डिअरनेस अलाउंस रेगुलर स्टाफ को मिलता है वही इन लोगो को भी मिलना चाहिये। सरकार को यह नहीं समझना चाहिये कि राजन कमेटी की राय से यह हो रहा है क्योंकि उस ने कोई ऐसी राय नहीं दी है। राजन कमेटी को ऐसी राय देने का कोई अधिकार सरकार ने नहीं दिया था, इस लिये राजन कमेटी को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इन कर्मचारियों को डिअरनेस अलाउंस मिलना चाहिये।

इसके बाद यूनिफार्म्स का सवाल आता है। सरकार ने उन लोगों को जाड़े के दिनों में गर्म कपड़े देने का निश्चय किया था, लेकिन अब मई के महीने में, गर्मी के दिनों में उनको गर्म कपड़ों का स्टाक दिया जा रहा है। यह वाकई सरकार के लिये शर्म की बात है कि जो कपड़े उनको जाड़ों म मिलने चाहिये थे वे उनको गर्मी में मिल रहे हैं। ऐसी बातें भी देखने में आई हैं कि बहुत स कपड़ मल्टि कलर्ड या टेकनीकलर्ड दिय जा रह हैं। कोई भूरे रंग का है कोई नीला है, कोई लाल हैं, किसी की बांह हरी है किसी का कालर पीला है क्योंकि टुकड़े जोड़ कर उनको तैयार कर दिया गया है। इस तरह की यूनिफार्म लोगों को दी जा रही हैं। मैं कुछ थोड़ा सा यह अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर यह कैसे हुआ। यह इसलिये हुआ कि

†मूल अंग्रेजी में

कि छोटी यूनिफार्म्स बनाई गईं। जब छोटी छोटी यूनिफार्म काम नहीं दे सकीं तो उन को फिर बढ़ाना पड़ा। बढ़ाने के लिये उनको छोटे-छोटे टुकड़े लगाने पड़े। इस टुकड़े जुड़ी यूनिफार्म को पहन कर कोई आदमी पोस्ट आफिस का कर्मचारी तो नहीं लग सकता, भल ही कोई जेल का आदमी समझ लिया जाय तो बात दूसरी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें अच्छी यूदिफार्म उनको मिल सकें।

जो मेरी आखिरी प्रार्थना है वह यह है कि जिन कर्मचारियों से हम काम लना चाह हैं, अगर उनको हम संतोष नहीं देंगे, उनकी बातों पर हम जल्दी ध्यान नहीं देंगे, तो उन डिस्सैटिस्फैक्शन आ जायेगा, और जब डिस्सैटिस्फैक्शन होता है तो इस तरह की हड़तालें हुआ करती हैं और उसकी वजह से देश की बहुत सी तरक्की रुक जाती है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के साथ वह अच्छा बर्ताव करे और उनकी आवश्यकताओं पर पूरा पूरा ध्यान दे।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, मैं नये मंत्रियों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूर्ण किया गया है और उस को पूर्ण करने में जो सहायता मंत्री महोदय ने दी है उस के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): अब कोई नई बात बोलिये।

श्री रघुनाथ सिंह: यह नई बात है। जहां तक जहाजरानी का सम्बन्ध है, इस में कोई ज्यादा तरक्की हमने नहीं की है। हम देखते हैं कि संसार में करीब १३ करोड जी० आर० टी० के जहाज हैं, हमारे पास सिर्फ ९ लाख ५५ हजार जी० आर० टी० के जहाज हैं। संसार में जितने जहाज हैं अगर उन के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाय तो भारत का प्रतिशत ७.७ आता है, किन्तु आज से पहले वह केवल ५ था। यानी ८ वर्ष में सिर्फ २ प्रतिशत तरक्की हम ने की है। इस के साथ ही साथ इस वक्त जो जहाजरानी वाले देश हैं उनमें हमारा स्थान १९वां है। बल्कि अगर देखा जाय तो जो नार्वे, हालैंड, स्वेडेन और डेनमार्क जैसे छोटे छोटे देश हैं हम उन से भी बहुत पीछे हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाये तो संसार में जो व्यापार होता है उस व्यापार में भारतवर्ष का स्थान १४ वां है, और संसार में जो व्यापार होता है उस के हिसाब से भारत का व्यापार केवल १·५५ प्रतिशत है। अगर यह व्यापार १·५५ प्रतिशत हो और उसी हिसाब से हम जहाजों को भी देखें तो हमारे पास कम से कम २ मिलियन जी० आर० टी० के जहाज होने चाहियें थे। हम ने जैसा लक्ष्य सन् १९४७ में स्थिर किया था उस में करीब १५ वर्ष बीतने के बाद भी हमारे पास १ मिलियन जी० आर० टी० के जहाज कम हैं।

इस में कोई सन्देह नहीं कि जब से यह मिनिस्ट्री बनी है, एशिया और अफ्रीका में हिन्दुस्तान का द्वितीय स्थान है। पहला स्थान जापान का है। लेकिन जापान और हिन्दुस्तान दोनों को अगर हम देखें तो हमारे जहाज जापान के मुकाबले में १० परसेन्ट ठहरते हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जब कि हिन्दुस्तान का व्यापार दिन प्रति दिन अधिक होता जा रहा है तो हमारे पास वर्ल्ड टनेज का कम से कम ·७७ प्रतिशत और जरूर होना चाहिये क्योंकि जो हमारे ट्रेड का हिस्सा है उसके अनुसार जहाज़ों का भी हिस्सा होना चाहिये।

टैंकर का जहां तक सम्बन्ध है, करीब ३० करोड़ रुपया साल हम फारिन शिपिंग कम्पनीज़ को टैंकर के फ्रेट के रूप में देते हैं। १२·२९ मिलियम टन आइल हम हिन्दुस्तान में इम्पोर्ट करते हैं लेकिन हमारे पास टैंकर केवल २४,००० जी० आर० टी० के हैं और हमारा जो पूरा जहाज का व्यवसाय है उसमे कर का स्थान आता है २·३, जब कि सारी दुनिया में जितने जहाज हैं उनमें टैंकर का परसेंटेज आता है ३२·३। जब कि वर्ल्ड का रेशियो ३२·३ पर सेंट है तो हमारा रेशियो २·३ पर सेंट है। यह

स्थिति ठीक नहीं है। हम जो ३० करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को टैंकर के फ्रेट के रूप में देते हैं इसको हमें बन्द करना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि आयन्दा हम हिन्दुस्तान में जो तेल कम्पनियां हैं उनसे एग्रीमेंट करें तो हमारा यह एग्रीमेंट होना चाहिये कि जो भी तेल हिन्दुस्तान में बाहर से आवेगा वह हिन्दुस्तानी टैंकर्स में आवेगा। हमें अफसोस है कि जब हमने इन आइल कम्पनियों के साथ एग्रीमेंट किया उस वक्त यह शर्त नहीं रखी गयी। अगर उनके साथ कोई और एग्रीमेंट हो तो उसमें यह शर्त होनी चाहिए।

जहांतक हिन्दुस्तान शिपयार्ड का सम्बन्ध है उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। इस वक्त हिन्दुस्तान शिपयार्ड की स्थिति यह है कि सन् १९६५ तक जितने जहाज बन सकते हैं उनके लिए वह बुक्ड है। अब एक भी और जहाज बनाने की कैपसिटी सन् १९६५ तक नहीं है। आप देखें कि हिन्दुस्तान में जहां तक जहाज बनाने के व्यापार का सम्बन्ध है उसमें संसार में हमारा स्थान १७वां आता है और हम ·३६ पर सेंट जहाज़ यहां बनाते हैं। हमारी यह स्थिति ठीक नहीं है क्यों कि हमारी जो आवश्यकता है उसके आधे जहाज हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और उनका पेमेंट फारिन एक्सचेंज में करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो कोचीन में सैकिंड शिपयार्ड बनने वाला है उसमें अविलम्ब हाथ लगना चाहिए ताकि हम देश में जरूरत के जहाज बना सकें।

साथ ही साथ गोआ हमारे पास आ गया है। गोआ में जो आइरन ओर निकलता है उसमें आइरन का कंटेंट ६० परसेंट होता है। हम इस आइरन को जहाज बनाने के उपयोग में लावें और वहां छोटे छोट जहाज बनाने की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा हो सकता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक कांस्ट्रक्शन का सम्बन्ध है, इस वक्त दुनिया में १४४९ जहाज बन रहें हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में सिर्फ २१ जहाज़ बनाने की व्यवस्था है, और जो जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनते हैं उनको आप छोड़ दें तो करीब ६० हजार टन के जहाजों के आर्डर बाहर दिए जाते हैं। हम बाहर से जहाजों का इम्पोर्ट करते हैं यह व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें हिन्दुस्तान में इस व्यवसाय की उन्नति करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब ६३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष इम्पोर्ट में हम लोग फारिन कम्पनीज को फ्रेट के रूप में देते हैं। इस प्रकार से आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जब से हिन्दुस्तान की रिपबलिक बनी है, या १९५२ से करीब करीब आज तक २००० करोड़ रुपया हमने फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में दिया है, जिसमें से १३७० करोड़ तो एक्सपोर्ट के फ्रेट के रूप में दिया है और ६३० करोड़ रुपया इम्पोर्ट के फ्रेट के रूप में दिया है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार क्या सोचती है। जो देश अपने बजट का करीब २० पर सेंट फारिन एक्सचेंज के रूप में विदेशी जहाजी कम्पनियों को देता है उस देश की आर्थिक अवस्था कैसे सुधर सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता। इस वास्ते मरा यह निवेदन है कि जो यह करीब २०० करोड़ रुपया सालना फारिन शिपिंग कम्पनीज को हम फारिन एक्सचेंज क रूप में देते हैं और जो हमारे हिन्दुस्तान के रुपए का इस प्रकार ड्रेनेज हो रहा है यह अविलम्ब समाप्त होना चाहिए।

हमारे भाइयों ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी का नाम लिया है। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में जो शिपिंग है वह रूस और चीन को छोड़ कर प्राइवेट सेक्टर में है। हिन्दुस्तान में भी आप देखें तो केवल २० पर सेंट पबलिक सेक्टर में है और ७६ पर सेंट प्राइवेट सेक्टर में है। हिन्दुस्तान में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। इस प्रकार जब लोकतंत्र को हम मानते हैं तो आप यह सोचें कि सभी जहाज का व्यवसाय पबलिक सेक्टर में चला जाए यह बात अनुचित है। दोनों सेक्टर साथ साथ चल रहे हैं और उनको चलने देना चाहिए। चाहे वह जयन्ती शिपिंग कम्पनी हो या तीन चार वर्ष में हिन्दुस्तान में जो और कम्पनियां आरम्भ हुई हैं हमको उनका स्वागत करना चाहिए, और इसलिए स्वागत करना चाहिए कि उनके कारण कुछ न कुछ तो हिन्दुस्तान का रुपया हिन्दुस्तान में आता है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

अभी तो हमारा २०० करोड़ रुपया सालाना फ्रेट के रूप में बाहर चला जाता है। हिन्दुस्तान में जो भी कम्पनी कायम होगी उसके कारण हिन्दुस्तान का रुपया हिन्दुस्तान में तो रहेगा वह कम्पनी हिन्दुस्तान के रुपया को बाहर भेजने वाली नहीं हैं।

इसके बाद मैं कोस्टल शिपिंग के बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि सन् १९५१ में हमारे पास २ लाख १३ हजार टन के जहाज कोस्टल शिपिंग में लगे हुए थे और सन् १९६१ में, इतने समय बाद, हमारे कोस्टल शिपिंग में अब २ लाख ७७ हजार टन के जहाज हैं। अर्थात दस बरस में हमने सिर्फ ६४ हजार जी० आर० टी० के जहाज कोस्टल शिपिंग में और जोड़े हैं। यह प्रगति संतोषजनक नहीं है इस हिसाब से हर साल सिर्फ ६ हजार टन के जहाज़ हमनें कोस्टल शिपिंग में बढ़ाए हैं अगर हमें कोस्टल शिपिंग को जोवित रखना है तो उसको एक अच्छे आधार पर कायम रखना चाहिए। कोस्टल शिपिंग के वास्ते जो टारजेट निश्चित किया गया था उसमें एक लाख ३५ हजार टन के जहाजों का शार्टेज है। अर्थात सन् १९५१ से ले कर आज तक आपने कोस्टल शिपिंग के वास्ते बहुत कम किया है। आपकी नीति ऐसी रही कि जिसके कारण कोस्टल शिपिंग की तरक्की नहीं हो सकी।

हमारे मित्र ने कहा कि दूसरे लोगों को जहाज देना चाहिए। मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहता कि जहां तक जहाजी व्यवसाय का सम्बन्ध है हमें उसको भारतीयों के हाथ में रखना है। यह हमारी सैकिंड लाइन आफ डिफेंस है। युद्ध के समय हमारे काम आ सकती है। इस वास्ते इसमें चाहे कुछ अंशों में फारिन कोलेबोरेशन हो लेकिन इसको हिन्दुस्तानियों के हाथ में रखना है ताकि आपत्ति के समय हम इसका उपयोग कर सकें।

अभी थोड़े दिन हुए एक सी और, रेलवे कोआर्डिनेशन की कमेटी कायम हुई थी। हमारे मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि चूंकि रेलवे से पूरा कोयला नहीं जा सकता साउथ और सौराष्ट्र, लिहाजा एक मिलियन टन कोयला कोस्टल शिपिंग वाले ढोवें। उनका पहले एक मिलियन टन ढोने का टारजेट था। अब उनसे कहा गया है कि दो मिलियन टन कोयला ढोवें। कोई भी आदमी जो व्यापार करेगा अगर उसमें उसको दो पैसे का फायदा नहीं होगा तो वह उसम अपना रुपया इनवेस्ट नहीं करेगा। आप देखें कि आपको एक मिलियन टन कोयला सौराष्ट्र और साउथ को भेजना है। उसको आप रेलवे से भेज तो उसके लिए आपको १५०० वैगन्स की जरूरत होगी और २०० इंजिनों की आवश्यकता होगी। इसके मानी यह हैं कि पांच करोड़ रुपया इस मद में और १५ करोड़ रुपया एडीशनल लाइन बनाने में खर्च होगा। इस प्रकार २० करोड़ रुपया खर्च करके आप दस लाख टन कोयला सौराष्ट्र और दक्षिण भारत को भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप पांच या ६ करोड़ रुपया कोस्टल शिपिंग में इनवेस्ट कर दें तो आपका यह सारा काम हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमको कोस्टल शिपिंग को बढ़ाना चाहिए। मंत्री समहोदय पहले रेलवे के मिनिस्टर थे और अब ट्रांस्पोर्ट में आ गए हैं। इस तरह आपको दोनों का ज्ञान है। मैं आपके सामने यह इकानमी रखता हूं क्या इस काम के लिए २० करोड़ रुपया खर्च करना अच्छा है या ५ या ६ करोड़ रुपया इनवेस्ट करना आप ५ या ६ करोड़ रुपया खर्च करके यह काम कोस्टल शिपिंग द्वारा कर सकते हैं। अगर उसको पनपाया जा सकता है तो क्यों न पनपाया जाए क्योंकि कोस्टल शिपिंग हमारे देश के उत्थान के वास्ते अत्यन्त आवश्यक है।

आप देखें कि आपने तीसरी पंच वर्षीय योजना में रेलवे को योजना की कुल रकम का १२ पर सेंट दिया। और इसके मुकावले आपने शिपिंग और ट्रांस्पोर्ट को क्या दिया है? जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है उसको आपने हारवर, पोर्ट आदि सब जोड़ कर कुल १५३ करोड़ रुपया दिया है और इससे आप चाहते हैं कि भारत वर्ष के शिपिंग की तरक्की हो। इसमें हारबर भी शामिल हैं, लाईट हाउस भी शामिल हैं और दुनिया भर की चीजें शामिल हैं। इससे काम हो नहीं सकेगा। आप देखें कि रेलवे का सम्बन्ध तो अन्तर्देशीय ट्रांस्पोर्ट के साथ है। आज रेलवे देश के ट्रांस्पोर्ट का ८० प्रतिशत काम करती

है और जहां तक पैसिंजर ट्रेफिक का सम्बन्ध है रेलवे उसका ६० पर सेंट काम करती है। लेकिन जहां तक थर्ड फाइव इयर प्लान के टार्गेट का सवाल है १२ प्रतिशत रेलवेज को दिया है। अगर उस में से सिर्फ ५ परसैंट आप शिपिंग को दे देते तो उसका फल यह होता कि २०० करोड़ रुपया जो आज हमारे देश का बाहर जा रहा है उस में से कम से कम २५, ३० या ४० करोड़ रुपया सालाना आप बचा सकते थे। एक तरफ तो आप की ओर से फौ न एक्सचेंज के वास्ते इतने जोर से आवाज उठाई जाती है कि हमा पास फौरेन एक्सचेंज नहीं है, सारा काम हमारा बिलकुल अटका हुआ है और दूसरी तरफ २०० करोड़ रुपया हर साल आप विदेशी कम्पनियों को फौरेन एक्सचेंज के रूप दे देते हैं यह व्यवस्था ठीक नहीं है और इसका शीघ्रातिशीघ्र जैसे भी हो अन्त होना चाहिए।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है इसको टौप प्रायरटी आपको देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि तीन, तीन शिपिंग लाइनें हम से कम्पीट करने के वास्ते जारी हो रही हैं। पाकिस्तान, जापान और मलय एशिया से एक लाइन जारी हो रही है जोकि फारस तक जायगी।

आप ने देखा होगा कि साउथ ईस्ट ऐशिया, मलैशिया के देशों ने एक दल बना लिया है और वह भी चाहते हैं कि उनकी भी एक शिपिंग लाइन हो। अगर जापान एक बार पाकिस्तान के साथ, मलैशिया देशों के साथ इस ट्रेड में आ गया तो जाहिर है कि हमारी इंडियन शिपिंग के व्यापार को उससे धक्का लगेगा। जो मार्केट इस वक्त हमारी दुनिया में है उस मार्केट को हमें कायम रखना चाहिए। फौरेन एक्सचेंज अगर न हो तो दूसरे कामों को रोक कर वह फौरेन एक्सचेंज शिपिंग के वास्ते ले लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जहाज आने चाहिए ताकि हम इस ड्रैनेज को रोक सकें।

जहां तक कोस्टल शिपिंग का सम्बन्ध है.....

अध्यक्ष महोदय : कोस्टल शिपिंग से तो अब साहिल पर उतरने का वक्त आ गया।

श्री रघुनाथ सिंह : अगर आपका बैठ जाने के लिए आदेश हो तो मैं बैठ जाने को तैयार हूं।

कोस्टल शिपिंग का जहां तक सम्बन्ध है मैं ने आप से अर्ज किया कि इसका फ्रेट एकोनामिकल होना चाहिए। हमारे भूतपूर्व रेलवे मिनिस्टर जोकि अब ट्रान्सपोर्ट के मिनिस्टर हैं यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ३५ रुपये में एक टन कोयला कलकत्ते से सौराष्ट्र तक ले जाया जाय यह नामुमकिन है, अस्वाभाविक है और अनएकोनामिकल है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि कोई एकोनामिकल फ्रैट फिक्स किया जाय। यह जो कोस्टल शिपिंग के जहाज हैं उन को आप कोयला दीजिये ताकि उनकी भी तरक्की हो सके और वह भी जी सकें।

जहां तक शिपयार्ड का ताल्लुक है जो सेकेंड शिपयार्ड होने वाला है उसकी व्यवस्था में.....

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : वह विश्व के प्रयाप दरों के मुकाबले में कैसे है ?

श्री रघुनाथ सिंह : बहुत लो है।

३५०० मील की हमारी कोस्ट लाइन है। आप चाहते हैं कि ३५०० मील में कोई ३५ रुपये में एक टन कोयला ले जाय यह असम्भव है और हो नहीं सकता है। आप चाहे कोई भी कानून बनाइये वह चल नहीं सकता है।

तीसरी बात हमें यह कहनी है कि जहां तक सेकेंड शिपयार्ड का ताल्लुक है इसे अविलम्ब हाथ में लेना चाहिए। और जो बाहर से शिप्स् आ रहे हैं उनको बंद होना चाहिए।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक टैंकर्स का सम्बन्ध है चूंकि हमारे यहां आयल कम्पनियां हैं, आयल कम्पनियों को हम बाध्य करें कि हमारे जो जहाज हैं उनमें लायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका ने जो यह ५०-५० परसैंट का नियम बनाया है कि इस प्रपोरशन से व्यापार होगा अर्थात् ५० परसैंट अगर हमारे जहाजों से सामान आता है तो ५० परसैंट दूसरे जहाजों से भी सामान आवे । यह जो प्रपोरशन है इसको हिन्दुस्तान को भी कायम रखना चाहिए । अगर इंग्लैंड से हमारे यहां सामान आता है तो इंग्लैंड को हमें यह कहना चाहिए कि ५० परसैंट हमारे जहाज में सामान जायगा और ५० परसैंट सामान बाहर के जहाजों में आयेगा ।

मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है, खाली व्यापार से ही इसका सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह सेकेंड लाइन आफ डिफैंस भी है और इस वास्ते शीघ्रातिशीघ्र जहां तक सम्भव हो अगर उन्नति की जाय तो अच्छा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : परिवहन और संचार बहुत महत्वपूर्ण हैं न केवल देश के आर्थिक विकास के लिये, परन्तु देश की सुरक्षा के लिये भी किन्तु परिवहन नीति की महत्वपूर्ण समस्या और समन्वय की ओर सरकार का रवैया वैसा नहीं है जैसा होना चाहिये ।

सरकार ने १९५९ में इस मामले की जांच के लिये उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी । तीन वर्ष बीत गये हैं । समिति ने अभी नीलमुद्र भी नहीं प्रस्तुत किये । समिति ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन फरवरी, १९६१ में प्रस्तुत किया । सरकार ने समिति से सहयोग नहीं किया । उन्हें अपेक्षित जानकारी केवल दो राज्य सरकारों से मिली है ।

समिति ने यूरोप में एक दूतावास के राजदूत को उस देश में परिवहन के बारे में कुछ जानकारी के लिये लिखा, परन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं की । फिर प्रधान मंत्री जी के दावत देने से उन्होंने अपेक्षित जानकारी दी । समिति ने कहा है कि इस तरह सहायता से समिति तृतीय योजना के अन्त तक प्रतिवेदन दे सकेगी । इस से तृतीय योजना को हानि होगी क्योंकि परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है ।

मैं ने एक दूत मंडल के सहयोग न करने के बारे में कहा । इस देश को तृतीय योजना कार्यान्वयन के लिये सरकार की सहायता के लिये एक विशेष दूत भेजना पड़ा । उन्हों ने जो कुछ अच्छा काम किया उस के लिये उन्हें विष दे कर मार दिया गया । इस काम में सत्तारूढ़ दल के कुछ व्यक्तियों की भी साजिश थी । इस लिये माननीय मंत्री व प्रधान मंत्री इस मामले के विषय में और जानकारी दें ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले का परिवहन और संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से क्या सम्बन्ध है ;

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य और विषय पर बोलें । यह इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं रखता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां तक परिवहन की मांगों के प्राक्कलन का सम्बन्ध है समिति को दो बातों पर जानकारी चाहिये । (१) परिवहन सुविधाओं और उन के प्रयोग की शारीरिक तालिका (२) कुल आर्थिक विकास का कार्यक्रम जिस से आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों का पता चलेगा और आर्थिक कार्यवाही जिस का पूर्वविधारण करना है की मात्रा और प्रकृति का भी पता चलेगा ।

इन दोनों मामलों के सम्बन्ध में निओगी समिति ने कहा है कि थोड़ी जानकारी उपलब्ध है और थोड़ी जानकारी दी गई है । परिवहन तृतीय योजना के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस के विषय है सरकार का रवैया ठीक नहीं है ?

मुख्य समस्या जो राष्ट्र के सामने है वह है सड़क और रेल परिवहन का समन्वय । सड़क और रेल परिवहन के समन्वय के तीन विकल्प हैं । एक तो स्वतन्त्र प्रतियोगिता, दूसरी सरकार द्वारा नियंत्रण

---

†मूल अंग्रेजी में

और तीसरा परिवहन के सब साधनों को इकट्ठा करना । इन विकल्पों पर सरकार ने समिति को अपनी राय नहीं दी है । मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि सरकार का इरादा समिति की सहायता करने का है ताकि हमारे परिवहन प्रणाली की स्पष्ट तस्वीरें हमें पता चले ।

परिवहन के राष्ट्रीयकरण को भिन्न ढंग से करना चाहिये । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकारी उपक्रमों की समिति तो नियुक्त करती है उस का सभापति विरोधी दल का सदस्य होना चाहिये । पहली पार्लियामेंट में जल द्वारा परिवहन का मामला उठाया गया था । मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि गंगा और कावेरी को जोड़ने के विषय पर विचार किया जाय । नहरों के जल से ऐसा किया जाय जो कि जल द्वारा परिवहन का नया तरीका बतायेगा । मेरी आशा है १० और १५ वर्षों में देश में जल द्वारा परिवहन हो जायेगा ।

डाक और तार बोर्ड रेलवे बोर्ड की तरह महत्वपूर्ण हैं । उनमें समानता होनी चाहिये । डाक और तार विभाग में काम की मशीन द्वारा किए जाने की स्थिति है ।

मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि डाकखानों में जो अतिरिक्त विभागीय स्टाफ है उन्हें मंहगाई भत्ते का लाभ जो कि दूसरे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिला है मिलना चाहिये । इस मामले पर विचार होना चाहिये । तार कार्यालयों में तारें "ऐक्सप्रैस डिलिवरी" व साधारण डाक द्वारा भेजने की प्रणाली को बन्द कर देना चाहिये ।

अन्त में मैं इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विषय में कहूंगा पिछले कुछ वर्षों में कारपोरेशन ने बहुत फिजूल खर्च किया । पहले डोहैबिल और डोवज पर और बाद में वाईकिंग पर । मुझे आशा है कि ऐसी गलती फिर नहीं होगी ।

जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है जब भारतीय बाहर जाते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । इस के बावजूद भी हमारे देश को पर्यटक बहुत कम आते हैं शायद इस का कारण नशाबन्दी है । माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करें ।

परिवहन और संचार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
८८	१	श्री हरिविष्णु कामत	विचारशील समनुगत परिवहन नीति बनाने में असफलता	१०० रुपये
८८	२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विकसित क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिवहन नीति	१०० रुपये
८८	३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में सामाजिक सुधारकों और ऐतिहासिक व्यक्तियों की स्मारक टिकटें छापने की नीति	१०० रुपये
८८	४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	ग्रामों और राष्ट्रीय राजपथों से दूर स्थानों मे परिवहन नीति	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८८	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तुंगभद्रा मुख्य नहर और सब नदी घाटी परियोजनाओं की नहरों में नौवहन सुविधायें दी जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	१२	श्री मे० क० कुमारन .	द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के लिये प्रविधिक परामर्श-दाता नियुक्त करने में देरी	१०० रुपये
८८	३९	श्री वारियर . .	केरल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ को चौड़ा करने के काम को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४०	श्री वारियर . .	चेथुराय पुल के निर्माण के लिये सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४१	श्री वारियर . .	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर नीन्दाकारा पुल के निर्माण के तेज करने की आव-श्यकता	१०० रुपये
८८	४२	श्री वारियर . .	केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ की 'लोड' क्षमता के सर्वेक्षण की और स्तर से नीचे के भागों को ऊंचा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४३	श्री वारियर . .	मशहूर राज्य सड़कों को ऊंचा करने के लिये और पुलों और पुलियों के पुनर्निर्माण के लिये अधिक निधियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४४	श्री वारियर	करंगानोर आबन्ध पानी के और छोटे पत्तन के पुनर्निर्माण के लिये समुद्रवंग के सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४५	श्री वारियर . .	त्रिचूर नगर मे अपने आप चलने वाला टेलीफोन सिस्टम	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८८	४६	श्री वारियर	कोचीन बन्दरगाह और त्रिचूर के बीच में परिवहन स्तर को मानाकोडी झील के द्वारा गहरा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४७	श्री वारियर	सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के लिये राज्यों के ऋण के रूप मे अधिक निधियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४८	श्री वारियर	इनामार निकास पर पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	४९	श्री वारियर	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर जहां पर नालाकुड्डी नदी पर से गुजरता है अलग सड़क पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५०	श्री वारियर	करंगानोर को नवीन द्वीपों से जोड़ने के लिए पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५१	श्री वारियर	कोचीन बन्दरगाह के लिए पत्तन न्यास निर्माण में विलम्ब	१०० रुपये
८८	५२	श्री वारियर	कोचीन पत्तन में आधुनिकतम मुरम्मत करने की दुकान स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५३	श्री वारियर	कोचीन पत्तन में सूखी गोदी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५४	श्री वारियर	गैर सरकारी दलों को टैलीफोन सम्बन्धों की अधिक सुविधाएं देने को आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५५	श्री वारियर	दिल्ली और त्रिवेन्द्रम में कोइम्बाटोर द्वारा अधिक टेलीफोन लाइनें देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८८	५६	श्री कोया	त्रिवेन्द्रम और मंगलौर के बीच में नहर नौपरिवहन के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५७	श्री कोया	दूसरे जहाज़ बनाने के कारखाने के निर्माण में देरी	१०० रुपये
८८	५८	श्री कोया	कालीकट में हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	५९	श्री स० मो० बनर्जी	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की नेशनल फैडरेशन के प्रतिनिधियों और डाक और तार विभाग के महासंचालक के बीच में मासिक बैठकें आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६०	श्री स० मो० बनर्जी	नागपुर से रात को हवाई डाक सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६१	श्री स० मो० बनर्जी	हुगल जल पोतकों से झगड़े का शान्तिमय फैसला करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६२	श्री स० मो० बनर्जी	कर्मचारियों से झगड़े निपटाने के लिए बातचीत करने की प्रणाली की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६३	श्री स० मो० बनर्जी	जुलाई, १९६० की हड़ताल के बाद नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६४	श्री स० मो० बनर्जी	जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों का वेतन अनुःशासनीय कार्यवाही से कम कर दिया गया था उन्हें फिर पहला वेतन देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
८८	६५	श्री स० मो० बनर्जी	. टैलीग्राफ जांच आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६६	श्री स० मो० बनर्जी	. आर०एम० एस० पुनर्गठन समिति को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६७	श्री स० मो० बनर्जी	असैनिक विमान चालन के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६८	श्री स० मो० बनर्जी	गैर सरकारी वायु समवायों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	६९	श्री अ० व० राघवन	. श्री नारायण गुरु, केरल के महान समाज सुधारक के सम्मान में स्मारक टिकटें जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	७४	श्री अ० व० राघवन	कुंजन नाम्बियार, केरल के समाज सुधारक के सम्मान में स्मारक टिकटें जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८८	७५	श्री अ० व० राघवन	. पाज्ञासी राजा, कुंजाली मारकार, थावोली ओथेनान, उन्तीयारचा केरल के महान योद्धाओं के सम्मान में स्मारक टिकटें जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८९	१३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	अगले मौसम में वर्षा की ठीक मात्रा जानने के लिए वैज्ञानिक गवेषणा की आवश्यकता	१०० रुपये
९०	१४	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	ग्रामों में वर्तमान सड़कों को पक्का बनाने के लिए राज्यों को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९०	७६	श्री कोया .	. भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत सड़कें कायम रखने के लिए राज्य को अधिक निधियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
९१	१५	श्री इम्बीचिबावा	. केरल के त्रिचूर जिले में चातुर्थ पुल को तृतीय पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय योजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९१	१६	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	. मैसूर मे हुबली–गुराटाकल और कोप्पाल–हेसारूर–लायागली से कारवर तक के रास्ते को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने की आवश्यकता	१०० रुपये
९१	७७	श्री कोया	केरल के कोझी कोडे जिले में कादालुण्डी पुल के केन्द्रीय योजना के रूप में निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९१	७८	श्री कोया .	केरल में करंगानोर द्वारा जाने वाली अलवायी से कालीकट तक की सड़क को राष्ट्रीय राजपथ में बदलने और पश्चिमी किनारे की सड़क को छोटी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९१	७९	श्री कोया	. शोरनूर से कालीकट तक रेलवे लाईन के समानान्तर जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राज-पथ बनाने और राष्ट्रीय राज-पथ संख्या ४७ से जोड़ने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९२	१९	श्री इम्बीचिबावा .	केरल समुद्र तट के पुरानी ग्रामीण शिल्प और चलने वाले जहाजों के व्यापार का विकास और उसे आधुनिक बनाने की आव-श्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९२	८०	श्री अ० व० राघवन	कोचीन बन्दरगाह पर हज यात्रियों के लिए नौवहन सुविधाएं देने की आवश्यकता	१०० रुपये
९६	२४	श्री म० के० कुमारन	केरल में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में योजनाओं को मंजूर करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९६	८३	श्री कोया	केरल में बेपाटे पत्तन के विकास की आवश्यकता	१०० रुपये
९६	८४	श्री कोया	केरल में पर्यटन विकास के लिए अधिक प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
९६	८५	श्री अ० व० राघवन	केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये बाडागारा में "सैंड बैंक" लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
९७	२५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	ग्रामों में छोटे डाकखानों में वेतन-क्रम बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९७	२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	करनाटक में १२ वीं शताब्दी में पहला लोक-सुधारक और अस्पृश्यता सुधारक बाशावेश्वर के स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९७	८६	श्री कोया	अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की आवश्यकता	१०० रुपये
९७	८७	श्री कोया	बड़े देशभक्त मौलाना मुहम्मद अली के स्मारक टिकट जारी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९८	२९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य के रायचूर जिले के सिंधानूर कुस्तागी, दिग्रोदुर्ग ताल्लुकों में तार कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९८	३०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	५ हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों व नगरों में डाक और तार कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९८	८८	श्री अ० व० राघवन्	केरल के कोज़ीकौड जिला में नादा पुरम, कुट्टीयादी और पैर-म्बार में टेलीफोन और तार कार्यालय खोलने की आव-श्यकता ।	१०० रुपये
१३६	३४	श्री म० के० कुमारन	केरल में राष्ट्रीय राजपथ विकास योजना पर काम तेज़ करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	३५	श्री म० के० कुमारन	पश्चिमी समुद्र तट सड़क के विकास पर काम को तेज करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३६	९३	श्री अ० व० राघवन्	कोज़ीकोडे जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटर चल सकने की सड़कों को बनाने के लिये केरल राज्य को विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३७	३७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कटवार मंगलोर को बड़े पत्तन में बदलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३७	३८	श्री इम्बीचिबाबा .	कोचीन से यातायात बढ़ने के कारण कोनानी को अनुपूरक पत्तन बनाने की आवश्कता ।	१०० रुपये
१३७	९४	श्री कोया .	केरल में बेपोटे को बड़े पत्तन में बदलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३७	९८	श्री अ० व० राघवान्	बेपोटे को बड़े पत्तन में बदलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३७	१०३	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	तृतीय पंचवर्षीय योजना में परदीप को सब मौसमों में काम आने वाला पत्तन बनाने की आव-श्यकता ।	१०० रुपये
१३८	९९	श्री इम्बीचिबावा .	कोज़ीकोडे पर हवाई अड्डे की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३८	१००	श्री म० के० कुमारन	त्रिवेन्द्रम हावई अड्डे को अन्त-र्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : माननीय मंत्री की कठिनाइयां और समस्याएं समझी जा सकती हैं किन्तु अब समय आ गया है कि देश की एक अधिक समन्वय वाली परिवहन नीति होनी चाहिये ।

चूंकि मैं एक तटीय क्षेत्र से आई हूं मुझे इस बात की चिन्ता है कि रेलवे और जहाज़ी कम्पनियों की नीति में कोई सम्बन्ध नहीं है रत्नागिरी ज़िले में कोंकन नौवहन सेवा के बन्द होने का ख़तरा है। यह सेवा बम्बई से निकटवर्ती तटीय पत्तनों तक यात्रियों को ले जाती है, सिंदिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी का, जो कोकेन सेवा चलाती है, कहना है । कि यह सेवा अलाभप्रद है इस लिए वह या तो अपनी हानि के लिए प्रतिकर चाहती है यह उसे बन्द करना चाहती है । चूंकि इस क्षेत्र में कोई रेल नहीं है, इस लिए यात्रियों को जहाज़ों द्वारा ही जाना पड़ता है । यात्रियों का जो अधिकतर बम्बई में काम करते हैं जिले में अपने घ को प्राय जाना पड़ता है । इस लिए इस सेवा को बन्द नहीं किया जा सकता और न ही इस गरीब जिले के लोगों के लिए आने जाने का किराया बढ़ाना उचित होगा । वर्तमान परिस्थितियों में या तो सरकार को जहाज़ी सेवा अपने हाथ में ले लेनी चाहिये या सिंदिया कम्पनी को अपना घाटा पूरा करने के लिए पर्याप्त साहाय्य देना चाहिये । यात्रियों पर किरायों का अधिक बोझ डालना उचित्त नहीं होगा । कोयले को समुद्र द्वारा ले जाने के बारे में अनुमानित आवश्यकता प्रति वर्ष २० लाख टन है, किन्तु तटीय जहाज़ मालिक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके । इस में उनका दोष नहीं है । वे कई वर्षों तक समुद्र द्वारा ले जाने के लिए कोयले की मात्रा बढ़ाना चाहते थे किन्तु उस समय रेलवे मंत्रालय ने योजना को स्वीकार नहीं किया किन्तु ६ महीने बाद रेलवे ने फिर स्वयं उन से प्रार्थना की कि वे २० लाख टन कोयला समुद्र द्वारा ले जायें किन्तु अब उन के पास जहाज़ नहीं हैं । पिछले कुछ वर्षों में जहाज़ मालिकों को अधिक कोयला ले जाने के लिए प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें निरुत्साहित किया गया था । तटीय नौवहन का विकास तुरन्त तो हो नहीं सकता, क्यों कि भाड़े की दरें अलाभप्रद हैं सरकार ने अभी तटीय नौवहन के विषय की जांच की है और देखना चाहिये कि उस जांच के परिणाम क्या हैं । इस समय जो त्रुटि है वह समन्वय के न होने की हैं जो कि देश के लिए बहुत हानिकारक है । तटीय नौवहन के विकसित न होने से कोयला लेजाने के लिए विदेशी जहाज़ चार्ट किये गये है और इस कार्य के लिए १० लाख रुपये प्रति मास विदेशी मुद्रा के खर्च करने पड़ते हैं । यह खर्च बिल्कुल अपव्यय है । इस लिए मेरा निवेदन है कि जैसाकि प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है नौवहन निगमों के प्रति सरकार को अपनी नीति पुन: निर्धारित करनी चाहिये । इन शब्दों के साथ, मैं परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं ।

†**श्री वसुमतारी** (गोआलपाड़ा): आसाम में संचार के साधन बहुत कम हैं । ब्रह्मपुत्र में ज्वायंट स्टीमर कम्पनी अपने जहाज़ चलाती है । किन्तु यह कम्पनी अपनी दरें बढ़ा देती है, जिस से आसाम के लोगों के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है । इसके साथ वहां कोई पत्तन नहीं है । पांडू पर एक पत्तन तुरन्त बनाना चाहिए । एक एक नदी पत्तन तेजपुर और डिब्रूगढ़ पर भी अवश्य बनाना चाहिये ।

आसाम में राजपथ की लम्बाई केवल ५०० मील है फिर भी युद्ध के बाद से इसकी मुरम्मत नहीं की गई है । इस सड़क की ढ़लान में सुधार करना आवश्यक है । इसके साथ नदियों पर जो पुल है, उन में भी सुधार करना आवश्यक है । राजपथ उत्तर सलमारा से चराली ले जाया जा रहा है । पहले यह जोगीगोपा के रास्ते गोआलपाड़ा जाती थी । मेरा निवेदन है कि इस को भी दूसरे राजपथ के रूप में रहने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बसुमतारी]

युद्धावश्यक दृष्टि से यह वांछनीय है कि चराली से उत्तर लखमपुर तक भी एक सड़क बनाई जाये । तीसरा राजपथ चराली से गुरूबाशा, चंगागुरी होती हुई बिजोन तक बनानी चाहिये । इस पे इस क्षेत्र में होने वाली इमारती लकड़ी से लाभ उठाया जा सकेगा ।

आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों में डाक घरों के बनाने में बहुत कठिनाई है । ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि स्थानीय लोगों से पेशगी रकम लिये बिना डाकघर बनाये जायं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे उन्हें विशेष सुविधाएं दे । मैं उनके लिए तारघरों की भी मांग करता हूं, क्योंकि यदि टेलीफ़ोन नहीं दिये जा सकते, तो तारघर तो आवश्य होने चाहिये । इसके अलावा रेल और जहाज़ सेवा के न होते हुए विमान सेवा को विकासित किया जाना चाहिये और विमानों में जो खाना दिया जाता है, उस में सुधार होना चाहिये ।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्द गांव) : मैं परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं पहले सड़कों के बारे में कहूंगा । सड़कों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को एक पिण्ड राशि दे दी जाती है और वह इसे खर्च करती है किन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि क्या ऊपर के सलाहकार इन्जिनियर कभी राज्य के स्थानीय इंजिनियरों से पुलों या सड़कों पर खर्च किये जाने वाले धन के बारे में परामर्श करते हैं या नहीं । राज पथ संख्या ४५ या ४७, जो कि एक महत्वपूर्ण राजपथ है और जो रायपुर को बस्तर से, और विशाखपत्तनम को मद्रास की सड़क से मिलाता है, पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है और इस पर जो पुल हैं, उनकी तीन वर्षों से मरम्मत नहीं हुई । पहले पुलों का निर्णय कर लेना चाहिये, बाद में सड़कों का सुधार हो सकता है । राष्ट्रीय राजपथों के अलावा प्रदेश, जिला और ग्रामों के भी राजपथ होते हैं । सालारुपया राष्टॉय राज पथों पर तो नहीं खर्च करना चाहिये ।

भिलाई को जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ पर, रायपुर से ३४४ मील दूर पर एक पुल चार वर्ष से बन रहा है । किन्तु अभी तक तैयार नहीं हुआ ।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक मंगलवार, २२ मई १९६२ । ज्येष्ठ १, १८८४ (शक) तक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उतर		२६०१—२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८८३	गोआ	२६०१—०३
८८४	शरणार्थियों का पुनर्वास	२६०३—०५
८८५	मोटर गाड़ियो का आयात	२६०५—०७
८८७	तीसरी योजना में वित्तीय सहायता	२६०७—८
८८८	"हैरल्ड"	२६०८—१०
८८९	हिमाचल प्रदेश में घड़ी का कारखाना	२६१०—११
८९१	नयी दिल्ली नगरपालिका की बकाया रकमें	२६११—१३
८९३	भारत से निर्यात	२६१३—१५
८९७	क्रोरट्टी में भारत सरकार मुद्रणालय	२६१५—१७
८९८	पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का प्रव्रजन	२६१७—२२
९००	नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार	२६२२—२४
९०१	मैसूर राज्य में कपास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	२६२४—२५
प्रश्नों के लिखित उतर		२६२६—६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
८८६	स्वचालित करघे	२६२६
८९०	नैपाल में झाराही नदी	२६२६—२७
८९२	दिल्ली में उपहारगृह कर्मचारियों के लिये वेतनक्रम	२६२७
८९४	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन स्पताल	२६२७
८९५	समुद्र पार क्रय संगठन	२६२७—२८
८९६	भारत के लिये अमरीकी तम्बाकू	२६२८—२९

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८९९	गोग्रा में भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम आदि का लागू किया जाना	२६२९
९०२	विद्रोही नागाओं के पूर्वी पाकिस्तान में घुसने के खिलाफ पाकिस्तान का विरोध पत्र	२६२९
९०३	सरकारी कर्मचारियो के लिये मकान	२६२९-३०
९०४	स्कूलों में टेलीविजन	२६३०
९०५	पाकिस्तान को कोयला भेजा जाना	२६३०-३१
९०६	प्रधान मंत्री का लंका का दौरा	२६३१
९०७	हथकरघा उद्योग	२६३१-३२
९०८	जूतों का निर्यात	२६३२
९०९	कलकत्ता में अधिगृहीत मकानों का लौटाया जाना	२६३२--३३
९१०	कांस्टीट्यूशन हाउस और वेस्टर्न कोर्ट में भोजन व्यवस्था	२६३३
९११	भविष्य निधि में से रुपया निकालना	२६३३-३४
९१२	लंका में भारतीय उद्भव के राज्य विहीन व्यक्ति	२६३४
९१३	नागा विद्रोहियों के अड्डे	२६३४-३५
४५२	तीसरी योजना के लिये स्वीकृत राशि में परिवर्तन	२६३५
अल्प सुचना प्रश्न संख्या		
१०.	वीर अर्जुन प्रेस, दिल्ली के कामगरों द्वारा हड़ताल	२६३५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०२	उतर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	२६३५-३६
१६०३	मद्रास में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का विकास	२६३६
१६०४	उतर प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगार	२६३६-३७
१६०५	उद्योगो में पूंजी विनियोजन	२६३७
१६०६	गाजीपुर अफीम फैक्टरी	२६३७
१६०७	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	२६३७-३८
१६०८	उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	२६३८
१६०९	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	२६३८
१६१०	मकान बनाने की योजनाओं के लिये आवंटन	२६३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१६११*	आन्ध्र प्रदेश में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	२६३९
१६१२	उद्योगों के लिये लाइसेंस	२६३९
१६१३	नये ट्रांसमीटर	२६३९–४०
१६१४	बिजली से चलने वाले करघे	२६४०–४१
१६१५	उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी	२६४१
१६१६	अखबारी कागजों का आयात	२६४१–४२
१६१७	औद्योगिक बस्तियां	२६४२
१६१८	गोआ में नागरिकता	२६४२
१६१९	सिक्किम का विकास	२६४३
१६२०	दिल्ली के जामा मस्जिद के निकट गन्दी बस्ती	२६४३–४४
१६२१	पाकिस्तानियों का छापा	२६४४
१६२२	सिगरेट के कारखाने	२६४४–४५
१६२३	आन्ध्र प्रदेश में सिगरेट का कारखाना	२६४५
१६२४	बिहार में भूमि पर कर	२५४५–४६
१६२५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा	२६४६
१६२६	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्ति	२६४६
१६२७	त्रिपुरा संयुक्त शरणार्थी समिति	२६४६–४७
१६२८	लौह अयस्क के लिये भारत के निर्यात बाजार	२६४७
१६२९	नामरूप तापीय संयंत्र	२६४७
१६३०	इम्फाल में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	२६४७–४८
१६३१	नेफा में विमान दुर्घटना	२६४८
१६३२	राजस्थान में गुवार गम का कारखाना	२६४८
१६३३	नेफा में अस्पताल	२६४८–४९
१६३४	गोआ में बोली जाने वाली भाषाएं	२६४९–५०
१६३५	बैंक पंचाट का उल्लंघन	२६५०
१६३६	उत्तर प्रदेश को स्वीकृत की गई धन राशि	२६५०–५१
१६३७	वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लि०, कूच बिहार	२६५१
१६३८	वाला घाट (मध्य प्रदेश) में फेरो-मेंगनीज संयंत्र	२६५१–५२
१६३९	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर का निदेशक बोर्ड	२६५२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६४०	मूंदड़ा व्यापार-संस्थाएं	२६५२–५३
१६४१	पूना में हैवी इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज	२६५३
१६४२	पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा प्रकाशित समूल्य प्रकाशन	२६५३–५४
१६४३	विदेशों में भारतीय दूतावास	२६५४
१६४४	जिप फ़ासनरो का निर्माण	२६५४
१६४५	केरल में औद्योगिक बस्तियां	२६५४–५५
१६४६	दिल्ली में उद्योगों के लिए लाइसेंस	२६५५
१६४७	उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को रोजगार	२६५५–५६
१६४८	पुनर्गठित काफी बोर्ड	२६५६
१६४९	पुथेरपल्लि में रबड़ अनुसन्धान संस्था	२६५६
१६५०	सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी	२६५७
१६५१	भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली के कम्पोजिटरों के लिए 'स्टूल'	२६५७
१६५२	भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में कल्याणकारी पदाधिकारी	२६५७
१६५३	भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में शिशिक्षु	२६५८
१६५४	पंजाब में किसानों को रोजगार	२६५८–५९
१६५५	श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय)	२६५९
१६५६	श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) के स्थाई पद	२६५९–६०
१६५७	आसाम में कागज और रेयन उद्योग	२६६०
१६५८	पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय	२६६०
१६५९	मण्डी नमक खानों का यंत्रीकरण	२६६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२६६१

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४०८ में प्रकाशित कम्पनीज (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६१।

(२) गंगा ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड की वर्ष १९६१ के प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६६१-६२

सचिव ने चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १८ अप्रैल, १९६२ को सभा को दी गयी अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६२ पटल पर रखा ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा पुनः काम आरम्भ कर देने के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

समिति के लिये निर्वाचन २६६२-६३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . . २६६३—२७१२

(१) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई, और मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) परिवहन तथा संचार मंत्रालय के बारे में अनुदानो की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के बारे में अनुदानो की मांगों पर अग्रेतर विचार

GMGIPND—LSIII—959(Ai)LSD—23-7-62—150

विषय-सूची (क्रमशः)

	पृष्ठ
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	२६८३—२७१२
श्री मुहम्मद इलियास	२६८४—८६
श्री भक्त दर्शन	२६८६—९१
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२६९१—९२
श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़	२६९३
श्री सोलंकी	२६९३—९८
श्री रघुनाथ सिंह	२६९८—२७०२
श्री हरि विष्णु कामत	२७०२—०३
श्रीमती शारदा मुकर्जी	२७११
श्री बसुमतारी	२७११—१२
श्री वीरेन्द्र बहादुरसिंह	२७१२
दैनिक संक्षेपिका	२७१३—१७

P.L.S. 41. III. 26. 62.

150

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।